धुमकुड़िया

(एक पारम्परिक सामाजिक, व्यक्तित्व एवं कौशल विकास केन्द्र)

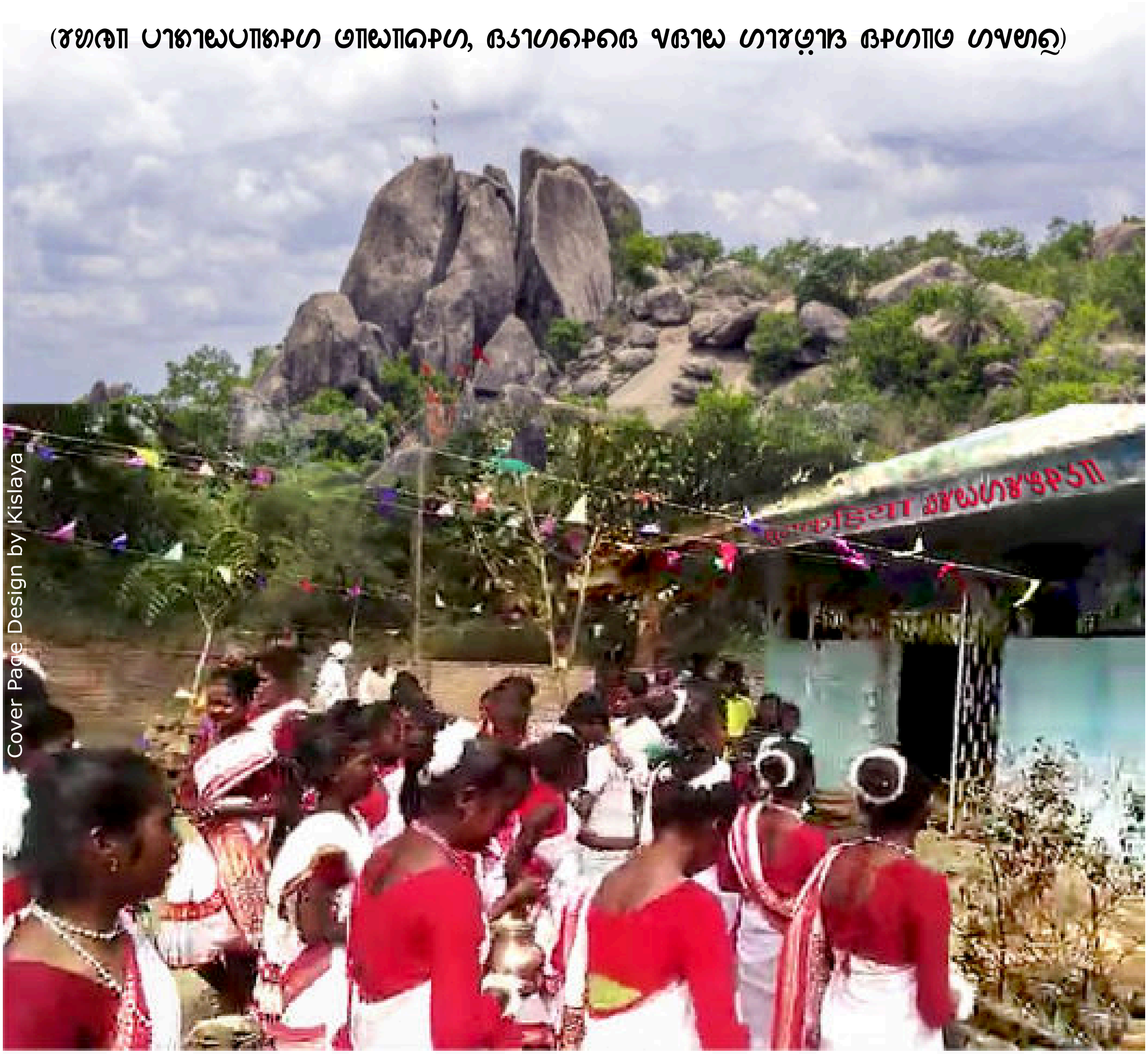

Cover Page Design by Kislaya

: प्रकाशक :
अद्दी अखड़ा प्रकाशन
चिरौन्दी, रांची (झारखण्ड)

तकनीकि सहयोग :
अद्दी कुँड़ुख़ चाःला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा (निबंधन संख्या – 105 / 2013–14)
शाखा कार्यालय : पड़हा पिण्डा, सैन्दा, सिसई, गुमला, झारखण्ड, पिन न० – 835324
मुख्यालय – तोलोङ पिण्डा, चिरौन्दी, नगड़ा डिप्पा, बोड़ेया रोड, थाना : बरियातु, राँची – 834006
सम्पादक एवं सलाहकार : :
डॉ० नारायण उराँव, डॉ० नारायण भगत, डॉ० बुदू उराँव, श्री गजेन्द्र उराँव, श्री जिता उराँव, डॉ० मीना टोप्पो, श्री बिपता उराँव, श्री अरविन्द उराँव, श्री भुनेश्वर उराँव, फा० अगुस्तिन केरकेट्टा, श्री किसलय

विषय सूची

1. जय धरमे	–	01
2. पुन्दचका कत्था (प्रस्तावना)	–	02
3. झारखण्ड आंदोलनकारियों की नजर में : अलगप्रांत आन्दोलन की उपलब्धि है तोलोंग सिकि	–	03
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं मातृभाषा शिक्षा में धुमकुड़िया की प्रासंगिकता	–	04
5. धुमकुड़िया (एक परम्पारिक सामाजिक व्यक्तित्व एवं कौशल विकास केन्द्र)	–	05
6. 26 जुलाई 1996 में तोलोङ सिकि पर भाषाविदों से ध्वनि विज्ञान विषय पर दिशा–निर्देश	–	12
7. 1997 ई. ग्राफ्रिक्स ऑफ तोलोङ सिकि का लोकार्पण एवं आवश्यक संशोधन हेतु मार्गदर्शन	–	13
8. तोलोङ सिकि लिपि 15 मई 1999 ई0 को जनमानस के व्यवहार के लिए जारी	–	14
9. कुँड़ुख़ तोलोङ सिकि तोड़पाब (वर्णमाला)	–	15
10 तोलोङ सिकि (लिपि) का आधार	–	16
11. तोलोङ सिकि वर्णमाला का साहित्यिक विवेचना	–	17
12. तोलोङ सिकि के संबंध में भाषाविदों एवं शिक्षाविदों के विचार	–	18
13. कुँड़ुख़ भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) के संबंध में सरकारी एवं विभागीय अधिसूचना	–	24
14. धुमकुड़िया, सैन्दा, सिसई, गुमला, झारखण्ड के नवजागरण की झाँकी	–	37
15. धुमकुड़िया महबा उल्ला	–	40
16. उराँव आदिवासी परम्परा में अध्यात्मिक अवधारणा	–	43
17. उराँव (कुँड़ुख़) सामाजिक परम्परा में धर्म की मान्यता	–	47
18. तोलोङ सिकि की विकास यात्रा और राःजी पड़हा, भारत	–	50
19. परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2019–22 एवं 2022 घोषणा पत्र	–	52
20 तोलोङ सिकि का कंप्यूटरी अवतार 'केलि तोलोङ' की उद्भव यात्रा	–	61
21. टाटा स्टील फाउण्डेशन द्वारा संपोषित कुँड़ुख़ भाषा–तोलोंग सिकि शिक्षण केन्द्र का झलक	–	62
22. टाटा स्टील फाउण्डेशन, जमशेदपुर द्वारा कुँड़ुख़ भाषा तोलोंग सिकि (लिपि) प्रशिक्षण	–	67
23. DEVELOPMENT OF TOLONG SIKI DISPLAY SYSTEM & IT'S USES	–	69
24. संस्कृत–हिन्दी शब्दों को तोलोंग सिकि में लिप्यन्तरण हेतु मानकीकरण	–	72
25. बाल कविता एवं पहेलियाँ एवं गिनती	–	78
26. धुमकुड़िया कुँड़ुख़ डण्डी एवं कुँड़ुख़ गिनती	–	98

[illegible]

जय धरमे

[illegible]

जय धरमे

[illegible]

जय धरम

[illegible]

अना उङ्गु,

उरमिन उङ्गु, सिरिज'उ–पो:स'उ, मया ननु धरमे उरबय, धरती–अयंग, धरमी–सवंग, मयहदेव–परबईत, करम–देव, चन्द्दो–बी:ड़ी, चा:ला–अयंग, देबी–अयंग, पुरखा–पचबल। अख़आ बल्ला, सुमरारआ लगदम, गोहरारआ लगदम, ओहारी ननके, मलदव ती बछाबअ़के, द:व लूर–घोख चिअ़के दरा जिया–कया एंम्हय्न सवंगिया कमनुम, धरम उ:ख़ा ती बिल्ली तरा होअर, धरमे रा:जीन धरताअ़के।

ओ'लग्गादम – ओ'लग्गी, ओ'लग्गी, ओ'लग्गी।

2. पुन्दचका कत्था (प्रस्तावना)

पुरखर बाःचका रअ़नर – ''कुद्दोय होले बेद्दोय, ओक्कोय होले ख़क्खोय''।

एन्ने लेखम बाःचका रअ़ई – ''पद्दा–पद्दा मनर पड़हा मनी, पड़हा–पड़हा मनर पहटा अरा पड़हा–पहटा खोंड़ोरअर मनी राःजी अरा बेलख़ा। इबड़न अख़आ गे लेद्दे परिया तिम काःना मनी पद्दन्ता धुमकुड़िया।''

20वीं सदी के अंतिम दशक में झारखण्ड अलग प्रांत आंदोलन के विचारक एवं वरिष्ठ नेता पद्मश्री डॉ० रामदयाल मुण्डा कहा करते थे – जब ले आदिवासी समाज कर धुमकुड़िया नी जागी अउर अख़ड़ा नी गहजी तब ले आदिवासी मनकर उबार नखे। एखन कर बेरा में अखड़ा जगन धुमकुड़िया होवे अउर धुमकुड़िया में किताब–कॉपी, पुस्तकालय संगे समाचार पत्र अउर छोटमोट सर्दी–बुखार कर टिकिया संगे–संग मरहम पट्टी कर सामान भी रहेक चाही।

21वीं सदी के आरंभ में भारत देश में ''अमृत महोत्सव'' मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो कर दिया गया है। इसके तहत झारखण्ड सरकार ने वर्ष 2022 में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा दिये जाने का अवसर प्रदान किया है। भाषा शिक्षा विषय में हिन्दी एवं अंगरेजी के अतिरिक्त झारखण्ड में कुँड़ुख़ (उराँव), मुण्डारी, खड़िया, हो, एवं संताली मातृभाषा में से क्षेत्रवार किसी एक से प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ किये जाने हेतु अधिसूचना जारी हुआ है तथा 1ली से 3री कक्षा की पुस्तकें प्रकाशित हैं।

मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का निर्णय, केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था का भारतीयकरण किया जाना तथा किसी समाज की भाषा–संस्कृति का संरक्षण और संवर्द्धन तथा रोजगार के अवसर के रूप में समझा जाना चाहिए। यह पाठ्यक्रम योजना 5+3+3+4 के रूप में प्रारूपित है। इसमें से प्रथम 5 को 3+2 के रूप में विस्तारित किया गया है। इन 5 में से पहला 3 वर्ष का समय, पूर्वशिक्षा को सूचित करता है तथा बाद वाला 2 वर्ष, क्रमशः 1ली एवं 2री कक्षा का समय सूचक है। अर्थात अब अभिभावक अपने बच्चों को 3 वर्ष का उम्र पूरा करने के बाद सरकार द्वारा नियोजित पूर्वशिक्षा केन्द्र में भेजेंगे, जहाँ वे नर्सरी में 1वर्ष, एल.के.जी में 1 वर्ष तथा यू.के.जी में 1 वर्ष पूर्व शिक्षा केन्द्र भेजा करेंगे। इस तरह उक्त 5 बर्ष तक सरकार द्वारा प्रायोजित केन्द्र में बच्चा 2री कक्षा उतीर्ण करेगा। वर्तमान समय के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर विद्यालयों में पूर्व शिक्षा योजना हेतु 3 साल के बच्चे के लिए विशिष्ट स्कूली व्यवस्था नहीं है। तब इस नई व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ष से 6वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी या शिक्षा वाटिका से जोड़ने की बात कही जा रही है। इस तरह यदि पूर्व शिक्षा योजना को आंगनवाड़ी से जो जोड़ा जाता है तो यह प्रश्न उठेगा कि क्या, सभी (कुँड़ुख़/उराँव बहुल क्षेत्र) क्षेत्र के आधे से अधिक आंगनवाड़ी सेविकाएँ कुँड़ुख़ (उराँव) भाषा या लिपि नहीं जानती है। क्या, समाज के लोग इस संबंध में कोई निर्णय ले पाएंगे! अब समाज को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं मातृभाषा शिक्षा योजना पर विस्तार पूर्वक विचार–विमर्श एवं निर्णय करने की आवश्यकता है।

ऐसी परिस्थिति में परम्पारिक सामाजिक पाठशाला सह कौशल विकास केन्द्र धुमकुड़िया का पुनर्जागरण, आदिवासी समाज की आवश्यकता है। प्राचीन काल में, यह गाँव का एक शिक्षण शाला सह कौशल विकास केन्द्र के रूप में हुआ करता था, जो गाँव के लोगों द्वारा ही चलाया जाता था। धुमकुड़िया से शिक्षित व्यक्ति जो मानव जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान सीखे हुए को सुसंस्कृत एवं प्रशिक्षित (Trained Person) कहा जाता था। बच्चों को खेल–खेल में गाना–बजाना–नाचना सीखलाने के लिए बुजूर्ग या दादा–दादी अपने पोते–पोतियों को बच्चों को कहा करते हैं – गुचा नतिया, धुम ताअ़ बेःचा/लगे धुम ताअ़ बेःचा। दूसरे शब्दों में कहें कि – वह पद्धति या माहौल जहाँ बच्चे बचपन में खेल–खेल में गाना–बजाना–नाचना सीखा करते हैं। कुड़िया का अर्थ छोटा घर अथवा केन्द्र होता है। इस प्रकार – धुम्म ताअ़ + कुड़िया में से ताअ़ का लोप होने पर धुमकुड़िया शब्द बना। ताअ़ शब्द खण्ड, प्रेरणार्थक क्रिया का मजही लटखु (मध्य प्रत्यय) है अथवा प्रेरणाश्रोत है। मांदर का बायाँ छोर, धुम्म का प्रतिनिधि तथा दायाँ किनारा ताअ़ का प्रतिनिधि है। इस तरह धुमकुड़िया वह है जहाँ बच्चे अपने जीवन के आरंभिक जीवन में गाना–बजाना–नाचना सीखते हुए कठिन रास्तों से गुजरकर अपने व्यक्तित्व में निखारपन लाते हैं तथा कुड़िया का अर्थ केन्द्र या छोटा घर होता है।

दिनांक : 31.12.2022 — डॉ० नारायण उराँव, एम.जी.एम.मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (झारखण्ड)

3. झारखण्ड आंदोलनकारियों की नजर में : अलगप्रांत आन्दोलन की उपलब्धि है तोलोंग सिकि

— माननीय विनोद कुमार भगत

पूर्व मंत्री (जैक) तथा झारखण्ड राज्य के निर्माणकर्ता तथा ऑल झारखण्ड स्टुडेन्ट यूनियन (आजसू) के संस्थापक तथा झारखण्ड आन्दोलनकारी मोर्चा के संस्थापक

अपने देश भारत में कितना भी कोई अच्छे से अच्छा योजना बना ले, किन्तु विकास के लिए भाषा और लिपि का होना आवश्यक साधन है। क्योंकि भारत देश में मानवता को सामुदायिक आधार पर देखा जाता है। इसके आधार पर ही केन्द्र और राज्य सरकार में विकास का बजट तैयार किया जाता है। क्योंकि भारत देश की आबादी में सामुदायिक पहचान का स्थान अति महत्वपूर्ण है। इस महत्व को आज से 30–32 साल पूर्व हमलोग एक आदिवासी नेतृत्व कर्ता के रूप में समझ चुके थे। हमलोग अपने देश की जातिगत, भाषागत तथा भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विषय में बातें समझ चुके थे। हम सभी आदिवासी भाषाओं तथा झारखण्ड के अन्य भाषाओं के मिटने की स्थिति पर काफी चिन्तन और चिन्ता करते थे। उन दिनों, इस प्रकार के भेदभाव, अपमानित करने वाले लोगों का प्रभूत्व था। इस सामाजिक बुराई से लड़ने हेतु एक बड़ी चुनौती थी, जिसको स्वीकार करने वालों में से कई लोगों ने कुँड़ूख भाषा के विकास की ओर कार्य आरम्भ किया। इस समय तक मुझमें, आदिवासी तथा मूलवासियों के बाल–बच्चों को पढ़ाई–लिखाई में आने वाली बाधाओं को समझ सकने की क्षमता बन चुकी थी और कॉलेज में दाखिला लेने के साथ ही मुझे छात्रगण, एक छात्र नेता के तौर पर स्थापित करने लगे थे। छात्र जीवन में आदिवासी कॉलेज छात्रावास में रहते हुए मेडिकल छात्र नारायण उराँव, मेरे एक खास साथी हुआ करते थे। मेडिको, नारायण उराँव में, समाज के प्रति गंभीर लगाव और समझ झलकता था और दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहेरियासराय (बिहार) से एम.बी.बी.एस. की डिग्री हासिल करते–करते अपना सामाजिक लगाव को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने वर्ष 1989 में एक पुस्तक का प्रकाशन कराया। उस पुस्तक का नाम है — ''सरना समाज और उसका अस्तित्व।'' मैं भी इसे पढ़ा और डॉ.नारायण उराँव को बधाई दिया। एक आन्दोलनकारी छात्र नेता के रूप में, मैं डॉ० उराँव को सुझाव दिया — ''डॉक्टर, नीन ई पुथी नु ढेर बग्गे कत्थन दव कुना टूःड़का रअ़दय। पहें नीन निंगहय कत्थन हिन्दी भखा बाःचका रअ़दय, अवंगे ईद बग्गे उल्ला मल खेपओ। ईदिन नीन कुँड़ुख़ नु घोखआ अरा टूड़ा होले ईद बग्गे उल्ला गूटी थीर रअ़ओ।'' मेरा यह सुझाव, डॉ0 नारायण के मन में बैठ गया और वे कुँड़ुख़ में सोचने और लिखने लगे। शायद तोलोङ सिकि (लिपि) के विकास की नींव का प्रत्येक ईट इस घटना के बाद मजबूती से तैयार होने लगा था।

अलग राज्य आंदोलन के क्रम में हमलोग अपने साथियों के साथ नदी, पहाड़, झरना, गुफा आदि जगहों पर घुमते रहे कि शायद कहीं पर, पूर्वजों की लिपि मिल जाय, परन्तु हमलोग सफल नहीं हुए। आखिर, वह दिन भी आया या फिर ईश्वरीय कृपा हुई कि छुट्टियों में डॉ० नारायण उराँव, अपने राँची प्रवास के दौरान आदिवासी कालेज छात्रावास, राँची पहुँचे। विचार–विमर्श के बाद मैंने, डॉ० नारायण से कहा — ''आप, एक डॉक्टर होकर मानव सेवा तो करेंगे ही, पर आपमें, आदिवासी भाषा, संस्कृति के प्रति अटूट आस्था एवं लगाव के साथ समझ है। यदि आप नई लिपि के विकास के क्षेत्र में कार्य कर सकते हो, तो आन्दोलन और समाज के लिए आपका अतुलनीय योगदान होगा। यह, समय और आन्दोलन की मांग है। सन् 1989–90 के आसपास ऐसी विचार धारा, एक आवश्यकता थी और आंदोलनकारियों की ओर से इस दिशा में डॉ० नारायण को आगे बढ़ने को कहा गया और वे इस काम में आगे बढ़ने लगे। थोड़ा सा सोच बनता और डॉ० नारायण मेरे साथ विचार–विमर्श करने के लिए आ जाया करते थे। इस तरह लिपि विकास का कार्य होता गया। आन्दोलनकारियों के निवेदन पर एक पत्रकार श्री गिरजा शंकर ओझा द्वारा नई लिपि, तोलोङ सिकि के संबंध में विस्तृत रिर्पोट तैयार किया गया, जो हिन्दी दैनिक 'आज' में दिनांक 07.10.1993 को छपा। धीरे–धीरे माहौल बनता गया एवं कार्य आगे बढ़ता गया और अब पठन–पाठन हो रहा है।

वर्तमान में तोलोङ सिकि का कम्प्यूटर वर्जन यानि कम्प्यूटर फॉन्ट, वरिष्ट पत्रकार श्री किसलय जी के द्वारा विकसित किया गया है, जो केलितोलोङ फोन्ट के नाम से निःशुल्क उपलब्ध है। अंत में मैं ''धुमकुड़िया'' (एक परम्पारिक सामाजिक कौशल विकास केन्द्र) नामक पुस्तक के सफल प्रकाशन हेतु डॉ० नारायण उराँव एवं लिपि विकास में जुड़े सभी साथियों को शुभकामनाएँ देता हूँ। आशा है, आने वाले समय में आदिवासी विकास में धुमकुड़िया एक सशक्त माध्यम बनेगा।

— सिन्दवार टोली, न्यू ऐरिया मोरहाबादी,
राँची (झारखण्ड), पिन : 834008,
3दिनांक : 15 नवम्बर 2019

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं मातृभाषा शिक्षा में धुमकुड़िया की प्रासंगिकता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, देश में लग चुका है। यह झारखण्ड में वर्ष 2022 से लागू है। इसके तहत आदिवासी बहूल क्षेत्र में 5 आदिवासी भाषा (कुँड़ुख़/उराँव, मुण्डा, खड़िया, हो एवं संताल) को मातृभाषा के रूप में 1ली से 3री कक्षा तक पढ़ाई–लिखाई कराये जाने की योजना आरंभ की जा चुकी है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में झारखण्ड वासियों के लिए त्रिभाषा शिक्षा (हिन्दी, अंगरेजी और मातृभाषा) नीति को आधार बनाया गया है।

यह पाठ्यक्रम योजना 5+3+3+4 के रूप में प्रारूपित है। इसमें से प्रथम 5 को 3+2 के रूप में विस्तारित किया गया है। इन 5 में से पहला 3 वर्ष का समय, पूर्वशिक्षा को सूचित करता है तथा बाद वाला 2 वर्ष, क्रमशः 1ली एवं 2री कक्षा का समय सूचक है। अर्थात अब अभिभावक अपने बच्चों को 3 वर्ष का उम्र पूरा करने के बाद सरकार द्वारा नियोजित पूर्वशिक्षा केन्द्र में भेजेंगे, जहाँ वे नर्सरी में 1वर्ष, एल.के.जी में 1 वर्ष तथा यू.के.जी में 1 वर्ष की तरह शिक्षा केन्द्र भेजा करेंगे। इस तरह उक्त 5 बर्ष तक सरकार द्वारा प्रायोजित केन्द्र में बच्चा 2री कक्षा उतीर्ण करेगा। उसके बाद 5+3+3+4 में से पहले 3 वर्ष के अंतराल में बच्चे, क्रमशः 3रा, 4था एवं 5वाँ कक्षा तय करेगा तथा उक्त 5+3+3+4 में से अगले 3 वर्ष के अंतराल में बच्चा, क्रमशः 6ठा, 7वाँ, 8वाँ कक्षा तय करेगा। इसी तरह उक्त 5+3+3+4 में से अंतिम 4 वर्ष के अंतराल में बच्चा, क्रमशः 9वां, 10वां, 11वां एवं 12वां कक्षा तय करेगा। इस नई योजना में 10वां बोर्ड को निरस्त किया गया है। अब 10वीं के स्थान पर 12वीं बोर्ड होगा।

वर्तमान समय के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर विद्यालयों में पूर्व शिक्षा योजना हेतु 3 साले के बच्चे के लिए विशिष्ट स्कूली व्यवस्था नहीं है। तब इस नई व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ष से 6वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी या शिक्षा वाटिका से जोड़ने की बात कही जा रही है। इस तरह यदि पूर्व शिक्षा योजना को आंगनवाड़ी से जो जोड़ा जाता है तो यह प्रश्न उठेगा कि क्या, सभी (कुँड़ुख़/उराँव बहुल क्षेत्र) क्षेत्र के आधे से अधिक आंगनवाड़ी सेविकाएँ उक्त भाषा या लिपि नहीं जानती है। क्या, समाज के लोग इस संबंध में कोई निर्णय ले पाएंगे! अब समाज को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं मातृभाषा शिक्षा योजना पर विस्तार पूर्वक विचार–विमर्श एवं निर्णय करने की आवश्यकता है।

वैसे पूर्व में सभी गाँव–टोला में अवस्थित पारम्परिक सामाजिक पाठशाला धुमकुड़िया में उराँव समाज के बच्चों को 7वें वर्ष, प्रवेश कराया जाता था। प्रत्येक माता–पिता अपने बच्चों के लिए बैठने लिए कण्डो या पिटरी, रोशनी के लिए टट्ठी और करंज तेल के साथ माघ महीने में धुमकड़िया पहुँचाया करते थे। आरंभिक समय में लड़के–लड़कियाँ सभी साथ–साथ उठते–बैठते तथा जीवन जीने के तरीके सीखा करते थे। उम्र बढ़ने के साथ लड़कियों का मानसिक तथा शारीरिक विकास होने के साथ जब उनका मासिक धर्म आरंभ होता था तो उन्हें पेल्लो एड़पा प्रवेश कराया जाता था। पेल्लो एड़पा में लड़को का प्रवेश वर्जित होता था। धीरे–धीरे उम्र बढ़ने के साथ शादी के लिए बातचीत तय होने पर लड़के–लडकियों को धुमकुड़िया से विदाई दी जाती थी।

इस पारम्परिक धुमकुड़िया में सुनकर बोलने तथा देखकर बोलने की कला विकसित थी, परन्तु देखकर लिखने एवं पढ़ने की कला विकसित नहीं थी, जिसके चलते पारम्परिक धुमकुड़िया, आधुनिक स्कूल का सामना नहीं कर पाया और समय की तुलना में पिछड़कर, बिछड़ गया।

इस विषय पर दिनांक 13 मार्च 2022 को सम्पन्न "कुँड़ुख़ भाषा, शिक्षा एवं धुमकुड़िया" विषयक कार्यशाला में मुख्य अतिथि, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड की प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल नें कहा – "आदिवासियों को देश की मुख्य धारा से जुड़ने के साथ अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाने के उपाय पर भी कार्य करना होगा। सरकार द्वारा "धुमकुड़िया" निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, पर धुमकुड़िया की आत्मा को जगाने का कार्य तो समाज के लोग ही करेंगे।'

वर्तमान परिस्थिति में निम्न प्रश्न स्वयं से करें –

1. क्या, कुँड़ुख़ समाज के लोग इस नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है?

2. क्या, पूर्व शिक्षा योजना के अन्तर्गत, उरांव बहुल क्षेत्रों में आंगनवाड़ी के स्थान पर धुमकुड़िया को स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार से अपनी मांग रखा जाए।

3. क्या, पूर्वशाला या आंगनवाड़ी की तरह धुमकुड़िया के लिए Para teacher की तरह अनुशिक्षक एवं सरकारी पठन–पाठन सामग्री सरकारी व्यवस्था से सहायता मिलेगी?

4. गांव स्तर में बच्चों को पर्याप्त शिक्षा का अवसर मिलने से वे नशापान एवं drug addiction से बचा पाएंगे।

आलेख एवं परिकल्पना –
श्री महादेव टोप्पो (आदिवासी साहित्यकार) एवं
डॉ. नारायण उराँव (संस्थापक, तोलोंग सिकि)

5. धुमकुड़िया /

(एक पारम्परिक सामाजिक व्यक्तित्व एवं कौशल विकास केन्द्र)

DHUMKUṚIYA : A Traditional Social, Personality and Skill Development Centre)

परिचय :– धुमकुड़िया, उराँव आदिवासी समाज की एक पारम्परिक सामाजिक, व्यक्तित्व एवं कौशल विकास केन्द्र है। प्राचीन काल से ही यह, गाँव में एक व्यक्तित्व एवं कौशल विकास शिक्षण–शाला के रूप में हुआ करता था, जो गाँव के लोगों द्वारा ही चलाया जाता था। समय के साथ यह पारम्परिक सामाजिक, व्यक्तित्व एवं कौशल विकास केन्द्र विलुप्त होने की स्थिति में है। कुछ दशक पूर्व तक यह संस्था किसी–किसी गाँव में दिखलाई पड़ता था किन्तु वर्तमान शिक्षा पद्धति के प्रचार–प्रसार के बाद यह इतिहास के पन्ने में सिमट चुका है। कुछ लेखकों ने इसे युवागृह कहकर यौन–शोषन स्थल के रूप में पेश किया, तो कई मानवशास्त्री इसे असामयिक कहे, किन्तु अधिकतर चिंतकों ने इसे समाज की जरूरत कहते हुए सराहना की है। आदिवासी परम्परा में मान्यता है कि – यह लयवद्ध तरीके से समाज के लोगों के लिए सामाजिक जीवन जीने की कला सीखने तथा कौशल विकास करने का केन्द्र है। (It is a traditional social learning centre for personality and skill development among Children (बच्चे–बच्चियाँ) and Young (किशोर–किशोरी) in Oraon tribe.)

कुँड़ुख़ (उराँव) आदिवासी समाज में धुमकुड़िया एक ऐसी शाश्वत व्यवस्था रही थी जो किसी गाँव या टोला के सभी लड़के–लड़कियों के लिए (लिंग भेद रहित) होता था। ऐसा उदाहरण किसी भी देश या समुदाय में सामान्य रूप से प्रचलित नहीं दिखता है। वैसे भारतीय इतिहास में पुराने राजा–महाराजाओं के राजपाट में गुरूकुल नामक संस्थान हुआ करता था, जिसमें सिर्फ शासक वर्गों के पुरूष बच्चे ही प्रवेश पाते थे। जन–साधारण के लिए वहाँ प्रवेश नहीं था अथवा वर्जित था।

पौराणिक व्यवस्था :– कई बुजूर्ग बतलाते है ंकि उनका बचपन गांव में बीता और मैट्रिक तक की पढ़ाई वे गांव में रहकर पूरा किये। उन दिनों गांव में लड़कों का समूह किसी एक जगह बैठा करता था और वहाँ पर एक बुजूर्ग द्वारा बच्चों एवं किशोर–किशोरियों को अपनी भाषा में कहानी एवं बुझवल बतलाया करते थे। इसी तरह जाड़ा के दिनों में कटे हुए फसल की रखवाली के लिए बना कुम्मबा में वे सोने जाया करते थे और वहाँ शादी राग में गाना (जाड़ा मौसम का राग) गाने सीखते थे। अपने से बड़े उम्र वाले से मांदर बजाना सीखते थे। हल बनाना, छप्पर छारना, लकड़ी का औजार बनाना आदि कार्य, गाँव में रहकर गाँव के बड़–बुजूर्गों से सीखा जाता था। ऐसा शिक्षण–प्रशिक्षण गाँव में अभी भी प्रचलित है। वे भी उसी समूह में रहकर गाना, बजाना एवं ग्रामीण नृत्य सीखे। परन्तु अब आधुनिक शिक्षा के प्रसार से ये तमाम ग्रामीण शिक्षा की बातें विलुप्ति की ओर जा रही हैं। इसके स्थान पर मोबाइल में गाना और गूंगा डांस ने जगह ले रखा है, जो आदिवासी परम्परा एवं इतिहास के लिए एक चुनौती है।

एक महिला, अपने बचपन के समय की बातें याद करते हुए कहती हैं कि गर्मी के दिनों में सभी तरह के कार्य सिखलाये जाते थे। हमलोग सभी लड़कियाँ चटाई बनाने के लिए घेतला बीनती थीं। उसके बाद उससे चटाई बनाती थीं। कभी–कभी नेठो बनातीं, कोई–कोई झाड़ू बनाने के लिए कताई करती थीं। ये सब बड़े बुजूर्गों की देख रेख में किया जाता था।

(धुमकुड़िया नू हुरमी रकम घी उज्जना–बिज्जना गही प्रशिक्षण मना लगिया। ओरोत आ:ली तंगहय कुकोय परिया ता बेड़न ईयाइद ननर ब'ई – एम जामों कुकेर, अयंग बगय, अज्जी बगय (सभी महिलाएँ) नेखअय एड़पन्ता ढाबा कोंहा रआ लगिया, अन्नू जेट्ठे बेड़ा नू घेतला तेस्सा लइक्कम। ओंघोंन– ओंघोंन पिटरी सटना, बिण्डो कामना, चलकी कामना गुट्ठी सिखिरआ दरा कमआ लइक्कम। एन्नेम बबा बगर 5–6 झनर मन्न एख़ नू ओक्कर सनई मे:रन, ढेरा ती ए:प ढेरआ लगियर अरा उगता–पगसिन छोलआ–कमआ लगियार। एकअम पुना उगता–पगसी कमआ सिखिर'उर पचगिर गने लग्गर की सिखिरआ कमआ लगियर। फग्गु–ख़द्दी गे पेल्लर एड़पन एःगर चेम–चेम ले उईय्या लगियर। इबड़ा गुट्ठीन एन इन्नेला घोखदन ख़ने आद ओन–रकम ती धुमकुड़िया ता नलय बेसेम लग्गी।)

धुमकुड़िया का पतन क्यों और कैसे हुआ –

वैसे धुमकुड़िया के पतन का सही–सही कारण तो अज्ञात है। पर गाँव समाज के लोगों से बातचीत करने पर कुछ ऐतिहासिक घटना क्रम प्रकाश में आता है। छोटानागपुर के महाराजा का पुराना किला झारखण्ड में राँची जिला के रातू थाना क्षेत्र में अवस्थित है। रातू महाराजा के समय काल में अंगरेजी हुकुमत तथा राजा–जंमीदार के अन्याय के खिलाफ कई आदिवासी आंदोलन हुए। वर्ष 1830–31 में कोलहान क्षेत्र में कोल विद्रोह

हुआ तथा वर्ष 1831–32 में लरका आंदोलन हुआ। लरका आंदोलन के नायक अमर शहीद वीर बुधू भगत का क्रांतिवीर गाथा को भारतीय इतिहास में सम्मानित स्थान नहीं मिला। उस वीर नायक एवं उनके कुटुम्ब के लगभग 150 से अधिक सदस्य एक ही दिन तथा एक ही जगह शहीद हुए, जिसे भारतीय इतिहास में नजर अंदाज कर दिया गया। सन् 1832 ई० का लरका आन्दोलन, एक असहयोग आन्दोलन के साथ गुरिला आंदोलन भी था। लोग छोटानागपुर के महाराजा को लगान देना बंद कर दिये थे। सिसई (गुमला) के जंमीदार परिवार के श्री राजकिशोर शर्मा जी का कहना है कि लरका आंदोलन इतना भयावाह था कि रातू महाराजा (छोटानागपुर के महाराजा) का कोषागार खाली हो गया और उनके पूर्वजों ने महाराजा का फौज (घोड़ा–हाथी सहित) को 9 महीना तक संरक्षण दिया। इसके बदले में महाराजा ने जंमीदारी के लिए 28 गांव दिये। वह दौर, अंगरेजी शासन के लिए भी चुनौती था, जिसे अंगरेजों ने एक नई युक्ति से काम किया। लरका आंदोलन के नायक के शहादत के बाद, अंगरेज शासक अंगरेजी स्कूल खोलने लगे और बच्चों को अंगरेजी पढ़ाने लगे और अंगरेजी पढ़े लोगों को बाबू बनाने लगे। बीर बुधू भगत के इस गोरिला आंदोलन ने अंगरेजों के शासन का तरीका बदलने को विवस किया। सर्व प्रथम अंगरेजों ने लरका आंदोलन की नींव, पड़हा और धुमकुड़िया को कमजोर करना आरंभ किया। इस योजना के क्रम में अंगरेजों ने अमेरिकी और अफ्रिका की तरह छोटानागपुर में स्कूल एवं कचहरी खोला। वर्ष 1834 में रांची शहर में पहला स्कूल स्थापित किया गया। धीरे–धीरे अंगरेजों द्वारा चर्च की मदद से कई स्कूल खोले गये। समय बीतने के साथ वर्ष 1900 में अमर शहीद बिरसा मुण्डा का आंदोलन हुआ। लोग अंगरेज सरकार और राजशाही–जंमीदारी व्यवस्था से लड़ रहे थे। इन सबके बीच अंगरेजी समय में आदिवासी जनमानस के बीच चर्च द्वारा प्राथमिक स्कूल एवं अस्पताल भी खोला जाने लगा। अंगरेज अपनी हित में या कूटनीति में आदिवायियों के बीच अपनी धर्म–संस्कृति का प्रचार तो किये, जिसका असर यहाँ के लोगों पर पड़ा। सन् 1909 में चर्च समर्थित '''तपसंघ'' ने ईसाई आदिवासियों को अखड़ा खेलने से मना किया और अखड़ा खेलने वालों अपने लोगों पर 8 आना जुर्माना घोषित किया। इस मुहिम से उराँव समाज में ईसाई आदिवासी और सँवसर आदिवासी नामक खाई बन गई। चर्च द्वारा शिक्षा जगाने में उराँव बहुल क्षेत्र पुराना सिसई थाना क्षेत्र में 1936 में 05 प्राथमिक स्कूल चर्च के द्वारा खोला गया जो अभी भी चल रहा है। इन नई व्यवस्था के शिक्षण केन्द्र, पौराणिक व्यवस्था के शिक्षण केन्द्र से विकसित एवं नेत्र ग्राह्य थे। कहा जाता है – आदिवासियों के बीच जो दिखता है वही चलता है और जो नहीं दिखता है, वह विलुप्त हो जाता है। पौराणिक धुमकुड़िया में लेखन कला का आभाव था, जो आधुनिक स्कूल के आने के बाद, विलुप्त होने के कगार पर है। इस तरह अंगरेजी शासन में पड़हा–धुमकुड़िया कमजोर हुआ और जिस गाँव में चर्च स्थापित हुआ उस गांव में अखड़ा दो भाग में बँट गया। यह तथ्य है कि चर्च समर्थित स्कूलों से नवीन शिक्षा का प्रसार हुआ, जिससे सभी लाभान्वित हुए।

धीरे–धीरे समय अंतराल में नई शिक्षा व्यवस्था वाले शिक्षण संस्थान के सामने, परम्पारिक पाठशाला धुमकुड़िया, नहीं टिक पायी, क्योंकि आधुनिक स्कूल में नेत्र ग्राह्य शिक्षा प्रणाली अर्थात लिखने–पढ़ने का तरीका था और यह स्कूल रोजगार से जोड़ता था। ऐसी स्थिति में लोग नई व्यवस्था की ओर मुड़ने लगे। यह नई व्यवस्था, लोगों को शिक्षा और रोजगार से तो जोड़ा, पर अपनी मिट्टी की सुगंध से किनारा होने के आरोप से बच नहीं पाया। लम्बे समय काल के आदिवासी आंदोलन होते रहे और झारखण्ड राज्य का भी गठन हो गया। इधर केन्द्र सरकार एवं झारखण्ड सरकार राट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा शिक्षा लगा चुकी है।

अब समय है राट्रीय शिक्षा नीति के तहत गाँव में धुमकुडिया स्थापित हो तथा धुमकुड़िया के बगल में अखड़ा भी जगे, तब श्रुति साहित्य के साथ लिखित साहित्य विकसित होगा। अब आदिवासी गांव के Pre-school education शिक्षा व्यवस्था में, राज्य स्तर पर कुँड़ुख़ भाषी क्षेत्र में धुमकुड़िया को शामिल किया जाए। ऐसा होने पर समाज की भाषा और संस्कृति दोनों संरक्षित तथा सवंर्द्धित हो पाएगी।

समाज में धुमकुड़िया का पतन के कारण पर एक लोककथा इस प्रकार है –

पूर्व में किसी समय, धुमकुड़िया से घर लौटने के क्रम में दो बच्चों (एक ही परिवार के भाई–बहन) को दो बाघ द्वारा उठाकर ले जाया गया तथा गांव वालें के खोजबीन के बाद भी वे बच्चे नहीं मिले। तब से लोग ग्राम देवता की इच्छा का संकेत मानकर अपने बच्चों को धुमकुड़िया भेजना छोड़ दिये तथा रोःगे खेदना अनुष्ठान कर एक गांव से दूसरे गांव ते सूचना पहुंचाये। जिससे यह घटना की सूचना दूर–दराज तक पहूंच गई और धीरे–धीरे गांव–समाज में धुमकुड़िया का चलन कम होता गया। पर वर्तमान में धुमकुड़िया की आवश्यकता को देखते हुए इसे भविष्य में आने वाले खतरे से बचने के साथ पुनर्गठन करना ही होगा। अर्थात बच्चों की शिक्षा एवं उन्नति के लिए अभिभावक की जागरूकता तथा जिम्मेदारी को आवश्यक बनानाहोगा। (यह उद्धरण टी०आर०आई०, रांची के पुस्तकालय की एक पुस्तक के धुमकुड़िया शीर्षक से लिया गया है।)

धुमकुड़िया का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण क्यों ?

वर्तमान में, गाँव–घर में रह रहे लोग अपने को कमजोर और दिषाहीन समझने लगे हैं। क्या, हमारे पूर्वज कमजोर और दिषाहीन थे ? क्या, हम सभी कमजोर और दिषाहीन हैं ? इन प्रष्नों का उत्तर ढूँढ़ने के लिए हमें स्वयं से प्रष्न करना होगा – ''क्या, जिस समय हमारे पूर्वजों के पास स्कूल–कालेज, थाना–पुलिस, कोर्ट–कचहरी, मंदिर, मस्जिद, गिरजा इत्यादि नहीं पहूँचा था, उस समय हमारे पूर्वजों ने किन शक्तियों के बल पर अपने समूह को एकसूत्र में बांधकर रखा ? क्या, हमलोग उन ताकतों को संजोकर रख पाये हैं ? क्या, हम अपने पूर्वजों के धरोहरों को सुरक्षित रख पाये हैं ? दुनियाँ के सामने खड़ा होने के लिए हमें उन शक्तियों का सशक्तिकरण करना होगा। हम सभी के पूर्वजों ने परम्परागत आदिवासी कुँड़ुख़ समाज को समूह में बांधकर रखने एवं सामाजिक धरोहरों को अगली पीढ़ी तक पँहूचाने के लिए सात पहरेदार शक्तियों को चुना और उसके माध्यम से विश्व के अनेकानेक बदलाव एवं दबाव (राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक) के बीच समाज को बचाकर रख पाये। धुमकुड़िया जैसी परम्परागत सामाजिक पाठषाला में प्रशिक्षित होकर धमसरका (सुसंस्कृत व्यक्ति) आल बनना ही इसका मूल उदेष्य रहा है।

ये शक्तियाँ है :–

1. पड़हा (पड़हा–पाट)
2. अखड़ा
3. धुमकुड़िया
4. चाःला अयंग (चाःला अयंग / सरना माय)
5. देबी अयंग (देबीगुड़ी / गवाँ देवती)
6. पद्दा सबहा (गाँव सभा / ग्राम सभा)
7. बिसुसेन्दरा आदि।

परम्परागत आदिवासी समाज और इसकी व्याख्या –

1. पड़हा – पड़हा का अर्थ पड़ा (टोला पड़ा) नुम पाःड़ा अरा पड़ा नुम पड़गरआ। कई गाँव वाले एक साथ मिलकर एक पड़हा का गठन किया करते है। पड़हा का कार्य – अपने कबिला समूह को बाहरी दबाव से बचाना तथा कबिलाई समाज के अन्दर अनुशासन बनाये रखना एवं पड़हा के अन्दर रक्त की शुद्धता को बरकरार रखना समझा गया है।

2. अखड़ा – अ + ख + ड़ा– अख़आ (जानना) गे खटना (शारीरिक श्रम करना) अरा सकिस्ता नु रअ़ना (मर्यादा एवं अनुशासन में रहना) अरा अख़कन एःदना दरा संगोठ नु नेवई ननना (न्याय करना) अड्डा। शारिरिक श्रम कर सीखने का स्थल एवं अनुशासन बनाये रखते हुए,समाज में न्याय स्थापित करने का स्थल। त्योहार के दिन गांव का अखड़ा में 4 पीढ़ी के लोग अपनी मर्यादा के अन्दर एक साथ नाचते–गाते हैं।

3. धुमकुड़िया – यह गाँव की एक पारम्परिक सामाजिक व्यक्तित्व एवं कौशल विकास केन्द्र है। प्राचीन काल से ही यह गाँव में एक शिक्षण संस्था तथा कौशल विकास केन्द्र के रूप में हुआ करता था, जो गाँव के लोगों द्वारा ही चलाया जाता था। धुमकुड़िया में बचपन से जवानी तक मानव जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान से प्रशिक्षित होकर निखरा हुआ व्यक्ति को धमसरका आल (प्रशिक्षित एवं सुसंस्कृत व्यक्ति) अर्थात Trained Person कहा जाता था। बच्चों को खेल–खेल में गाना–बजाना–नाचना सीखलाने के लिए बुजूर्ग या दादा–दादी अपने पोते–पोतियों को बच्चों को कहा करते हैं – गुचा नतिया, धुम ताअ़ बेःचा / लगे धुम ताअ़ बेःचा। दूसरे शब्दों में कहें कि – वह पद्धति या माहौल जहां बच्चे बचपन में खेल–खेल में गाना–बजाना–नाचना सीखा करते हैं। कुड़िया का अर्थ छोटा घर अथवा केन्द्र होता है। इस प्रकार – धुम ताअ़ + कुड़िया में से ताअ़ का लोप होने पर धुमकुड़िया शब्द बना। दरअसल ताअ़ ध्वनि, प्रेरणार्थक क्रिया का मजही लटख़ु (मध्य प्रत्यय) है अथवा प्रेरणा का द्योतक है। यह मध्यम प्रत्यय, कुंडुख़ भाषा में प्रेरक अर्थात सीखलाने वाले का बोधक है। यहां धुमकुड़िया शब्द ननरकी तिंगिर'उ को सूचित करता है। इस तरह धुमकुड़िया वह है जहां बच्चे अपने जीवन के आरंभिक समय में गाना–बजाना–नाचना सीखते हुए कठिन रास्तों से गुजरकर अपने व्यक्तित्व में निखारपन लाते हैं और धीरे–धीरे धमसरका अवस्था की ओर बढ़ते हैं तथा कुड़िया का अर्थ केन्द्र या छोटा घर होता है।

इसी तरह से गांव में जब कभी नवजवान लड़के–लड़कियां अखड़ा में लय–ताल के साथ नाचते गाते हैं तो बड़े बुजूर्ग लोग, प्रशंसा करते हुए कहा करते हैं – इन्ना गा जोंखर–पेल्लर अकय दव बेःचा लगियर धुम्म–धुम्म ख़रख़ा लगिया। धुम्म–धुम्म ख़रख़ना अरा बेःचना का अर्थ – अनुशासित तरीके से नाच–गान करना। वहीं पर जब लड़के–लड़कियां अखड़ा में लय–ताल को बिगाड़ते हुए नाच–गान करते हैं, तो बुजूर्ग लोग मना करते हुए कहते हैं – नीम, नला–बेःचा बल्ला लगदर, धम्म–धुम्म ख़रख़ा लगी। यहां पर धम्म–धुम्म ख्ररख़ना अरा बेःचना का अर्थ – अनुशानहीन तरीके से अथवा राग–रंग के विपरित नाच–गान करना एवं सीखना समझा जाता है। वहीं पर धुम्म–धुम्म ख्ररख़ना अरा बेःचना का अर्थ – अनुशासित तरीके से नाच–गान करना एवं सीखना होता है। धुम्म–धुम्म + कुड़िया का अर्थ वैसा स्थल या केन्द्र जहां अनुशासित तरीके से नाच–गान करने एवं सीखने की गूंज उठती हो। इस

तरह कहा जा सकता है कि धुम ताअ + कुड़िया से धुमकुड़िया शब्द बना है। बच्चा जब गाना–बजाना–नाचना सीखता है तो इसी तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस धुमकुड़िया का धुम Pre education या Play School का परिचायक है तथा धुम में कुड़िया जुड़ने से बढ़ते उम्र के साथ Boys and girls education में परिवर्तित हो जाता है जो धुमकुड़िया ती उरूख़का, धमसरका आल (प्रशिक्षित एवं सुसंस्कृत व्यक्ति) बनता है। ठीक इसके विपरीत थमसरका आल का अर्थ सभी तरह से थका हुआ या हारा हुआ व्यंक्ति या दिवालिया घोषित व्यक्ति समझा जाता है।

4. चाःला अयंग (सरना माँ) – चाल चिअ़उ अयंग। गाँव की विशेष दैवीय शक्ति जहाँ सरहूल के अवसर पर विशेष पूजा–अर्चना, गाँव के सभी लोगों द्वारा मिलकर किया जाता है। चाःलाथान / चाःलापिण्डी = चाला स्थल।

5. देबी अयंग (देबीगुड़ी अड्डा) – दव ननु मेःद मलका, अयंग छाव नु संगरा चिअ़उ सवंग। देवाँ / देव सवंग तली। देवाँ बि'ई = देबी। वैसा पूजा स्थल, जहाँ स्त्री–पुरूष, युवक–युवतियाँ, बच्चे सभी जाया करते हैं। थान = स्थल। हो भाषा में दव ननु मेःद मलका सवंग को देंवाँ कहा जाता है तथा अनिष्टकारी को दाँड़ी कहा जाता है। कुँड़ख़ में अनिष्टकारी शक्ति को नाद कहा जाता है। अंगरेजी में देव या देवाँ को Good spirit तथा नाद या दाँड़ी को Bad spirit कहा जाता है। देबी अयंग गही गुँडुरका अड्डा।

6. पद्दा सबहा (गांव एवं गांव सभा) – गाँव की सभा। सबुति (प्रमाण) पुराबअ़ना मलता सबुति चिअ़ना अड्डा। पाट ओक्कना – वयस्कों को विशेष ज्ञान सीखने हेतु गुरू परम्परा में शामिल होना।

7. बिसुसेन्दरा (बसआ गे सेन्दरा) – रूढ़ी परम्परावादी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत बिसुसेन्दरा एक उच्चतम सामाजिक तथा न्यायिक सभा है। जब किसी मामले का निस्पादन गांव सबहा के अन्तर्गत निपटारा नहीं हो पाता है, तब वह मामला पड़हा के अन्तर्गत पहुंचता है तथा जब पड़हा के अन्तर्गत भी निपटारा नहीं हो पाने पर वह मामला बिसुसेन्दरा में पंहुचाया जाता है। बिसुसेन्दरा वर्ष में एक बार होने वाला एक विशेष सबहा है जो परम्परागत कुँड़ुख़ समाज के अन्दर एक उच्चतम सामाजिक तथा न्यायिक सबहा के रूप में बैसाक महीने में आयोजन होता रहाहै। इस बिसुसेन्दरा का निर्णय, सबों के लिए मान्य होता था और यदि जो वहां के सामाजिक निर्णय को नहीं मानता था या जो समाज हित में कलंकित पाये जाने पर, वैसे लोगों का सामुहिक सेन्दरा भी हो जाया करता था। परन्तु धीरे–धीरे वह मानव सेन्दरा प्रथा समाप्त हो गयी है।

विकसित मनुष्य की आवष्यक आवष्यकता :–

1. रोटी 2. कपड़ा 3. मकान 4. स्वास्थ्य 5. शिक्षा 6 अध्यात्म।

अथवा

1. रोटी 2. कपड़ा 3. मकान 4. स्वास्थ्य 5. षिक्षा 6. अध्यात्म / / 7.रोजगार।

गाँव की वर्तमान समस्या के समाधान हेतु इन शक्तियों को फिर से जोड़ने एवं स्थापित करने की आवश्यकता है। आज के दौर में समाज को निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़ने होंगे :–

1. वर्तमान समय में सरकारी नौकरी पाने के लिए कुँड़ुख़ भाषा में परीक्षा लिखना पड़ता है। ऐसे में यदि हमारे बच्चे परीक्षा में पास नहीं करेंगे तो उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी ? क्या, हम इसके लिए तैयार हैं ?
2. हमारे बच्चे माँ–पिताजी एवं बुजुर्गों का कहना नहीं मानते हैं, क्यों ?
3. हमारे बच्चे नशाखोरी एवं बुरी आदत की ओर जा रहे हैं, क्यों ?
4. हमारी मातृभाषा एवं नेगचार मिटते जा रहा है, क्यों ?
5. हमारी परम्परा एवं पुरखों का आदर्ष कैसे बचेगा ?
6. हमारे बच्चे पढ़ाई–लिखाई में कैसे आगे बढ़ेंगे ?
7. हमें दूसरे लोग निम्नतर समझते हैं, क्यों ?
8. अखड़ा, क्यों सूना हुआ ?
9. धुमकुड़िया, क्यों मिट गया ?
10. पड़हा, क्यों नहीं बैठता है ?

गाँव की समस्या एवं समाधान के उपाय :–

उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु अंतिम तीन प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ना ही समस्या के समाधान का द्वार खोलता है। पूर्वजों ने वर्षों के अनुभव के आधार पर यह मार्ग तैयार किया था, किन्तु हम सबों ने इसे त्याग कर भारी भूल की और अब हमें पछतावा हो रहा है। वर्तमान भूमण्डलीकरण के दौर में अपने गांव–समाज को आधुनिक व्यवस्था को अपनाने के साथ अंतिम तीन प्रश्नों के उत्तर के अनुरूप चलना पड़ेगा तभी समाधान निकलेगा।

समाधान के उपाय –

1. ग्रामसभा (पद्दा सबहा) को सबल और प्रगतिशील बनाना।

2. पड़हा को सबल और प्रगतिशील बनाना।

3. अखड़ा फिर से सजे, अखड़ा फिर से गहजे। पद्मश्री डा० रामदयाल मुण्डा जी कहा करते थे – जे नाची से बाची।

4. धुमकुड़िया पुनर्गठित हो। डा0 मुण्डाजी की स्वप्न था– अखड़ा के पास ही एक धुमकुड़िया हो, जहाँ पुस्तकालय एवं दैनिक समाचार पत्र के साथ प्राथमिक उपचार की सामग्री भी हो। धुमकुड़िया से शिक्षित व्यक्ति को धमसरका आल अर्थात Trained person या कठिन मेहनत से तैयार हुआ अथवा तपकर निखरा हुआ व्यक्ति। गांव स्तर पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा और आज के डिजिटल युग में ऐसा संभव हो सकता है। इसके लिए वजन मषीन, डिजिटल ब्लड प्रेसर मशीन, पल्स आक्सीमीटर मशीन और थर्मामीटर आदि उपकरणों की आवश्यकता होगी। इन उपकरणो के माध्यम से थोड़ा सा प्रशिक्षण देकर लोगों को जागरूक किया जा सकता है। इस जागरूकता का फायदा जरूरतमंद लोगों को समय रहते अस्पताल पँहुचाया जा सकता है।
5. हमारे भाई–बहन अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र (आदिवासी) के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं किन्तु जिसके सहारे वे आगे बढ़ रहे होते हैं उन सहारों को मुड़कर देख नहीं पा रहे हैं। यदि आगे बढ़े हुए लोग अपनी कमाई का एक प्रतिशत हिस्सा गाँव के धुमकुड़िया को दान करें तो शायद गाँव की समस्या का समाधान हो जाय। क्या, आदिवासी ऐसा करने की इच्छा रखते हैं ? यदि, इच्छा रखते हैं तो इस कार्य को आगे बढ़ाएँ।

धुमकुड़िया के पुनर्गठन का उदेश्य :–

1. भाषा–लिपि, संस्कृति, परंपरा, रीति–रीवाज आदि की रक्षा।

2. ग्रामीण शिक्षा के माध्यम को माध्यम बनाकर वर्तमान शिक्षा की उँचाई तक पँहुचना।

3. कृषि एवं वन आधारित रोजगार उन्मुख षिक्षा।

4. सामाजिक नेतृत्व के लिए लोगों को तैयार करना।

5. सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों के प्रति लोगों में जागृति लाना।

6. स्वास्थ्य जनशिक्षा का प्रचार–प्रसार।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अवसर दिलाना एवं प्रचार–प्रसार करना।

संरचना :–

धुमकुड़िया के सदस्यों के चार वर्ग निर्धारित हैं –

1. 4था वर्ष से 6ठा वर्ष तक – लेद्दे तूड़ (Pre Dhumkuriya age, Pre School age).
2. 7वाँ वर्ष से 12वां वर्ष तक – सन्नी तूड़ (Dhumkuriya age, Primary School age).
3. 13वाँ वर्ष से 17वां वर्ष तक – चेंड़ा तूड़ (Young Dhumkuriya, Secondary School age).
4. 18वाँ वर्ष से शादी तक – कोहाँ तूड़ (Youth Dhumkuriya age,Higher School age)

जैसा कि हम सभी देख समझ पा रहे हैं कि धुमकुड़िया प्रवेश का समय 7वें वर्ष में किया जाना है परन्तु धुमकुड़िया के सामने यदि छोटा बच्चा आए तो उसे दूर नहीं किया जा सकता है। अतएव उसे Pre School या Nursery की तरह सन्नी तूड़ की गिनती में रखा जाता है। आरंभिक दौर में धुमकुड़िया में लिंग भेद नहीं होता है। परन्तु जैसे–जैसे उम्र बढ़ता है वैसे–वैसे सामाजिक मर्यादा एवं जिम्मेदारी भी बढ़ती है। बड़े उम्र के लड़कियों के लिए पेल्लो एड़पा की अलग व्यवस्था होती है, जहाँ लड़कों या मर्दों का प्रवेश वर्जित किया गया है। पेल्लो, वैसे बच्चियों को कहा जाता है जिसका मासिक धर्म शुरू हो जाता है और उसे एक समारोह के माध्यम से पेल्लो एड़पा मंक्खना (युवती गृह प्रवेश) नेग किया जाता था। बअ़नर एका कुकोय गही मईख़ना (menstruation) मनी, आ कुकोय गही जिया–कया दव रअ़ई। मई गही मईख़ना (मई गही ख़ेःस काःना) का अर्थ मासिक धर्म (महिलाओं का मासिक चक्र) आरंभ होना है। अर्थात जिस लड्की का मासिक धर्म आरंभ होता है वह युवती स्वस्थ रहती है तथा जिसका मासिक धर्म नहीं होता है वह स्वस्थ्य नहीं रहती है।

पेल्लो एड़पा, धुमकुड़िया परिक्षेत्र में अलग से एक व्यवस्था होती थी। पूर्व में यह घर कहीं–कहीं किसी विधवा औरत के घर पर भी हुआ करता था, जिससे उस वृद्धा को लोगों का सहारा भी मिलता था। इसी तरह लड़कियों के लीडर को पेल्लो कोटवार तथा लड़कों के लीडर को जोंख़ कोटवार कहा जाता है। कई लेखक, धुमकुड़िया को जोंख़ एड़पा अर्थात युवा गृह कहते हैं, पर यह सही नहीं है। धुमकुड़िया में लड़के एवं लड़कियाँ समान रूप से सहभागी हैं परन्तु पेल्लो एड़पा में उम्र के दृष्टिकोण से एक अनुशासनात्मक अलगाव है, जो सामाजिक सुरक्षा के नियम से अनुचित नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ जब किसी लड़के या लड़की का बेंज्जा (विवाह) निर्धारित होता है, तब उस लड़के या लड़की को धुमकुड़िया से विदाई की जाती है। यहाँ पठन–पाठन का कार्य कोहाँ तूड़ (सिनियर वर्ग) के छात्रों द्वारा किया जाता रहा है। वर्तमान में इसे एक अनुशिक्षक के तौर पर किसी जानकार व्यक्ति को ग्रामसभा द्वारा चयनित किया जा सकता है। समय की मांग के अनुसार सभी सदस्यों को यह आजादी होगी कि

वे शनिवार एवं रविवार को छोड़कर अपने सुविधा के अनुसार ही धुमकुड़िया में शामिल हों। अर्थात वे शनिवार एवं रविवार को आवश्यक रूप से धुमकुड़िया के कार्यक्रम में शामिल हों। धुमकुड़िया को कुछ लोगों ने युवागृह या अंगरेजी में Dormitory (श्यनागार) कहा करते हैं जो निश्चित रूप से नकारात्मक एवं अमान्य है, क्योंकि 18 से 40 वर्ष की आयु वाले लोगों के लिए युवा शब्द का व्यवहार होता है। यह युवक–युवतियों के सोने का घर मात्र नहीं है। यह स्थान, बचपन एवं लड़कपन सँवारने का केन्द्र है। यह चेंड़ा जोंख़–पेल्लो अर्थात किशोर–किशोरी उम्र (18 वर्ष से कम वाला उम्र) वाले लोगों का व्यक्तित्व एवं कौशाल विकास केन्द्र है।

बेंज्जा (विवाह) का उम्र निर्धारण के संबंध में एक गीत गाया जाता है –

12 बछर नू बईनी सिंगराःरा,
बईनी जिया पेल्लो मना गे सपड़ाःरा।

12 चन्ददो, 13 मईख़ना,
पेल्लो मना गे माःनिम ढूःरना।

माघे चन्नदो उल्ला धरतआ,
बईनी जियन पेल्लो एड़पा कोरेतआ।

7 चान करम उबुस्त'आ,
करम डउड़न अमके किरितआ।

12 चन्ददो 13 राःगे, तेंग्गा चप्पा डहरे बाट,
बेंज्जा नना खोंड़हा नु, पंग्गे रओ पड़हा पाट।।

बेंज्जा (विवाह) के संबंध में एकगीत ऐसा गाया जाता है –

गोहला–कुड्डी ननर, मनी–मघा चाँख़रा,
सयो मघन बंदा बांज़्जिया, रे,
सयो मनिन बंदा बांज़्जिया।

जूःड़ी–पाँःती संग्गे, मघा तरा काःदर,
मघा बंदा निमन बांज़्जो, रे,
मनी बंदा निमन बांज़्जो।

पाठ्यक्रम :–

1. गीत, नृत्य–संगीत, कहानी, कविता, रीतिरिवाज, परंपरा, नेगचारआदि।
2. वर्तमान षिक्षा पद्धति का पाठ्यक्रम (कुँड़ुख़, हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि)।
3. सरकार के सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होना आदि।

समय :–

परम्पारिक पाठशाला एव ंआधुनिक पाठशाला को एक साथ जोड़ने हेतु धुमकुड़िया संचालन के लिए संध्या 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक का समय उपयुक्त है क्योंकि संध्या वेला में खेतिबारी या आधुनिक पाठशाला से जुड़े, दोनों तरह के बच्चे समय निकाल सकेंगे। वैसे वर्तमान समय में UNICEF एवं राज्य सरकार के देखरेख में आंगनवाड़ी केन्द्र प्रत्येक गांव या कस्बा में चलाया जा रहा है, जो दिन–दोपहर में चलता है। इसलिए धुमकुड़िया के संचालन का समय निर्धारण गांव वाले युवक–युवतियाँ अपने सुविधानुसार तय कर सकते हैं। राज्य सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में पूर्वशिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 से 6 वर्ष के बच्चों के देखभाल या आरंभिक शिक्षा हेतु आंगनवाडी की तरह धुमकुड़िया के संचालन का समय निर्धारण सुबह 9 बजे से 12 बजे रखा जा सकता है अथवा समाज के लोग परिस्थिति के अनुसार समय निर्धारण करें। समाज में धुमकुड़िया का प्रभाव अथवा प्रचलन कम होने या विलुप्त होने का कारण एक लोककथा इस प्रकार हैं कि किसी समय में धुमकुड़िया स्थल से दो बच्चे को एक जोड़ा बाघ द्वारा उठा कर ले जाया गया और गांव वालों के साथ मिलकर खोजने के बाद भी वह दोनों बच्चा नहीं मिला। तब से लोग ग्राम देवता की इच्छा एवं संकेत मानकर अपने बच्चों को धुमकुड़िया भेजना छोड़ दिये। पर वर्तमान में धुमकुड़िया की आवश्यकता को देखते हुए इसे भविष्य में आने वाले खतरे के लिए पूर्व से ही तैयारी रखने का इशारा समझ कर इसकी सुरक्षा के उपाय के साथ पुनर्गठन करना होगा। अर्थात बच्चों की शिक्षा एवं उन्नति के लिए अभिभावक की जागरूकता तथा जिम्मेदारी को आवश्यक बनाना होगा।

संचालन व्यवस्था :–

1. गाँव स्तर पर –

यह सिर्फ गाँव के युवक–युवतियों का संगठन होगा तथा इसे गांव वाले मिलकर चलाएंगे। समाज की ओर से इसके लिए एक पारा शिक्षक/अनुशिक्षक/जोंख़ लूरगढ़िया (Para teacher boys), पेल्लो लूरगढ़िया (Para teacher girls) चुनेजाएँ। सरकार, इसके संचालन में मदद करे। संचालन समूह इस प्रकार होनी चाहिए – धुमकुड़िया पचगी कोटवार,

धुमकुड़िया जोंख़ कोटवार, धुमकुड़िया पेल्लो कोटवार, पेल्लो लूरगढ़िया, जोंख़ लूरगढ़िया, धुमकुड़िया सवंगिया।

2. राष्ट्रीय खुला विद्यालय से जोड़कर –

कई गांव या कई पड़हा मिलकर National Institute of Open School (NIOS) से जुड़कर धुमकुड़िया खुला विद्यालय (Dhumkuriya Open School) चलाया जाना चाहिए, जिससे स्कूल से वंचित बच्चे तथा नवयुवक अपनी शिक्षा पूरी कर सकें अर्थात – From Dhumkuriya to Modern Education.

3. केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की जनजातीय कल्याण एवं शिक्षा योजना के अन्तर्गत–

प्रत्येक धुमकुड़िया के लिए एक पारा शिक्षक / अनुशिक्षक के जैसे जोंख़ लूरगढ़िया (Para teacher boys) या पेल्लो लूरगढ़िया (Para teacher girls) का चुनाव कर आर्थिक मदद किया जाना चाहिए, जिसे गांव के संचालन समूह के देखरेख में संचालित कि या जाए। इन जोंख़ लूरगढ़िया या पेल्लो लूरगढ़िया का चयन, ग्रामसभा द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाए तथा किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर ग्राम सभा द्वारा नये सिरे से चयन किया जाए। साथ ही, इससे संबंधित क्रिया–कलाप को अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी को सूचित किया जाए।

आय के श्रोत –

1. मासिक सहयोग राषि से।
2. साप्ताहिक सहयोग राषि से। जैसे – मुठा चावल।
3. वार्षिक ग्रामीण सहयोग से।
4. सामूहिक खेती एवं वनोत्पादन से।
5. समाजसेवी संस्थाओं एवं समाजसेवियों के दान से।
6. सरकारी मदद से।

गाँव की शक्तियाँ :–

पद्दन ख़ोंड़ना अरा संभड़ाअ़ना सवंग
(साय गोटंग गुरूवट मन्तरा) :–

1. पड़हा – ओरमा सेयानर गे, सभी के लिए।
2. अखड़ा – ओरमर गे, सभी के लिए।
3. धुमकुड़िया – मल बेंजेरका जोंख़र–पेल्लर गे।
4. चाःलापिण्डी (चाःला अयंग अड्डा) – ओरमर गे, पहें पद्दा ता चाःलो लेखआ।
5. देबीपिण्डी (देबी अयंग अड्डा) – ओरमरगे।
6. पद्दा सबहा (ग्राम सभा) – सबुति उइना अरा चिअ़ना अड्डा, गाँव की सभा।
7. बिसुसेन्दरा – कई पड़हा मिलकर की गई विशेष सभा।

वर्तमान गांव की आवश्यकता :–

1. प्राथमिक उपचार का साधन (First aid)
2. पुस्तकालय (Library)
3. पाठशाला (School) – परम्पारिक (Conventional) एवं आधुनिक (Modern)
4. दूरसंचार का साधन (Tele-communication)
5. खेलकूद एवं मनोरंजन का साधन (Sports & entertainment)

धुमकुड़िया हेतु संसाधन की आवश्यकता :–

1. प्राथमिक उपचार का साधन (First aid) – साधारण दवाईयाँ, वजन मशीन, डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन, पल्स आक्सीमीटर मशीन और थर्मामीटर।
2. पुस्तकालय (Library) – दैनिक समाचार पत्र, पुस्तक, पत्रिका।
3. पारम्परिक (Conventional) एवं आधुनिक (Modern) पाठशाला हेतु संसाधन।
4. दूरसंचार का साधन (Tele&communication) – रेडियो, टेलिविजन एवं इन्टरनेट।
5. खेलकूद एवं मनोरंजन का साधन (Sports & entertainment) – हॉकी, फुटबाल, क्रिकेट, तीरंदाजी तथा मांदर, ढोल, नगाड़ा, झांईझ आदि।
6. परम्परागत खेलकूद एवं सांस्कृतिक विरासत का पुनर्रावलोकन (Traditional sports & cultural rehabilitation). ....

**शोध एवं संकलन :–
डॉ० नारायण उराँव ''सैन्दा''
ग्राम सैन्दा, थाना सिसई, जिला गुमला (झारखण्ड)
मो० – 9771163804, दिनांक – 18 दिसम्बर 2022

6. जुलाई 1996 में तोलोङ सिकि पर भाषाविदों से ध्वनि विज्ञान विषय पर दिशा–निर्देश

नई लिपि विकास के क्रम में मैं (डॉ0 नारायण उराँव) भाषाविद डॉ0 फ्रांसिस एक्का के साथ बिहार की राजधानी पटना के होटल 'सम्राट' में 27 एवं 28 जुलाई 1996 ई0 को मुलाकात किया। डॉ0 एक्का, ACTION AID नामक संस्था के सेमिनार में आये हुए थे। उनके साथ मैंने कई प्रष्नों पर विस्तृत चर्चा किया। परिचर्चा के दौरान डॉ0 एक्का के विज्ञान, तकनीकी तथा कम्प्यूटर की बातों में मैं उलझ गया। इसी तरह गाँव–समाज की बातों में डॉ0 एक्का भी उलझ गये। मैंने कहा – आदिवासी समाज अपने सभी नेगचार–अनुष्ठान, संस्कार–संस्कृति आदि घड़ी की विपरीत दिषा में सम्मन्न करते हैं। आधुनिक मषीन द्वारा इन बातों को नजर अंदाज किया जाता है। इसलिए नई लिपि संस्कृति आधारित हो। दूसरे दिन, *28 जुलाई* को इन बातों पर फिर नये सिरे से परिचर्चा हुई और प्रकृति विज्ञान आधारित रहस्यों, सामाजिक सह सांस्कृतिक अवदानों एवं भाषा वैज्ञानिक सिद्धातों के आधार पर झारखण्ड आन्दोलन को को देखते हुए डॉ0 एक्का ने सुझाव दिया – दुनियाँ में कोई भी लिपि 100 प्रतिषत सही नहीं है तथा दुनियाँ की सभी लिपियाँ, समाज एवं संस्कृति पर आधारित हैं। मानव, सर्वप्रथम बोलना सीखा, उसके बाद लिखना एवं पढ़ना। वर्तमान परिवेष में आदिवासी समाज को भी अपनी भाषा–संस्कृति को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने हेतु सामाजिक सह सांस्कृतिक आधार वाली लिपि तैयार करनी होगी। नई लिपि में निम्न प्रकार के गुण होने चाहिए –

डॉ. फ्रांसिस एक्का

(क) नई लिपि, आदिवासी समाज और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला हो।

(ख) नई लिपि, एक ध्वनि, एक संकेत के अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि विज्ञान के सिद्धांत के अनुरूप हो।

(ग) आदिवासी भाषा के सभी मूल ध्वनियों का संकेत चिन्ह हो, संयुक्ताक्षर ध्वनि का नहीं।

(घ) नई लिपि के अक्षर का नाम और ध्वनिमान में समानता हो।

(ङ) International Phonetics Alphabet (IPA) के अनुरूप 6 मूल स्वर पर आधारित हो।

(च) नई लिपि में, लिखने और पढ़ने में समानता होनी चाहिए।

(छ) नई लिपि, लिखने और समझने में आसान तथा सरल हो।

(ज) अक्षर सिखलाने का तरीका आसान से कठिन की ओर होना चाहिए।

(झ) नई लिपि में *phoneme* के लिए ध्वनिचिन्ह होने चाहिए, *allophones* (स्वनिम) के नहीं।

(ञ) नई लिपि, अपने भाषा परिवार के अनुरूप *Sitting Script* समूह के होने चाहिए।

(ट) नई लिपि, वर्णात्मक लिपि हो तथा अधिक से अधिक लिपि चिन्ह का घुमाव दायें से बायें होते हुए दायें की दिशा में बढ़ने वाला हो क्योंकि अधिकतर लोग दायें हाथ से लिखने वाले होते हैं।

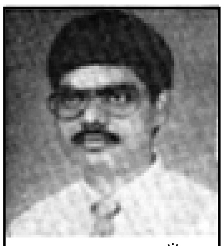
डा. नारायण उराँव

पटना में, वर्ष 1996 में डॉ. एक्का से मुलाकात से पहले मैं कई बार पत्र लिखा तथा व्यक्तिगत रूप से भेंट कर बातचीत करने की इच्छा प्रकट की। इसी क्रम में मैं सितम्बर 1994 में एक पत्र लिखा जो उन्हें 30.09.1994 को मिला। इस पत्र के उत्तर में उन्होंने सुझाव दिया कि मैं पटना या राँची आने पर खबर कर दूँगा। 13 जनवरी 1995 को लिखा गया उनका पहला पत्र प्राप्त हुआ। इसी तरह जानकारी मिली कि वे पटना आ रहे हैं। तब मैं पटना जाकर मिला और लिपि विकास में उठ रही समस्याओं के समाधान हेतु मार्गदर्षन प्राप्त किया। डॉ0 एक्का ने सुझाव दिया कि – मैं International Phonetic Alphabet के सिद्धांत पर कार्य करूँ।

दिनांक : 28.07.1996 – डॉ0 नारायण उराँव

7. ग्राफिक्स ऑफ तोलोङ सिकि का लोकार्पण एवं आवष्यक संषोधन हेतु मार्गदर्शन

डॉ0 नारायण उराँव द्वारा वर्ष 1997 में एक पुस्तक की रचना की गई, जिसका नाम – Graphics of Tolong Siki रखा गया। इसे सामाजिक सहयोग से छपवाया गया। इस पुस्तक का लोकार्पण दिनांक 05.05. 1997 को राँची विष्वविद्यालय, राँची के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में हिन्दी दैनिक, प्रभात खबर के प्रधान सम्पादक श्री हरिवंष जी के द्वारा सम्पन्न हुआ। समारोह में श्री हरिवंष जी ने कहा – वर्तमान भूमण्डलीकरण के दौर में पूरे विष्व में, भाषाएँ सिमटती जा रही हैं। आकलन है कि विष्व में लगभग 16000 हजार भाषाएँ बोली जातीं थीं, जो इस सदी के अंत तक मात्र 6000 हजार रह जायेंगी। यह, समस्त मानव जाति के लिए घोर संकट का विषय है। आज का यह समारोह भाषा बचाने के कार्य के रूप में इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। इस लिपि की प्रस्तुति पर डॉ0 बी0 पी0 केसरी को छोड़कर सभी सहमत हुए। डॉ0 बी0 पी0 केसरी ने कहा – एखन दुनियाँ, चांद में पोंहईंच गेलक, लकिन ई जगे आदिवासी मन कबिला–कबिला कर बात करेक लाइग हँय। अब आदिवासी मनके देष कर मुख्य धारा से जुड़ेक चाही। उसके बाद, मुख्य वक्ता डॉ0 रामदयाल मुण्डा द्वारा पुस्तक में, हिन्दी वर्णमाला के आधार पर प्रस्तुत किये गये तरीके में बदलाव करने तथा सामाजिक सह सांस्कृतिक आधार वाली तथा भाषा वैज्ञानिक तथ्यों वाली प्रस्तुति करने का सुझाव दिया गया। डॉ0 मुण्डा ने कहा – एखन कर बेरा में आदिवासी मन के देष कर मुख्य धारा संगे जुड़के चाही, संगे–संगे आपन सांस्कृतिक विरासत के बचायक ले भी तेयारी करेक चाही। अब, आदिवासी मन के, हिन्दी आउर अंगरेजी विषय कर पढ़ाई संगे पुस्तैनी बिरासत के बचाय ले मातृभाषा में पढ़ेक–लिखेक भी आवष्यक होवी। ई पुस्तक में, राष्ट्रीय एकता रूपी गुलदस्ता में, आपन सांस्कृतिक धरोहर रूपी गुलैची आउर गेंदा फूल के चिन्हेक, चुनेक आउर जोगाएक कर काम, डॉ0 नारायण उराँव षुरू कइर हँय। इकर ले उनके आउर उनकर पूरा टीम के बहुत–बहुत बधाई। नया लिपि में ई लेखे गुन होवेक चाही –

(क) नया लिपि, एक ध्वनि, एक संकेत कर अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि विज्ञान कर सिद्धांत लेखे होवे।

(ख) आपन भाषा कर सउब मूल ध्वनि ले चिन्ह होवेक चाही। संयुक्त ध्वनि ले लिपि चिन्ह ना होवे।

(ग) अक्षर सिखाएक कर तरीका आसान से कठिन दने जाएक लेखे होवेक चाही।

(घ) नया लिपि, आदिवासी समाज और संस्कृति कर प्रतिनिधित्व करेक चाही। आदिवासी मने प्रकृति से सीख के आपन दैनिक जीवन में दायाँ से बायाँ अर्थात वर्तमान घड़ी कर विपरित दिषा में कर्मकांड करयना। ई बात मने भी लिपि चिन्ह में दिखेक चाही।

(ङ) नया लिपि में, लिपि चिनहां कर नाम आउर ध्वनिमान एके लेखे होवेक चाही।

(च) तकनीकी विज्ञान कर अनुरूप चिनहाँ के राखल जाएक चाही। पढ़ेक आउर लिखेक में समानता होवे।

(छ) कम से कम चिनहाँ से अधिक से अधिक ध्वनि कर प्रतिनिधित्व होवे चाही।

(ज) भाषा विज्ञान में कहल जाएला कि छउवा मने ''प वर्गीय'' षब्द से बोलेक षुरू करयना, से ले समाज और सभ्यता कर विकास कर भी बात सामने आवेक चाही।

डॉ0 रामदयाल मुण्डा

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर नई लिपि में सुधार किये जाने पर उपस्थित सभी लोगों की सहमति बनीं। तोलोंग सिकि लिपि पर परिचर्चा तथा डॉ0 मुण्डा जी के मार्गदर्षन से यह भाषा–लिपि विषय द्रविड़ भाषा परिवार की लिपि के रूप में प्रोत्साहित हुई और कुँड़ुख़ भाषा की नई लिपि विकास को भाषा विज्ञान का दृष्टिकोण मिला।

– श्रीमती मीना टोप्पो
व्याख्याता, राँची कॉलेज, राँची
दिनोंक : 05.05.1997

8. तोलोङ सिकि लिपि 15 मई 1999 ईं0 को जनमानस के व्यवहार के लिए जारी

डॉ0 रामदयाल मुण्डा, पूर्व कुलपति, राँची विष्वविद्यालय, राँची एवं डॉ0 (श्रीमती) इन्दु धान, पूर्व कुलपति, मगध विष्वविद्यालय, बोधगया एवं सिद्‌हु–कान्हु मुरमु वि0, दुमका द्वारा संवादाता सम्मेलन कर दिनांक 15 मई 1999 ई0 को तोलोंग सिकि (लिपि) को जनमानस के प्रयोग के लिए जारी किया गया। संवादाता सम्मेलन में डॉ0 रामदयाल मुण्डा, डॉ0 (श्रीमती) इन्दु धान, डॉ0 नारायण भगत, डॉ0 नारायण उराँव, प्रो0 मीना टोप्पो, श्री मनोरंजन लकड़ा, श्री हिमांषु कच्छप, श्री मनोहर लकड़ा, श्री महेश भगत एवं श्री साधु उराँव उपस्थित थे।

(5) रांची एक्सप्रेस, रविवार, 16 मई 1999

तोलोंग सिकि (लिपि) जनमानस के प्रयोग के लिए जारी

रांची, 15 मई (रा.ए.सं.) : झारखण्ड क्षेत्र की भाषा के लिए तोलोंग सिकि नामक नयी लिपि का विकास कर लिया गया है। तोलोंग सिकि प्रचारिणी सभा, सिरासित प्रकाशन एवं ट्राइबल रिसर्च, एनालिसिस कम्युनिकेशन एण्ड एडुकेशन (ट्रेस) की ओर से संयुक्त रूप से इस लिपि (तोलोंग सिकी) को जन-मानस के बीच व्यवहार के लिए आज जारी किया गया।

ट्रेस एवं तोलोंग सिकि प्रचारिणी सभा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज एक संवाददाता इस लिपि को अंगीकार कर लिया है। इसी प्रकार दूसरे भाषा-भाषी भी अपनी आवश्यकता एवं इच्छानुसार इसे व्यवहार में ला सकते हैं।

संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि राज्य सरकार से लिपि को मान्यता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की व्यवस्था जनजातीय भाषा विभाग करेगा। इस लिपि की खोज के इतिहास के संबंध में चर्चा करते हुए बताया गया कि भाषा एवं साहित्य के बचाव तथा विकास की दिशा में यह एक अनूठा कार्य है।

पेशे से चिकित्सक डा. नारायण उरांव 'सैन्दा' एवं उनके साथियों द्वारा गत 7-8 वर्षों के अनवरत सम्मेलन में यह जानकारी दी गयी। इस लिपि के विकास के लिए उपर्युक्त दोनों संगठनों की ओर से छह सेमिनार एवं कई सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। इन सम्मेलनों में कई भाषाविद्, शिक्षाविद्, समाजसेवी एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लेकर इसकी आवश्यकता एवं औचित्य पर विचार विमर्श किया। वक्ताओं ने कहा कि यहां के जनमानस द्वारा वर्षों से जिस चीज की कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को तोलोंग सिकि ने पूरा किया। 19 सितम्बर 1998 को बिहार जनजातीय शोध एवं समाज कल्याण संस्थान, मोराबादी रांची द्वारा आयोजित एक सेमिनार में कुडुख भाषा-भाषियों ने प्रयास के बाद 'तोलोंग सिकि' नामक लिपि का शोध-संकलन किया गया। अब तक इस क्षेत्र के सिर्फ कुडुख (उरांव) भाषी ही लोग इसे अपनी भाषा की लिपि कह पाए हैं।

डा. उरांव का कहना है कि यह लिपि झारखण्ड वनांचल की आदिवासी भाषाओं की लिपि बन सकती है। यह लिपि उनके समाज के लिए नया नहीं है। उन्होंने समाज में प्रचलित अनुष्ठान चिन्हों एवं दिनचर्या के खेल-खेल में खींचे जाने वाले चिन्हों को संकलित कर उन्हें भाषा विज्ञान एवं ध्वनि विज्ञान के सिद्धान्तों के अनुरूप संवारा है। लिपि के नामकरण के संबंध में डा. नारायण का कहना है कि तोलोंग एक प्रकार का आदिवासी पोशाक है। यह 24 हाथ लम्बा तथा 1-1/2 हाथ चौड़ा कपड़ा होता है। इसे कमर में लपेट कर पहना जाता है। इसकी खासियत यह है कि यदि इसके पिछले भाग को खींचा जाय तो लगभग 20 हाथ लंबा खींचा जाता है। कमर में लपेटने से बने इसके विभिन्न स्वरूपों को ध्वनि चिन्हों के रूप में प्रयोग किया गया है। दूसरी बात यह है कि तॉल+ओंग का अर्थ संताली भाषा में बंधी हुई ध्वनि तथा सिकि का अर्थ चिह्न होता है अर्थात् 'तोलोंग सिकि' का अर्थ बंधी हुई ध्वनि चिन्ह हुआ।

इस लिपि के चिन्हों को आधुनिकतम तकनीक यानि कम्प्यूटर सिद्धान्त के अनुरूप स्थापित किया गया है। डा. उरांव ने जानकारी दी कि कम्प्यूटर पद्धति के डिस्प्ले को उन्होंने आदिवासियों द्वारा किया जानेवाला डंडा कट्टना पूजा अनुष्ठान में खींचे जाने वाले वेदि चिन्ह के आधार पर तैयार किया है। इस वेदि चिह्न में जितनी रेखाएं हैं, उतने ही अंग्रेजी वर्ण रखे गए हैं।

इस लिपि को निर्णायक स्वरूप प्रदान करने से पूर्व लगभग छह सेमिनारों एवं कई सम्मेलनों में आदिवासी विद्वानों, भाषाविदों, साहित्यकारों, समाज सेवियों, जन प्रतिनिधियों एवं शिक्षाविदों से सलाह मशविरा कर, आवश्यक संशोधन किया गया है। इस कार्य में रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डा. रामदयाल मुण्डा, बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य डा. करमा उरांव, विशप डा. निर्मल मिंज, बिहार स्वास्थ्य सेवा के पूर्व अपर निदेशक डा. विश्वनाथ भगत, कार्तिक उरांव कालेज गुमला के प्राचार्य डा. बहुरा एक्का, करमचंद भगत कालेज बेड़ो, के पूर्व प्राचार्य डा. ज्योतिलाल उरांव, सत्यभारती रांची के निदेशक प्रताप टोप्पो, सेवानिवृत्त अपर समाहर्ता हिमांशु कच्छप तथा मनोरंजन लकड़ा, अधिवक्ता वासुदेव बेसरा, रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्रो. इन्द्रजीत उरांव, अधीक्षण अभियन्ता अजित मनोहर खलखो, महिला पोलिटेकनिक के वेद प्रकाश श्रीवास्तव, गोस्सनर कालेज की व्याख्याता श्रीमती ज्योति टोप्पो, पूर्व छात्र नेता प्रभाकर तिर्की एवं विनोद कुमार भगत ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

संवाददाता सम्मेलन में डा. राम दयाल मुण्डा, डा. नारायण भगत, डा. नारायण उरांव, महेश भगत, साधु उरांव, मनोहर लकड़ा, मनोरंजन लकड़ा, हिमांशु कच्छप, प्रो. मीना टोप्पो एवं डा. इन्दु धान उपस्थित थे।

९. (कुँड़ुख़ तोलोङ सिकि तोःड़पाब)

Tolong Siki Alphabet / तोलोङ सिकि वर्णमाला

(सरह तोड़) = स्वर वर्ण (Vowels)

इ i   ए e   उ u   ओ o   अ a   आ ā

: (सेला) = लम्बी ध्वनि, • (मितला) = नासिक्य व्यंजन सूचक, ' (घेतला) = शब्दखण्ड सूचक,
~ (एवाँ) = नासिक्य स्वर सूचक, ‿ (रेवाँ) = लुप्ताकार र, । (हेचका) = विकारी अ

(हरह तोड़) = व्यंजन वर्ण (Consonants)

प् p	फ् ph	ब् b	भ् bh	म् m
त् t	थ् th	द् d	ध् dh	न् n
ट् ṭ	ठ् ṭh	ड् ḍ	ढ् ḍh	ण् ṇ
च् ch	छ् chh	ज् j	झ् jh	ञ् n̈
क् k	ख् kh	ग् g	घ् gh	ङ् ṅ
य् y	र् r	ल् l	व् w	ज़् ż
स् s	ह् h	ख़् x	ड़् ṛ	ढ़् ṛh

(लेक्खा) = संख्या, Numerals

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(ख़द्दर ही कत्थ लूर अरा कत्थ बेयाँख़ो) = बच्चों का भाषा ज्ञान और भाषा विज्ञान

(पा), (बा), (मा), (ता), (दा), (ना), (का), (गा), (जा),

(पपा) = रोटी, (बबा) = पिताजी, (ममा) = Cooked rice, भात।

(पल्ले) = दाँत, (बई) = मूँह, (मेलख़ा) = Epiglottis, उप कण्ठ।

(ततख़ा) = जीभ, (दुदु) = दूध, (नरटी) = Oesophagus, ग्रासिका।

ताःका एमसाःर'ई, पल्ले, बई, मेलख़ा, होलेम चीं:ख़नर ख़द्दर।

ततख़ा, दुदहिन, नरटी तरा तईयी, होलेम उज्जनर ख़द्दर।।

(कुड़ुख़ भाषा, संस्कृति, सामाजिक एवं प्राकृतिक अवदान तथा भाषा, विज्ञान आधारित लिपि)

तोलोङ सिकि (लिपि) का आधार

तोलोङ सिकि (लिपि) : आदिवासी भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, विज्ञान एंव आध्यात्म का अद्भूत प्रस्तुतिकरण

11. तोलोङ सिकि वर्णमाला का साहित्यिक विवेचना

** व्याख्याकार : डॉ0 (श्रीमती) ज्योति टोप्पो उराँव

कुँड़ुख़ कत्था अरा तोलोङ सिकि तोःड़पाब का अर्थ हिन्दी में तोलोंग सिकि वर्णमाला तथा अंगरेजी में Tolong Siki Alphabet समझा गया है। वर्णमाला का तात्पर्य, वर्णों का क्रमवार प्रस्तुतिकरण। पर माला का साधारण अर्थ किसी धागे में पिरोया हुआ वस्तु भी समझा जाता है, जो आकार या मात्रा के अनुसार आगे–पीछे भी हो सकता है। पर अंगरेजी का Alphabet षब्द का अर्थ Alpha के बाद Beeta का क्रम होना समझा जाता है। कुँड़ुख़ कत्था का तोलोङ सिकि तोःड़पाब, प्राचीन ग्रीक भाषा की अवधारणा जैसा है। तोःड़पाब में, पाब का अर्थ, क्रम या बारी होता है, जहाँ प के बाद ही ब आता है। इसलिए वर्णमाला में वर्णों का क्रम, प के बाद ब वाला रूप मान्य हुआ, जैसा कि कुँड़ुख़ पूर्वजों के द्वारा स्थापित पाब षब्द है। पूर्वजों द्वारा स्थापित षब्दों का चयन कर वर्णमाला के लिए *तोःड़पाब* नामित किया गया, जिसका अर्थ हिन्दी में वर्णमाला तथा अंगरेजी में Alphabet की तरह है।

तोःड़पाब दो श्रेणी में बँटा है। 1. सरह तोःड़, अर्थात स्वर वर्ण और 2. हरह तोःड़ अर्थात व्यंजन वर्ण। जो ध्वनि सर्र से निकलती है अर्थात बिना अवरोध के उच्चरित होता है, वह सर्र से सरह तोड़ कहा गया। इसी तरह जो ध्वनि हड़हुड़ाते हुए अर्थात अवरोध के साथ उच्चरित होता है, वह हड़हुड़ से हरह तोःड़ कहलाया। यह दोनों सरह एवं हरह शब्द, भाषा विज्ञान की परिभाषा के अनुसार रचित है।

तोलोङ सिकि वर्णमाला में, स्वर वर्ण का प्रथम वर्ण इ है तथा आ अंत में है। भाषा विज्ञान की मान्यता है कि बच्चे को सबसे पहले आसान शब्दों से सिखलाया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर इ ध्वनि सबसे आसान है तथा आ ध्वनि अधिक कठिन है। *तोलोङ सिकि का उद्भव एवं विकास,* पुस्तक में बतलाया गया है कि जन्म के बाद, नवजात बच्चे का लगाव एवं जुड़ाव, सबसे अधिक अपनी माँ के साथ होता है, उसके बाद पिता से, फिर आगे के जीवन में ईश्वर से, फिर अपने सगेसंबंधियों से और तमाम प्राकृतिक मानवेतर चीजों से। इस संबंध को कुँड़ुख़ में इंग्गयो, एम्मबस, उरबस, ओरमत, अद्दियर, आःलो अर्थात इ ए उ ओ अ आ के क्रम में अनुक्रमित किया गया है। अंतराष्ट्रीय ध्वनि विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार भी इ ए उ ओ अ आ क्रम की व्यवहारिक मान्यता है।

हरह तोःड़ अर्थात व्यंजन वर्ण का आरंभ प वर्गीय वर्ण से आरंभ किया गया है। इस संबंध में कुँड़ुख़ समाज आज भी अपने व्यवहारिक जीवन में सबसे पहले बच्चे को प वर्गीय षब्द सिखलाता है। रोटी को पपा, भात को ममा, पानी को मम, दूध को दुदु आदि कहकर सिखलाया जाता है। वयस्क जीवन में इन षब्दों का व्यवहार अपने लिए नहीं होता है, यह बच्चे को सिखलाने का तरीका है। इस संबंध में नवजात एवं षिषु रोग विषेषज्ञों का मानना है कि नवजात जब स्तनपान करता है तो उसके ओठ सक्रीय एवं मजबूत बनते हैं, इसलिए ओठ के सटने से उत्पन्न ध्वनि के उच्चरण को सीखने में बच्चे को आसानी होती है। चिकित्सा विज्ञान की दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि कुँड़ुख़ समाज में रोटी को पपा, भात को ममा, पानी को मम, दूध को दुदु आदि कहकर सिखलाये जाने की व्यवहारिक परम्परा विज्ञान सम्मत है। इस संबंध में षिषु विषेषज्ञों के अनुसार एक बच्चा 6वें महीने में एक आक्षरिक षब्द (पा, बा, मा, ता, दा, ना आदि) सीखता है तथा 9वें महीने में द्वी आक्षरिक षब्द (पपा, बबा, ममा, ददा आदि) एवं 1ले वर्ष के अंत में दो षब्द अर्थ सहित सीखता है। आधुनिक नवजात षिषु चिकित्सक जब बच्चे का Resuscitaion करता है तो सबसे पहले बई (mouth) को clear करता है, उसके बाद मुँई (nose) को। यहाँ भी ब के बाद म क्रम है।

तोलोङ सिकि के जनक डॉ0 नारायण उराँव स्वयं एक नवजात एवं षिषु चिकित्सक हैं, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुँड़ुख़ पूर्वजों के ज्ञान एवं अवधारणा को चिकित्सीय ज्ञान से तूलना कर व्याख्या करने का प्रयास किया है। डॉ० नारायण का कहना है कि कुँड़ुख़ पूर्वजों के ज्ञान की अवधारणा इतनी उच्च थी कि वे नवजात शिशु के जन्म के समय होने वाले विकारों को समझते थे। उनके समझ के अनुसार – ''ताःका एमसार'ई, पल्ले बई मेलख़ा, होलेम चींःख़नर ख़द्दर'' अर्थात जब वायु, दन्त, मूख विवर एवं उपरी कण्ठ को स्पर्ष करती है तभी बच्चा रोता है। इसी तरह – ''ततख़ा, दुदहिन, नरटी तरा नतगी, होलेम उज्जनर ख़द्दर'' अर्थात जब जीभ, दूध को भोजन नली की ओर खींचता है, तभी बच्चा जिंदा रहता है। इस तरह बच्चे के जीवन के लिए सबसे पहले रोना आवष्यक है, फिर आगे के जीवन के लिऐ दूध पीना भी आवष्यक है। जो प ब म तथा त द न की तरह का अनुक्रम, पूर्वजों के ज्ञान एवं धरोहर को स्पष्ट करता है।

** सहायक प्राध्यापक, संस्कृत
गॉस्सनर कॉलेज, राँची। साभार : बक्कहुही, अंक 6.

12. तोलोङ सिकि के संबंध में भाषाविदों एवं शिक्षाविदों के विचार

Dr. Nirmal Minj

Most adivasis are doubly deprived of their cultural identity. They begin their schooling in an alien script and language. Thus they have stepped two steps down their personal and community life. First their mother tongue is not recognized and they have no script of their own. To be an independent and free adivasi person and community they must have their own script and language for developing their literature and culture. The education through their own script and language will make the adivasi a real free and independent person and community with their self respect and dignity.

- Bishap Dr. Nirmal Minj Dated 04.04.1997
Ranchi

(साभार : तोलोंग सिकि का उद्भव एवं विकास)

Dr. Karma Oraon

Script is the third category for presentation and documentation of expression and conversations of human beings, where the symbolic and phonetic conversation stand first and second.

The tribal groups of the Jharkhand and neighbouring areas have been intending to develop a separate tribal script for better communication within their fold on the basis of social, cultural, historical and ecological backgrounds and settings.

Dr. Narayan oraon 'Sainda' along with the member of Sirasita Prakashan has made a landmark endeavour to develop the required aspect, which is known as 'Tolong Siki' (Tolong Script). ....

Dated 04.04.1997 - Dr. Karma Oraon

(साभार : तोलोंग सिकि का उद्भव एवं विकास)

डॉ0 बेनी एक्का

.... डॉ. नारायण, आप आदिवासी भाषाओं के लिए लिपि विकास में लगे हैं और आपकी समस्या है कि सभी स्वर ध्वनियों के लिए अलग–अलग लिपि चिन्ह रखे जाएँ अथवा देवनागरी लिपि की वर्णमाला की तरह हो। इसके बारे में एक अच्छा भाषा जानकार ही सलाह दे सकता है। मैं कुँड़ुख़ भाषा का अच्छा जानकार नहीं हूँ। .... फिर भी इस विषय पर मेरा सुझाव सुनिये – हमलोग हिन्दी भाषा की देवनागरी लिपि के मात्रा चिन्हों तथा इसके प्रयोग में अकसरहाँ उलझ जाते हैं। हिन्दी के हृस्व एवं दीर्घ उच्चारण और उसके चिन्हों को बायें तथा दायें ओर से लिपि चिन्ह दिये जाने में हमेषा ही उलझन होती है। संभव हो तो नई लिपि में इस समस्या का समाधान ढूँढ़ें और इस तरह के उलझन से लोगों को बचाएँ तथा खाश करके बच्चों के मददगार बनें।

– डॉ. फा. बेनी एक्का
निदेशक
जेवियर समाज सेवा संस्थान
राँची (झारखण्ड)

दिनांक – 09 अगस्त 1997

प्रो0 इन्द्रजीत उराँव

सय नारायण उराँवस गही ई 'कत्थ एःख़' तंगआ खोंड़हा का बेलख़ा ता होरमा आःलर गही उज्जना–ओक्कना अरा नन्ना खोंड़हन्ता आःलर गने ओड़ा–सड़ी मन्ना, मुन्ध ाभारे काःलर दरा ओन्टा अकय कोहा चम्बा चिओ। इन्ना ता चोक्खा मंज्जका बेड़ा नू सय नारायण उराँवस लेखआ अबगम बग्गे लूरगरियर गही चाड़ रअ़ई। एःन परपन्द जिया ती दव घोखदन अरा बाःख़दन का ईस गही ओःरे नंज्जका नलख बरना बेड़ा गे खोंड़हन्ता होरमा आःलर गही बोलतन माःनिम ओत्तर दरा निजिड़तआ ओंग्गो।

– श्री इन्द्रजीत उराँव, रीडर दिनांक – 13 मई 2001 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, राँची विश्3वविद्यालय राँची।

(साभार : तोलोंग सिकि का उद्भव एवं विकास)

डॉ0 बहुरा एक्का

.... तोलोंग–सिकि को कुँड़ुख़ कत्था की आधारभूत लिपि के रूप में मुझे अंगीकार करते हुए थोड़ी भी षंका नहीं है जहाँ तक अपनी भाषा की सहज जानकारी है और जिस पर मैं स्वंय को गौरवान्वित महषूस करता हूँ। आप तमाम कुड़ुख़ भाषियों एवं साहित्य प्रेमियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी इस पर गंभीरता पूर्वक चिन्तन–मनन करें तथा इसके माध यम से कुँड़ुख़ भाषा, साहित्य एवं संस्कृति को अक्षुण रखने में मदद करें। मैं इस लिपि के सृजनकर्ता के समर्पण, त्याग और तपस्यामूलक प्रयासों से अत्यधिक प्रभावित हूँ, जिन्होंने समुदाय के व्यापक हित में तोलोङ सिकि का सृजन कर समाज को अतुलनीय देन दी है। मैं डॉ. नारायण उराँव के मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।...

– डॉ. बहुरा एक्का

दिनांक – 12 फरवरी 2003 कुलपति, वि.भा.वि.,हजारीबाग (झारखण्ड)

(साभार : तोलोंग सिकि का उद्भव और विकास।)

डॉ. अरूण उराँव

संविधान के अनुच्देद – 29 में हमें अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार है। साथ ही साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के नजरिये से एक पूर्ण भाषा के लिए उस भाषा की स्वतंत्र लिपि एवं व्याकरण का होना आवश्यक है। अतः संवैधानिक अधिकार के दायरे में अपनी भाषा, संस्कृति एवं लिपि को बनाये रखने हेतु किया गया कार्य अति सराहणीय है। यह जानकर हमें अत्यधिक खुषी हो रही है कि आदिवासी भाषा के विकास हेतु झारखण्ड क्षेत्र में *तोलोंग सिकि* नामक एक लिपि का विकास हुआ है तथा कई विद्यालयों में इसकी पढ़ाई–लिखाई आरंभ हो चुकी है। संघ लोक सेवा की परीक्षा की तैयारी के दौरान मैंने आदिवासी समाज के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया और पाया कि जनजातीय समाज अपने ज्ञान भण्डार को संजो कर रखने में समर्थ नहीं रहा, जो इसके पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसके अतिरिक्त भाषायी एवं सांस्कृतिक पहचान हेतु किसी भाषा की लिपि का होना आवश्यक है। वैसे वर्तमान परिवेश में रोजगार की भाषा हिन्दी एवं अंगरेजी को सीखना है किन्तु एक तीसरी भाषा के रूप में अपनी मातृभाषा (आदिवासी भाषा) का पठन–पाठन भी आवश्यक है। तोलोंग सिकि के विकास से आदिवासी भाषा के विकास में नई जागृति एवं स्फूर्ती आयगी ऐसा मेरा विश्वास है। पेशे से चिकित्सक डॉ. नारायण उराँव एवं उनके सहयोगियों को इस महती कार्य के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ।

– डॉ. अरूण उराँव, आई.पी.एस.

दिनांक – 23 जून 2003 आरक्षी अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूमी, जमशेदपुर।

(साभार : तोलोंग सिकि का उद्भव और विकास।)

डॉ0 (श्रीमती) इन्दु धान

.... यदि हम वास्तव में अपने क्षेत्र के आदिवासियों की उन्नति चाहते हैं तो यह प्रयास करना होगा कि सूदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम से कम हर बच्चे को प्राथमिक षिक्षा मिले। वर्तमान षिक्षा प्रणाली में यह प्रबंध नहीं है कि प्राथमिक षिक्षा मातृभाषा में मिले, लेकिन तोलोंग लिपि को मान्यता मिल जाने पर यह संभव होगा कि आदिवासी बच्चे अपनी मातृभाषा में प्राथमिक षिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त हमारी परम्परा और हमारे इतिहास को भी लिपिवद्ध करने की आवष्यकता है। मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस क्षेत्र में बुद्धिजीवियों और षिक्षाविदों का ध्यान इस ओर आया है।

– डॉ. (श्रीमती) इन्दु धान
पूर्व कुलपति,
मगध विष्वविद्यालय, बोधगया (बिहार)

दिनांक – 27 अप्रैल 2003

(साभार : तोलोंग सिकि का उद्भव और विकास।)

अपनी भाषा और संस्कृति किसी जाति विषेष की पहचान होती है। हमारे आदिवासी समाज में बहुत सी भाषाएँ बोली जातीं है, पर कुछ भाषाओं की लिपि अभी तक विकसित नहीं हो पायी है। यही कारण है कि बहुत सी भाषाएँ लुप्त होने के कगार पर हैं। किसी भाषा की लिपि उस भाषा के लिए कवच की तरह है जो उसे स्थायित्व प्रदान करता है, उसे लुप्त होने से बचाती है।

डॉ.नारायण उराँव एवं उनके सहयोगियों द्वारा विकसित कुँड़ुख़ भाषा की लिपि तोलोंग सिकि इस दिषा में एक सराहनीय कदम है। इसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं।

– डॉ. विक्टर तिग्गा
पूर्व कुलपति
सिद्धू कान्हू वि.वि. दुमका (झारखण्ड)

दिनांक – 20 फरवरी 2011

डॉ0 विक्टर तिग्गा

श्री मिसिर उराँव

समाज की पहचान उसकी भाषा एवं संस्कृति से होती है। जिसमें भाषा, संस्कृति के वाहक के रूप में होता है। इसलिए संस्कृति के संरक्षण हेतु उसके वाहक अर्थात उसकी भाषा को संरक्षित एवं विकसित करना आवष्यक है। वर्तमान परिवेष में पुरखों की धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए उस भाषा की अपनी लिपि विकसित कर प्राथमिक कक्षा से विष्वविद्यालय स्तर तक पढ़ाई–लिखाई में स्थान दिया जाना चाहिए। वर्तमान भूमण्डलीकरण के दबाव से आदिवासी समाज की अस्मिता को संरक्षित एवं विकसित करने हेतु अपनी भाषा को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसी विचारधारा से राँची विष्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खोला गया और मुझे कुँड़ुख़ टेस्टबुक कमिटि का सदस्य की जिम्मेदारी मिली। भाषा बचाव एवं इसे अगली पीढ़ी तक ले जाने की दिषा में कुँड़ुख़ समाज के बुद्धिजीवियों ने तोलोंग सिकि (कुँड़ुख़ भाषा लिपि) विकसित कर कुँड़ुख़ भाषा विकास को गति प्रदान किया है, वे सभी बधाई के पात्र हैं।

– श्री मिसिर उराँव
पूर्व प्रतिकुलपति
सिद्धू कान्हू वि.वि. दुमका (झारखण्ड)
पूर्व कुलपति (कार्यकारी)
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (बिहार)।

दिनांक – 15.11.2015

डॉ0 माहिदास भट्टाचार्य

''किसी भाषा के सम्पूर्ण विकास के लिए उसके सांस्कृतिक धरोहर को बचाकर रखना आवष्यक है। साथ ही उस भाषा का नेत्र ग्राह्य रूप यानि उस भाषा की लिपि का होना भी आवष्यक है। वर्तमान भूमण्डलीकरण के दौर में यूनिवर्सल सिस्टम को अपनाते हुए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाये रखने हेतु मातृभाषा की षिक्षा जरूरी है, किन्तु भाषा एवं लिपि के विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए समाज को स्वयं आगे आना पड़ता है, सरकार इसमें मदद करती है। कुँड़ुख़ तोलोंग सिकि में प्रकाषित पुस्तक 'कइलगा', संस्करण–2013 में नासिक्य स्वर सूचक एवं नासिक्य व्यंजन सूचक दोनों के लिए अलग चिन्ह नहीं है। लेखन में दोनों स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।''

– डॉ. माहिदास भट्टाचार्य, भाषाविद्
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
जादवपूर यूनिवर्सिटी, कोलकाता

दिनांक : 06 जुलाई 2016

भाषा और संस्कुति का आपस में गहरा संबंध है। संस्कृति को बचाने के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने समुदाय द्वारा संचित ज्ञान, हस्तांतरित करने के लिए भाषा ही एकमात्र माध्यम है। भाषाओं का संरक्षण जैव संरक्षण जैसा ही महत्वपूर्ण है। हमारी जनजातीय भाषाएँ अनंत ज्ञान का श्रोत हैं। कई–कई हजार वर्ष पुरानी इन भाषाओं में षोध करने से बहुत सी अनसुलझी पहेलियाँ सुलझ रही हैं। इस वजह से जनजातीय भाषाएँ, खासतौर पर लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण की महती आवष्यकता है। डॉ. नारायण उराँव जो पेषे से बालरोग चिकित्सक हैं, वे मरीजों की देखभाल और परिचर्चा जिस समर्पण भाव से करते हैं, उसी भाव से मातृभाषा कुँड़ुख़ की सेवा भी करते हैं। अपनी मातृभाषा को सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करने की यह उनकी उत्कट अभिलाषा है, जिससे कुँड़ुख़ भाषा को कम्प्यूटर पर स्थान तो मिला ही, साथ में षिक्षा में भी उचित स्थान मिला है और इस भाषा को कई स्थानों पर पढ़ाया जाना षुरू कर दिया गया है। डॉ. उराँव का यह अतुलनीय प्रयास सभी भाषा–भाषियों को अपनी भाषा को संरक्षित करवाने और तकनीकी तथा षिक्षा एवं रोजगार की भाषा के रूप में स्थापित करवाने हेतु प्रेरित करेगा।

दिनांक : 21 फरवरी 2018

श्री दिलीप कुमार सिंह
(भाषाविद)
उपप्रबंधक (राजभाषा)
भारत कोकिंग कोल
लिमिटेड, धनबाद।

डॉ. एम. रहमान
भाषाविद् एसोसिएट प्रोफेसर,
आई.आई.टी.–आई.एस.एम. धनबाद।

Kurukh is a North Dravidian language of the Oraon tribe of East Central India and spoken by approximately two million people. In Dravidian languages the feature of vowels nasalization is less prolific but in Indo Aryan languages like Hindi, Gujrati, Punjabi etc, the nasal vowels are found. Tamil and Kurukh as Dravidian languages have the feature of vowel nasalization. The coupling of the oral – nasal tract in the vowel utterance of the Kurukh language, adds the vowel nasalization in the language as a distinctive feature. The onset of the syllable interestingly is the stop followed by the vowel which is nasalized. The nasalized vowels in Kurukh occur in the monosyllabic or disyllabic words.

दिनांक : 28 फरवरी 2018

कुँडुख़ लिपि तोलोंग सिकि गही ख़ीःरी

"कुँडुख़ कत्था गही ख़ीःरी गा दिघम रअ़ई। बरा नाम गुनईन ननोत। कत्था कछनखरना अरा अदिन एःरा गे सीःबा ख़ाःरना गही कत्था गा ननना मनो। इय्या कुँडुख़ कत्था अरा लिपि पइत्त नु अख़ना गही बखनी नंज्ज एःरोत। कछनखरना अरा ख़ेबदा ती मेनना मुनता ख़ीःरी तली, मुन्दा कत्थन मेनर की अदिन ख़न्न ती एःरना बेसे चिन्हाँ चिअ़ना एँड़ता चम्मबी तली। अदा - आद अंगरेजी, अदा - आद हिन्दी ! अन्नेम एःरर किम तेंग्गोर चिओर का इःद का आद एन्नेद का अन्नेद बओर। अवंगेम कुँडुख़ लिपि गही ख़ीःरी तेंग्गना अरा अदिन टूड़ना—बचना ही चाँड़ मनो।

एकअम लिपि नु 'तोःड़' उरमिन ती सन्नी दरा ओःरे चटख़ना तली। कुँडुख़ नु सरह तोःड़ 6 गोटंग **₽ V ℨ ४ ٦ ΙΙ /** इ ए उ ओ अ आ मनी अरा हरह तोःड़ गा 35 गोटंग मनी, अदिन इसन तेंग्गना चाँड़ मल्ला। पहें हरह तोःड़ 'प' ती ओःरे मनी। आद एन्ने **ᑌ ७ ᘎ ७ ω** बेसे इथिर'ई अरा इबड़द प् फ् ब् भ् म् ब'अर फुरूचतार'ई। इदिन गा कुँडुख़र अरा आदिवासी लूरगरियर घोःड़चर दरा एःदर चिच्चर का कुँडुख़ हहस तोःड़ इवन्दम मनो। अबड़न जोड़—नाड़ ननर किम सिखिरना मनो। फिन दिगहा, सन्नी फरक—फरक ननअम मनी। अदिन तेंग्गा गे चिनहाँ मनी। तोलोंग सिकि ही **₽** अरा हिन्दी गही इ हहसन दिगहा कमआ गे हिन्दी नु ि टूड़ना मनी, मुन्दा कुँडुख़ नु **:** चिआ ख़ने आद दिगहा मनी काःली। अन्नेम कुँडुख़ नु 'स' ओण्टे एका मनी। ष अरा **ष** मल मनी। हिन्दी ही क्ष, त्र, ज्ञ, श्र हुँ मल मनी। 'ख़' 'ज़' अरा अ़ तोड़ हिन्दी ती बिलग बि'ई।

इदा ! एरा तो एःन गा तोलोङ सिकि नुम नमुद चिआ—चिआ तेंग्गा बेद्दा लगदन। अक्कु एःन, तोलोङ सिकि एका से कुँडुख़ कत्था ही बखड़े नु बरचा दरा कोरचा अदिन अक्कु तेंग्गोन—मेन्तओन। एःन गा जोंःख़ परिया तिम कुँडुख़ लिपि पइत्त नु बेद्दा गे ओःरे नंज्जकन। ओःरे नु ओन्टा सामुएल रंका नाःमे ही मास्टरस सन्त पॉल लूरकुड़िया नु बचतआ लगियस। आ रंका मास्टरस कुँडुख़ लिपि ओत्थरस। आस – 'न' गे नेर्र बेसे चिनहाँ कमनुम केरस। मुन्दा टूड़ा गे उजगोम पोल्ला काःला। जोक्क गेच्छा काःलर आद मुंज्जरा केरा। इदि ख़ोःखा ओरोत डॉ. अनन्ती जेबा सिंह नाःमे ही तमिल मुक्का 'ब्राहमी लिपि' ती 'बराती लिपि' ओत्थरा। अदिन जोक्क कुँडुख़र इंजिरअर ''बाईबलन'' कुँडुख़ नु तरजुमा ननर आ ब्राहमी लिपि ती चिपताःचर। आद हिन्दी ती नन्ना मल एत्थरा। ई ब्राहमी लिपि हुँ बग्गे उल्ला ठठआ पोल्ला। मुन्ध नु फर्दिनेन्द हॉनस गने मिसनरी सहेबर रोमन लिपि ती ढेर बग्गे पुथि टूड़यर। नाम हुँ अदिन इंजिरअर टूड़ा—बचआ ओःरे नंज्जकत, मुन्दा आद हुँ बग्गे उल्ला संग्गे चिआ पोल्ला। रोमन लिपि ख़ोःख़ा कुँडुख़र देवनागरी लिपिन इंजिरअर दरा टूड़ा—बचआ ओरे नंज्जर अरा अक्कुन गूटी मोघोरका रअ़नर। मुन्दा इत्ती एन्देर मलदव मना लगी अदिन गा आर मलम घोखआ लगनर। कुँडुख़ कत्था हिन्दी गही पतड़ा, टोड़ंग, परता नु एबेसेरआ काःला लगी। इत्ती कुँडुख़ कत्था नूख़ूरआ—नूख़ूरआ उज्जा लगी। दहदर कुँडुख़ मलम एथेरआ लगी। इदिन जोक्क कुँडुख़र ईःरयर, बुज्झरर, घोखचर। ई मजही नुम धरमे सवंग डॉ. नारायण उराँव 'सैन्दा' सिन चाःजर मुन्दहाःरे ओन्दरा। आस कुँडुख़ नेग चाःलो ही मूःलीन धरअर की डण्डा कट्टना (भेलवाफड़ी) नेगचार ती गुनआ ओःरे नंज्जस। दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहेरियासराय (बिहार) नु डॉक्टरी ही पढ़ाई ननु सिन धरमे, आस गही मेद्दोन तिखड़ाःचा दरा तोलोङ सिकि ही छपन, कुँडुख़ लिपि रूःपे नु दहदर ननताःचा। आस गने जोक्क कुँडुख़र संग्गे चिअर नलख नना हेल्लरर। डॉ0 फ्रांसिस एक्का, डॉ0 रामदयाल मुण्डा, इरबारिम भखा विज्ञान गही पंडितर सन्नी कमिटि गने होटल महाराजा, कचहरी चौक, राँची नु ओक्कर तोलोङ सिकिन फँड़ियाःचर दरा ओरमर छमहें एःदर चिच्चर का तोलोङ सिकि दिम कुँडुख़ कत्था अरा उरमी आदिवासी भखा गे दःव मनो। कुँडुख़ गे गा तोलोङ सिकि अक्कु नमजद्दी मंज्जा केरा। झारखण्ड अरा पष्चिम बंगाल सरकार इदिन इंज्जरा दरा असम, छतीसगढ़, ओड़िसा, नेपाल, भूटान तरा हुँ ईद परदा लगी अरा असन टूड़ा—बचआ लगनर।

डॉ0 नारायण उराँव 'सैन्दस' गने जोक्क कुँड़ख़र संग्गे मनर ''बक्कहुही'' नाःमे ही ओण्टा मून्दचन्दोख़ (त्रैमासिक) कुँडुख़ पतख़ा (पत्रिका) ओथोरआ लगनर। आद झारखण्ड, प. बंगाल, असम, ओड़िसा, छतीसगढ़, यू.पी. अरा नन्ना राःजी तरा बीःड़िरआ लगी। कुँडुख़ लिटरेरी सोसायटी, दिल्ली हुँ अक्कु इंज्जरा, पहें तोलोङ सिकि पइत्त नु बग्गे नलख अरगी मना। अक्कु गा बअना मनो का तोलोङ सिकि दिम कुँडुख़ कत्था गही सिकि तली।

डॉ0 निर्मल मिंज 'झरिया'
संस्थापक प्राचार्य, गॉस्सनर कालेज, राँची
लेखक, साहित्यकार, आदिवासी चिंतक एवं
साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2016 से सम्मानित।

दिनांक : 15 नवम्बर 2019

छात्रों एवं छात्र नेताओं के बीच चर्चा–परिचर्चा की बातें साकार हुईं

आज से लगभग 30–35 वर्ष पूर्व छात्र जीवन में तथा छात्र आन्दोलन के समय आदिवासी छात्रों एवं छात्र नेताओं के बीच आदिवासी भाषा और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन की चर्चा बार–बार उठती थी, किन्तु इसका तरीका क्या और कैसे हो, यह तय नहीं हो पाया था। छात्रों एवं छात्र नेताओं के बीच चर्चा–परिचर्चा की वह बातें आज साकार हुईं हैं। पेशे से चिकित्सक डॉ0 नारायण उराँव 'सैन्दा' ने अपने सामाजिक शोध आधारित कार्य को तोलोङ सिकि (लिपि) के रूप प्रस्तुत किया, जिसे कुँड़ुख़ समाज एवं झारखण्ड सरकार द्वारा कुँड़ुख़ भाषा की लिपि के रूप में स्वीकृति प्रदान किया जा चुका है। कुँड़ुख़ भाषा–भाषियों ने इसे अपनी भाषा की लिपि स्वीकार करते हुए, पठन–पाठन का कार्य आरम्भ कर दिया है। ज्ञातव्य है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक – 8/रा0–8/2001 का0–129 दिनांक 18.09.2003 के माध्यम से "तोलोङ सिकि" को कुँड़ुख (उराँव) भाषा की लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है तथा केन्द्र सरकार, को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने हेतु अनुशंसा किया गया है। साथ ही, अधिसूचना संख्या – . JAC/ गुमला/16095/ 12–0607/16/राँची, दिनांक – 12.02.2016 द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2016 से कुँड़ुख़ भाषा पत्र की परीक्षा तोलोंग सिकि (लिपि) में लिखने की अनुमति प्रदान की गई है।

सामाजिक प्रयास से सरकार तक पहुँचने में कुछ सामाजिक संस्थाओं यथा कुँड़ुख़ कत्थ खोंड़हा लूरएड़पा, लूरडिप्पा, डुमरी, गुमला, अद्दी कुँड़ुख़ चाला धुमकुड़िया पडहा अखड़ा, अखिल भारतीय कुँड़ुख़ तोलोङ सिकि प्रचारिणी सभा तथा विष्वविद्यालय के माननीय षिक्षकों का योगदान काफी सराहनीय रहा है। सृजन के इस डगर में स्व० डॉ० फ्रांसिस एक्का, स्व0 डॉ० रामदयाल मुण्डा, स्व० आर० इलांगियन, स्व0 डॉ० बहुरा एक्का, स्व0 डॉ० इन्दु धान, डॉ० प्रकाष चन्द्र उराँव, प्रोफेसर डॉ० करमा उराँव, बिषप डॉ० निर्मल मिंज, फा० प्रताप टोप्पो, फा० जेम्स टोप्पो, फा० अगुस्तिन केरकेट्टा, फा० जेफ्रेनियुस बखला उर्फ डॉ० एतवा उराँव, डॉ. नारायण भगत, श्री अजित मनोहर खलखो, श्री जिता उराँव, श्री विनोद कुमार भगत, पूर्व विधायक श्री षिवषंकर उराँव, पूर्व मंत्री श्रीमती गीताश्री उराँव, सांसद श्री समीर उराँव आदि से महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

झारखण्ड के पूर्व विधान सभा अध्यक्ष डॉ0 दिनेष उराँव जी का कुँड़ुख़ समाज बहुत आभारी है जिनके नेतृत्व में आदिवासी भाषा–संस्कृति के बचाव हेतु वर्ष 2016 में इस लिपि परीक्षा लिखने की अनुमति का कार्य पूरा किया गया। इस कार्य में, झारखण्ड सरकार में सुषोभित तत्कालीन वरीय पदाधिकारी श्रीमती सुनिला बसन्त, आई0 ए0 एस0, श्रीमती मृदुला सिन्हा, आई0 ए0 एस0, श्रीमती अराधना पटनायक, आई0 ए0 एस0, डॉ0 राजीव अरूण एक्का, आई0 ए0 एस0, श्री गौरीषंकर मिंज, आई0 ए0 एस0, एवं झा.अधि.परि. राँची के अध्यक्ष, श्री अरविन्द कुमार सिंह, सचिव श्री पोलिकार्प तिर्की तथा श्री मोहन चांद मुकिम, उपसचिव श्री यूजिन मिंज के साथ जैक बोर्ड के सभी सदस्यों का कुँड़ुख़ समाज आभारी रहेगा, जिन्होंने अपने कार्यकाल में आदिवासी भाषा–संस्कृति के बचाव हेतु साहसिक कदम उठाया और नई लिपि को मान्यता दिलायी।

लिपि विकास के क्रम में कम्प्यूटर तकनीक में खरा उतारने के लिए श्री किसलय जी को बधाई, जिन्होंने लिपि का कम्प्यूटर वर्जन (kellytolong font) तैयार कर इसे निःषुल्क, tolongsiki.com वेवसाइट तक पहुँचाया। साथ ही केलिफॉरनियाँ विष्वविद्यालय, अमेरिका के भाषा विज्ञानी श्री अंषुमन पाण्डेय को ढेरों बधाई, जिन्होंने तोलोङ सिकि लिपि का यूनिकोड विकसित करने हेतु वर्ष 2010 में निबंधन कराया है। अंत में, डॉ० नारायण उराँव ''सैन्दा'' एवं उनकी पत्नी डॉ० श्रीमती ज्योति टोप्पो उराँव को हार्दिक षुभकामनाएँ कि आपलोग सपरिवार, लिपि विकास में जुड़े साथियों के साथ समाज के लिए एक अनुपम भेंट प्रदान करने में अतुलणीय योगदान दिया है। अब बारी समाज के नई पीढ़ी की है कि वे इसे आगे कैसे ले जाएँ।

डॉ० रविन्द्र नाथ भगत
प्रोफेसर, प्रबंधन विभाग
बी.आई.टी. मेसरा, राँची
पूर्व कुलपति, वि.भा.वि. हजारीबाग।

दिनांक : 15 मई 2021

13. कुँड़ुख़ भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) के संबंध में सरकारी एवं विभागीय अधिसूचना

;(i). मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची द्वारा जारी वर्ष 2003 की अधिसूचना

मानव संसाधन विकास विभाग

संकल्प

संख्या-प्रा०शि०नि० 620/01 1278/

भारतीय संविधान की धारा 350 क के प्रावधानों के तहत प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण कार्य संचालित करने की व्यवस्था की गई है, एवं इस व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्ववर्ती बिहार राज्य में मातृभाषा के रूप में हिन्दी, बांग्ला, उड़िया, उर्दू, मैथिली, संथाली, उरांव (कुड़ुख), हो, मुंडारी एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए अंग्रेजी भाषा को मान्यता दी गई।

झारखंड राज्य के गठन के पश्चात यह आवश्यक हो गया कि राज्य की भौगोलिक सीमा में आवासित विभिन्न जाति, समुदाय एवं ऐसे भाषा-भाषी समुदायों के लिए क्षेत्र विशेष में, वर्ष 1991 की भाषा संबंधी भारत की जनगणना के आधार पर इनकी आबादी के अनुरूप एवं उनकी भाषा संबंधी भावनाओं का समादर करते हुए उनके सामाजिक परिवेश के अनुरूप भाषा नीति लागू किया जाए।

2. तदनुसार एतद् संबंधी विभागीय प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के पश्चात राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, कि झारखंड की भौगोलिक सीमा के, बहु-भाषा भाषी क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या/पर्याप्तों के आधार पर प्रारंभिक शिक्षण के क्षेत्र में वर्ग 1 से चिन्हित स्थान विशेष में हिन्दी राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त, मातृभाषा के रूप में, वर्ग एक से हिन्दी, बंगला, उड़िया, उर्दू, संथाली, उरांव/कुड़ुख, हो, मुंडारी, खड़िया, खोरठा, कुरमाली तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से मातृभाषा के रूप में प्रारंभिक शिक्षण कार्य कराने की अनुमति दी जाए। इनमें से जिन मातृ भाषाओं की अपनी लिपि नहीं है, उनकी उनकी लिपि के रूप में देवनागरी लिपि की मान्यता दी जाय।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार के इस संकल्प को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाए या उसकी प्रति निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड रांची को प्रेषित की जाए।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

(अमित खरे)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक प्रा०शि०नि० 620/01 1278 /दिनांक 4-6-03 /

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अमित खरे)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक प्रा०शि०नि० 620/01 1278 /दिनांक 4-6-03 /

प्रतिलिपि: माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक एवं सभी संबंधित पदाधिकारी /कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अमित खरे)

(ii). झारखण्ड सरकार द्वारा विभागीय पत्रांक 129 दिनांक 18.9.2003 द्वारा कुँडुख़ भाषा की लिपि के रूप में तोलोंग सिकि को स्वीकृति प्रदान किया गया तथा इसे *संविधान की आठवीं अनुसूची* में षामिल किये जाने हेतु गृह मंत्रालय, केन्द्र सरकार, नई दिल्ली को अनुषंसा पत्र प्रेषित किया गया है।

114

मुख्तार सिंह, भा० प्र० से०
Mukhtar Singh, I.A.S.
आयुक्त एवं सचिव
Commissioner and Secretary

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची।
Department of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha, Government Jharkhand, Ranchi.
☎ 0651 - 2403221 (Off.)
0651 - 2480048 (Res.)
0651 - 2403253 (Fax)

पत्रांक :- [illegible]-129, दिनांक : 18-9-2003

सेवा में,

सचिव,
गृह मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय :- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में संथाली, मुण्डारी, हो एवं उरांव/ कुड़ुख भाषा को शामिल करने के संबंध में।

महोदय,

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत संथाली, मुण्डारी, हो, उरांव/ कुड़ुख भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। संथाली भाषा की लिपि "ओल चिकी", मुण्डारी भाषा की लिपि "देवनागरी", हो भाषा की लिपि "वारंगक्षिति" तथा उरांव/ कुड़ुख भाषा की लिपि "तोलोंग सिकी" है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार संथाली, मुण्डारी, हो तथा उरांव/ कुड़ुख भाषा का प्रयोग झारखण्ड सहित देश के 29 राज्यों एवं दो केन्द्र शासित प्रदेशों में करने वाली जनसंख्या क्रमशः 52,16,325, 8,61,378, 9,49,216 तथा 14,26,618 है।

झारखण्ड सहित अन्य कई राज्यों में इन भाषाओं की पढ़ाई विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय स्तर पर होती है।

जनजातीय भाषाओं के उत्थान के दृष्टिकोण से झारखण्ड सरकार का यह सुविचारित मंतव्य है कि उक्त चारों भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाय। अतएव यह अनुरोध है कि संविधान के अनुच्छेद 344(1) एवं अनुच्छेद 351 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपर्युक्त, आठवीं अनुसूची में संथाली, मुण्डारी, हो, एवं उरांव/ कुड़ुख भाषा को सम्मिलित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(मुख्तार सिंह)
आयुक्त-एवं सचिव।

03

(iii). झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रांची द्वारा विज्ञप्ति संख्या 17/2009 दिनांक 19.02.2009 द्वारा मैट्रिक में एक विद्यालय के लिए कुँड़ुख़ भाषा विषय की परीक्षा तोलोंग सिकि लिपि से परीक्षा लिखने की अनुमति दी गई।

प्रभात खबर

शुक्रवार, 20 फरवरी, 2009

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2009 के कुड़ुख भाषा पत्र के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 17/2009

एतद् द्वारा सभी छात्रों, उनके अभिभावकों संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, के पत्रांक 6/नि-1-12/2002-565 दिनांक 18.02.2009 द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय **"कुड़ुख कथा खोड़हा लुर एड़पा भागी टोली"** डुमरी गुमला के 39 (उन्नचालीस) छात्रों को वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2009 के कुड़ुख (उराँव) भाषा पत्र को अपनी लिपि **"तोलोंग सिकी"** से परीक्षा लिखने की अनुमति प्रदान की गई है।

अध्यक्ष के आदेशानुसार

ह./-

(पोलिकार्प तिर्की)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/SECY/078/09 Dt. 19.02.09

D.O.P : 20.02.09

(iv). झारखण्ड सरकार द्वारा 25 नवम्बर 2011 को अधिसूचना जारी कर राज्य के 12 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1933 शकाब्द

संख्या 778

राँची, शुक्रवार 25 नवम्बर, 2011

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

18 नवम्बर, 2011

संख्या एल०जी०–20/2011–203/लेज०,–झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 14 नवम्बर, 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

[झारखण्ड अधिनियम संख्या 29, 2011]

अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2011

झारखंड राज्य के विशिष्ट क्षेत्रों में कतिपय राजकीय प्रयोजनार्थ उर्दू के अतिरिक्त संथाली, बंगला, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुडुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उड़िया भाषा को द्वितीय राजकीय भाषा की मान्यता देने के लिए अंगीकृत बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 को संशोधित करने हेतु अधिनियम :–

भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :**

   (i) यह अधिनियम "अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2011" कहलायेगा।

   (ii) इसका विस्तार राज्य के उन क्षेत्रों में होगा तथा यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **अंगीकृत बिहार अधिनियम–37, 1950 की धारा–3 में उपधारा–3 (क) के रूप में निम्नलिखित उपधारा का जोड़ा जाना–**

   बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 की धारा–3 में उपधारा–3 (क) के रूप में जोड़ी जायेगी–
   "अन्य द्वितीय राजभाषा : राज्य सरकार समय–समय पर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर निर्देश देगी कि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र में निर्धारित अवधि के लिए

राज्य के भाषा–भाषियों के हित में संथाली, बंगला, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुडुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उड़िया भाषा निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ द्वितीय राजभाषा उर्दू के अतिरिक्त प्रयोग की जायेगी।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 778--150+600 ।

(v). झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रांची के अधिसूचना संख्या संख्या – JAC / गुमला / 16095 / 12– 0607 / 16 दिनांक 12.02.2016 द्वारा मैट्रिक में वर्ष 2016 से कुँड़ुख़ भाषा विषय की परीक्षा तोलोंग सिकि लिपि से परीक्षा लिखने की अनुमति दी गई।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

अधिसूचना

संख्या – JAC/गुमला/16095/12 ..../ झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की बैठक संख्या 73 दिनांक 23.01.2016 में लिए गए निर्णय के आलोक में कुड़ुख भाषा की परीक्षा तोलोंग सिकी लिपि में लिखने की अनुमति वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2016 से प्रदान की जाती है।

तोलोंग सिकी लिपि में लिखने वाले परीक्षार्थी अपनी उत्तरपुस्तिका में लिपि संबंधी कॉलम में "तोलोंग सिकी" अवश्य लिखेंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,

12/02/16

सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

ज्ञापांक : JAC/गुमला/16095/12-0607/16 / राँची, दिनांक : 12/02/16

प्रतिलिपि : अध्यक्ष के निजी सहायक/उपाध्यक्ष के निजी सहायक/सचिव के निजी सहायक/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/उपसचिव के निजी सहायक/गठित समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/02/16

सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

ज्ञापांक : JAC/गुमला/16095/12-0607/16 / राँची, दिनांक : 12/02/16

प्रतिलिपि : सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड/निदेशक (मा० शि०)" को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

12/02/16.

सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

(vi). प०बंगाल सरकार, विधि विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 452L, दिनांक 05 अप्रैल 2018 दिन वृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी कर कुँडुख़ भाषा को 8वीं राजकीय भाषा घोषित किया गया है।

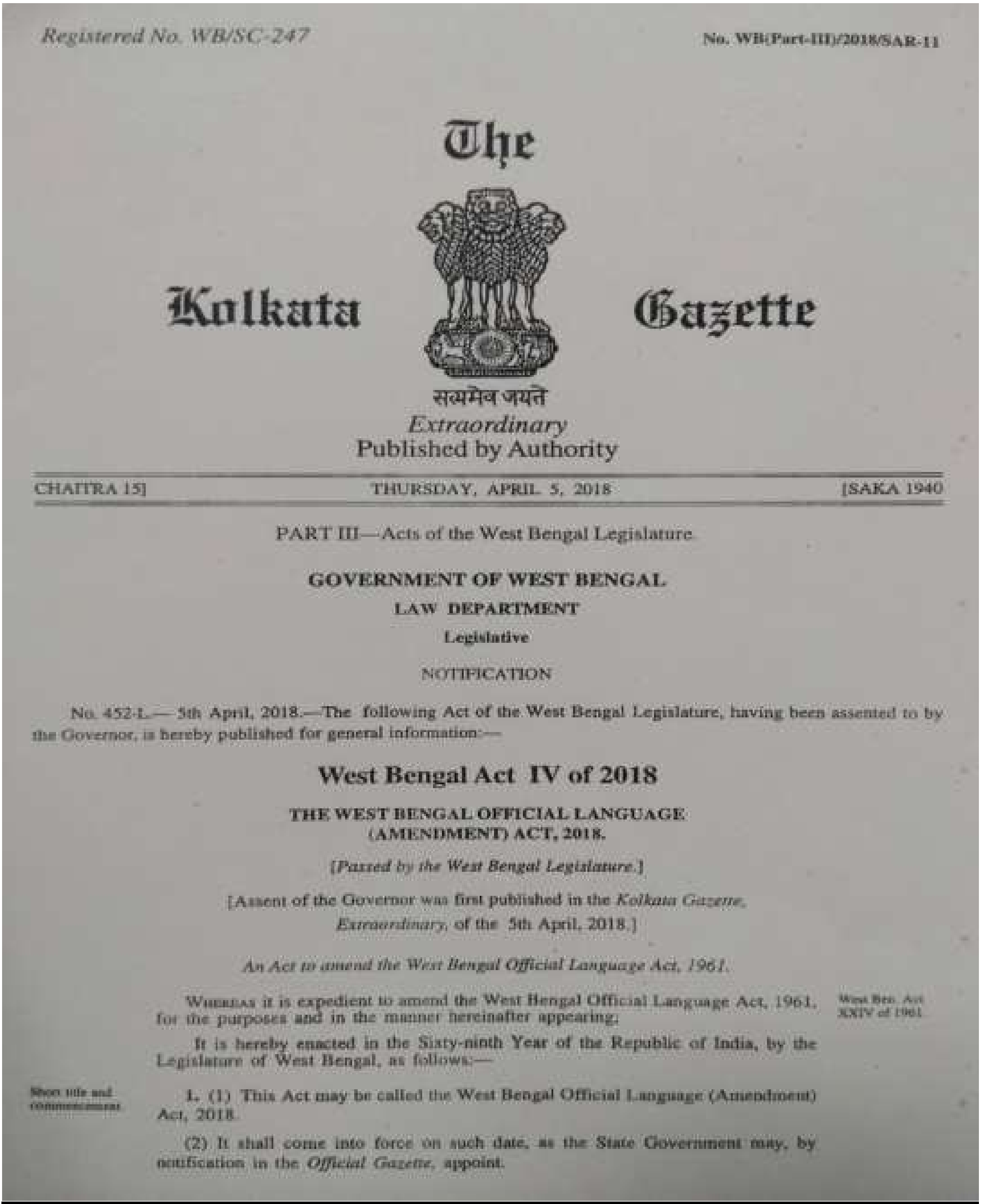

Registered No. WB/SC-247 No. WB(Part-III)/2018/SAR-11

The Kolkata Gazette

सत्यमेव जयते

Extraordinary

Published by Authority

CHAITRA 15] THURSDAY, APRIL 5, 2018 [SAKA 1940

PART III—Acts of the West Bengal Legislature

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

LAW DEPARTMENT

Legislative

NOTIFICATION

No. 452-L.— 5th April, 2018.—The following Act of the West Bengal Legislature, having been assented to by the Governor, is hereby published for general information:—

West Bengal Act IV of 2018

THE WEST BENGAL OFFICIAL LANGUAGE (AMENDMENT) ACT, 2018.

[*Passed by the West Bengal Legislature.*]

[Assent of the Governor was first published in the *Kolkata Gazette, Extraordinary*, of the 5th April, 2018.]

An Act to amend the West Bengal Official Language Act, 1961.

Whereas it is expedient to amend the West Bengal Official Language Act, 1961, for the purposes and in the manner hereinafter appearing; West Ben. Act XXIV of 1961

It is hereby enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, by the Legislature of West Bengal, as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the West Bengal Official Language (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the *Official Gazette*, appoint.

The West Bengal Official Language (Amendment) Act, 2018.

(Sections 2-5.)

Amendment of section 2 in West Ben. Act XXIV of 1961.

2. In section 2 of the West Bengal Official Language Act, 1961 (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (aa), after the words "Punjabi speaking people", the words "or Kurukh speaking people" shall be inserted and for the words "and the Punjabi Language", the words "the Punjabi Language and the *Kurukh* Language" shall be substituted.

Insertion of new section after section 3B.

3. After section 3B of the principal Act, the following section shall be inserted:—

"Use of *Kurukh* Language in rules and regulations, etc.

3C. Notwithstanding anything contained in section 3, section 3A and section 3B, with effect from such date as the State Government may, by notification in the *Official Gazette*, appoint in this behalf, the *Kurukh* Language may, in addition to the Bengali Language, the Nepali Language, the Urdu Language, the Hindi Language, the Santhali Language, the Oriya Language and the Punjabi Language, be used for such—

(a) rules, regulations and by-laws made by the State Government under the Constitution of India or any law made by the Parliament or the Legislature of West Bengal;

(b) notifications or order issued by the State Government under the Constitution of India or any law made by the Parliament or the Legislature of West Bengal;

(c) petitions and applications and replies thereof, in public offices;

(d) documents received by public offices;

(e) important Government advertisement, announcement to be published; and

(f) important signposts to be exhibited,

as to apply in the Districts or Sub-division or Block or Municipality, as the case may be, where the population of *Kurukh* speaking people exceeds ten *per cent* as a whole or part of the District like Sub-division or Block, as may be notified by the State Government:

Provided that different dates may be appointed in respect of different matters referred to in clauses (a) to (f).

Explanation.— For the purpose of this section, the words 'law made by Parliament or the Legislature of West Bengal' shall include any law made before or after the commencement of the Constitution of India by any Legislature or other competent authority in the territory of India having power to make such a law.".

Amendment of section 4.

4. In section 4 of the principal Act, for the words, figure and letter "or section 3B", the words, figures and letters "or section 3B or section 3C" shall be substituted.

Amendment of section 5.

5. In section 5 of the principal Act, for the words "or the Punjabi Language", the words "or the Punjabi Language or the *Kurukh* Language" shall be substituted.

By order of the Governor,

SANDIP KUMAR RAY CHAUDHURI,
Secy. to the Govt. of West Bengal,
Law Department.

Published by Law Department, Government of West Bengal and
Printed at Saraswaty Press Ltd (Government of West Bengal Enterprise), Kolkata 700 056.

(vii). झारखण्ड सरकार, विधि विभाग की अधिसूचना के अधिसूचना संख्या – 1080, राँची, सोमवार, 10 दिसम्बर 2018 झारखण्ड की 17 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1084 राँची, सोमवार, 10 दिसम्बर, 2018 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

29 अक्टूबर, 2018

संख्या-एल०जी०-06/2018-175/लेज०--झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 को अनुमति दे चुकी है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018

(झारखण्ड अधिनियम, 20, 2018)

झारखंड राज्य के विशिष्ट क्षेत्रों में कतिपय राजकीय प्रयोजनार्थ उर्दू, संथाली, बंगला, मुण्डारी, हो, खडिया, कुडुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उड़िया भाषा के अतिरिक्त मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज भाषा को द्वितीय राजभाषा की मान्यता देने के लिये अंगीकृत बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 को संशोधित करने हेतु अधिनियम।

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

2. बिहार अधिनियम-37, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) में अन्य द्वितीय राजभाषाओं की सूची में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज को जोड़ा जाना

भारत राज्य के 69वें वर्ष में झारखंड राज्य विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:

(1) यह अधिनियम बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार राज्य के उन क्षेत्रों में होगा तथा यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निश्चित करे।

2. बिहार अधिनियम-37, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) में अन्य द्वितीय राजभाषाओं की सूची में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज भाषा को जोड़ा जाना है-

बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी-

"अन्य द्वितीय राजभाषा: राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर निर्देश देगी कि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धारित अवधि के लिये राज्य के भाषा-भाषियों के हित में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज भाषा निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ द्वितीय राजभाषा उर्दू, संथाली, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बंगला, उड़िया के अतिरिक्त प्रयोग की जायेगी ।"

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1084 -- 50

(viii). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार झारखण्ड सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा मातृभाषा शिक्षा के अंतर्गत हिन्दी एवं अंगरेजी के साथ पांच आदिवासी भाषा में से कुँडुख़, मुंडारी, हो, खड़िया, संताली है।

An ISO 9001:2015 certified
किरण कुमारी पासी, भा.प्र.से.
राज्य परियोजना निदेशक

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर–3,
धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष – 0651-2444501, 2444502, फैक्स – 2444506
ई–मेल: jepcranchi1@gmail.com

पत्रांक : QU/40/147/2021/ १९०० दिनांक – ३०/09/2021

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, साहेबगंज, सिमडेगा, लोहरदगा एवं खूँटी,
समग्र शिक्षा अभियान, झारखण्ड ।

विषय : MTB MLE हेतु कार्ययोजना निर्माण के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि NEP 2020 में Mother tongue based Multilingual Education को प्रारंभिक कक्षाओं में प्राथमिकता के स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया गया है। आप सभी अवगत है कि झारखण्ड राज्य में मुख्य रूप से 05 भाषा यथा–संथाली, हो, मुण्डारी, कुडुख एवं खडिया भाषा भाषी के विद्यार्थी विद्यालयों में है। हम सभी इस बात से अवगत है कि यदि बच्चों के साथ प्रारंभिक स्तर पर उनके भाषा में बातचीत करते है तो इसका सकारात्मक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है तथा विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सीखने की गति भी तीव्र होती है। NEP 2020 में भी इन्हीं मुद्दो को विशेष बल दिया गया है तथा बच्चों के मातृभाषा को विद्यालयी शिक्षा के प्राथमिक श्रेणी में इसे अनुपालित करने का सुझाव दिया गया है। उक्त आलोक में विभागीय सचिव के साथ हुये समीक्षा बैठक में इसे कुछ विद्यालयों में लागू करने पर सहमति बनी है जिसमें विद्यालय के चयन का मुख्य आधार चयनित विद्यालयों के विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों तथा आम समुदाय के साथ विचार विमर्श एवं साझा समझ के आधार पर ही लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। विदित हो कि विगत वर्ष राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से विद्यालयों की सूची संग्रहित की गयी है जिसमें किसी भी अन्य भाषा के 70 प्रतिशत या उससे अधिक बच्चे नामांकित है। ऐसे विद्यालयों की सूची भाषावार एवं जिलावार पत्र के साथ संलग्न है।

विद्यालय प्रबंध समिति एवं विद्यालय के पोषक क्षेत्र के आम समुदाय के साथ विचार विमर्श तथा NEP 2020 के अनुरूप मातृभाषा को प्राथमिक स्तर पर पठन–पाठन हेतु अपनाने के लिये संवेदनशील बनाना तथा समुदाय से इस मांग को सृजित करने हेतु निम्नवत कार्य किया जाना अपेक्षित होगा –

1. जिला प्रभाग–प्रभारी (एस.एम.सी.) के नेतृत्व में एक समिति जिला स्तर पर गठित की जाये।
2. उक्त समिति में चयनित प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, दो बी.आर.पी., चयनित विद्यालयों के संकुल के सी.आर.पी. तथा चयनित विद्यालयों में से कम से कम 05 विद्यालयों के 1–1 शिक्षक को शामिल किया जाये।
3. समिति का गठन एवं उन्मुखीकरण माह अक्टूबर, 2021 के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाये।
4. समिति का एक दिवसीय उन्मुखीकरण आयोजित किया जाये। इस उन्मुखीकरण में युनिसेफ के परामर्शी एवं जे.सी.ई.आर.टी. प्रतिनिधि भाग लेंगे तथा समिति के साथ पूरे कार्यक्रम की कार्ययोजना तैयार की जायेगी।
5. समिति द्वारा चयनित विद्यालयों के पोषक क्षेत्र में विद्यालय प्रबंध समिति तथा आम समुदाय एवं शिक्षकों के साथ बैठक आयोजित की जायेगी।
6. समिति द्वारा समाज के अन्य प्रबुद्ध लोगो की सहायता प्राप्त की जायेगी।

An ISO 9001:2015 certified
किरण कुमारी पासी, भा.प्र.से.
राज्य परियोजना निदेशक

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर–3,
धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष – 0651-2444501, 2444502, फैक्स – 2444506
ई–मेल: jepcranchi1@gmail.com

7. समुदाय के साथ बैठक में इस बात का ध्यान रखा जाये की समुदाय मातृभाषा के महत्ता को समझते हुये मातृभाषा को पठन–पाठन में प्रथम माध्यम के रूप में अपनाने पर अपनी सहमति/मांग व्यक्त करे।
8. पत्र के साथ विद्यालयों की सूची संलग्न है परन्तु समिति इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती है।
9. चयनित विद्यालयों के पोषक क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बैठक का आयोजन दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 तक पूर्ण की जाये।
10. बैठक के पश्चात् समिति द्वारा अंतिम रूप से विद्यालयों की सूची तैयार की जायेगी तथा विद्यालयवार मातृभाषा को प्रथम भाषा के रूप में लागू करने संबंधी कार्ययोजना का निर्माण करेगी। कार्ययोजना का समेकित प्रतिवेदन राज्य परियोजना कार्यालय को दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 तक प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

यूनिसेफ एवं जे.सी.ई.आर.टी. के प्रतिनिधियों की विवरणी

क्र.सं.	नाम	आवंटित जिला	मो0न0
1	श्रीमती पल्लवी शाह, यूनिसेफ	पश्चिमी सिंहभूम	9905150518
2	श्री हर्ष वर्मा, यूनिसेफ	गुमला	7368064065
3	श्री रोहित राज, यूनिसेफ	साहेबगंज	9065930999
4	श्री संजीव तिवारी, यूनिसेफ	सिमडेगा	9199098743
5	श्री अशोक कुमार, जे.सी.ई.आर.टी.	लोहरदगा	7463953245
6	श्री संगीता कुमारी, जे.सी.ई.आर.टी.	खूँटी	8969149198

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन,
30/9/21
(किरण कुमारी पासी)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक : QU/40/147/2021/ 1800 **राँची, दिनांक : 30/09/2021**

प्रतिलिपि :

1. संबंधित प्रतिनिधि, जे.सी.ई.आर.टी., राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. श्रीमती पारूल शर्मा, शिक्षा विशेषज्ञ/संबंधित परामर्शी, यूनिसेफ, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(किरण कुमारी पासी)
राज्य परियोजना निदेशक

14. धुमकुड़िया, सैन्दा, सिसई, गुमला, झारखण्ड के नवजागरण की झाँकी

वर्ष– 2012

दिनांक 14 जनवरी, 2012 को प्रथम धुमकुड़िया उल्ला (दिवस) सैन्दा, सिसई, गुमला में श्री गजेन्दर उराँव 'कोटवार' एवं डॉ0 नारायण उराँव 'सैन्दा' के नेतृत्व में तथा मुख्य अतिथि, सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता श्री अजित मनोहर ख़लख़ो की उपस्थिति में मनाया गया तथा धुमकुड़िया की नई परिकल्पना के साथ धुमकुड़िया में पढ़ाई–लिखाई का कार्य आरंभ किया गया।

वर्ष– 2013

दिनांक 14 जनवरी, 2013 को द्वितीय धुमकुड़िया उल्ला (दिवस) ग्राम–सैन्दा, थाना–सिसई, जिला–गुमला में श्री गजेन्दर उराँव 'कोटवार' एवं डॉ0 नारायण उराँव के नेतृत्व में मुख्य अतिथि श्री प्रकाश पन्ना 'पंकज' सेवानिवृत बैंक मैनेजर की उपस्थिति में मनाया गया तथा धुमकुड़िया की नई परिकल्पना के साथ धुमकुड़िया में तोलोंग सिकि की पढ़ाई–लिखाई आरंभ हुई।

वर्ष– 2014

दिनांक 14 जनवरी, 2014 को धुमकुड़िया उल्ला ग्राम – छोटका सैन्दा, थाना – सिसई, जिला – गुमला (झारखण्ड) में श्री गजेन्द्र उराँव 'कोटवार' के नेतृत्व में तथा डॉ0 नारायण उराँव एवं श्री मंगरा उराँव, सेवानिवृत कार्यपालक सहायक, एच. ई. सी. की उपस्थिति में मनाया गया। इस अवसर पर कई धुमकुड़िया के बच्चे उपस्थित थे।

वर्ष– 2015

दिनांक 14 जनवरी 2015 को अद्दी कुँड़ुख़ चाःला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा (अद्दी अखड़ा) द्वारा सिसई थाना क्षेत्र के सैन्दा ग्राम में परम्परागत सामाजिक शिक्षण संस्था धुमकुड़िया में गाँव के बच्चों को परम्परागत तरीके से माघ महीने में धुमकुड़िया उल्ला (दिवस) का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि, झारखण्ड विधान सभा अध्यक्ष डॉ० दिनेश उराँव द्वारा इस क्षेत्र में किये जा रहे कार्य की सराहना की।

वर्ष– 2018

दिनांक 22 जनवरी 2018 दिन मंगलवार को बीर बुधूभगत कुँडुख़ कत्थ लूरएड़पा (विद्यालय), छोटका सैन्दा, सिसई, गुमला के छात्र परम्पारिक तरीके से ''पुरखा कण्डो'' के सम्मुख अपने पूर्वजों के नाम का श्रद्धा–सुमन अर्पित करते हुए तथा छात्र–छात्राओं का मार्ग दर्शन करते हुए पड़हा कोटवार श्री गजेन्दर उराँव।

वर्ष– 2022

दिनांक 16 फरवरी 2022 को धुमकुड़िया कोरना उल्ल (प्रवेश दिवस) के रूप में माघ पुर्णिमा को परम्परागत तिथि की घोषणा कर दिनांक 16 फरवरी, 2022 को ग्राम : सैन्दा, थाना : सिसई, जिला : गुमला (झारखण्ड) में *श्री गजेन्द्र उराँव 'कोटवार'* तथा डॉ.नारायण उराँव ''सैन्दा'' के नेतृत्व में पहली बार यह दिवस मनाया गया।

15. धुमकुड़िया महबा उल्ला

(धुमकुड़िया प्रवेश तथा पूर्णता दिवस)

बअ़नर माघ चन्ददो नु ख़द्दारिन धुमकुड़िया मंक्खा लगियर अरा ख़द्दर माघ चन्द्दो नु धुमकुड़िया कोरआ लगियर। एन्नेम माघ पुनई गे जोंख़ रअ़उर गही माघ पूरआ लगिया दरा पुना अड्डा नु मलता पुना चान नु माघ पुनई ख़ोःख़ा ती जोंख़ रअ़ना ओरे मना लगिया।

1. धुमकुड़िया एन्दरा तली ? (धुमकुड़िया क्या है ?)

उत्तर – धुमकुड़िया, कुँड़ुख़ (उराँव) आदिवासी समाज की एक परम्पारिक सामाजिक कौशल विकास केन्द्र है। प्राचीन काल में कुँड़ुख़ (उराँव) गांव में यह एक शिक्षण–षाला के रूप में कार्य करता था, जो गाँव के लोगों द्वारा ही चलाया जाता था। समय के साथ यह परम्पारिक ग्रामीण कौशल विकास केन्द्र विलुप्त होने की स्थिति में है। कुछ दषक पूर्व तक यह संस्था किसी–किसी गाँव में दिखलाई पड़ता था किन्तु वर्तमान शिक्षा पद्धति के प्रचार–प्रसार के बाद यह इतिहास के पन्ने में सिमट चुका है। कुछ लेखकों ने इसे युवागृह कहकर यौन–षोशन स्थल के रूप में पेश किया, तो कई मानवषास्त्री इसे असामयिक बतलाये, किन्तु अधिकतर चिंतकों ने इसे समाज की जरूरत कहते हुए सराहना की। आदिवासी परम्परा में मान्यता है कि – धुमकुड़िया, लयवद्ध तरीके से समाज के लोगों के लिए सामाजिक जीवन जीने की कला सीखने तथा कौशल विकास करने का केन्द्र है। (It is a traditional social learning centre for personality and skill development among Children (बच्चे–बच्चियाँ) and Young (किशोर–किशोरी) in Oraon tribe.)

कुँड़ुख़ (उराँव) आदिवासी समाज में धुमकुड़िया एक ऐसी शास्वत व्यवस्था थी जो सभी गांव एवं सभी टोला हुआ करता था, जहां गांव–टोला के सभी लड़के–लड़की बच्चे (लिंग भेद रहित) षामिल होते थे। ऐसा उदाहरण किसी भी देष या समुदाय में सामान्य रूप से नहीं दिखता है। वैसे भारतीय इतिहास में पुराने राजा–महाराजाओं के राजपाट में गुरूकुल नामक संस्था हुआ करता था, जिसमें सिर्फ शासक वर्गों के पुरूश बच्चे ही प्रवेष पाते थे। जन–साधारण के लिए वहाँ प्रवेष नहीं था अथवा वर्जित था।

2. धुमकुड़िया महबा उल्ला एन्दरा तली ? (धुमकुड़िया प्रवेश एवं पूर्णता दिवस क्या है ?)

उत्तर – प्राचीन समय में, कुँड़ुख़ (उराँव) समाज में धुमकुड़िया में प्रवेश के लिए एक उम्र सीमा निर्धारित थी। गांव में बच्चे के 7वें वर्ष में धुमकुड़िया प्रवेश कराया जाता था। बच्चे के माता पिता बच्चे के बैठने के लिए चटाई, दीया जलाने के लिए करंज तेल आदि लेकर माघ महीने के शुक्ल पक्ष (बिल्ली पक्ख/इंजोरिया पक्ष) में प्रवेश कराया जाता था। बच्चे के माता पिता सहर्ष धुमकुड़िया से जोड़ने हेतु प्रवेश कराया करते थे।

3. माघ पूःरना एन्दरा तली ? (अनुबंध श्रमिक, ठेका श्रमिक/धांगर लोगों का तय समय पूर्ण होना क्या है ?)

उत्तर – पूर्व में, कुँड़ुख़ (उराँव) समाज में खेती–किसानी किसी दूसरे घर के नवजवान को एक खाश समय तक के लिए तथा काम के बदले आनाज या उसके समतुल्य कोई वस्तु निर्धारित देनदारी तय किया जाता था। यह एक गरीब मजबूर के जीवन बसर का एक तरीका भी था। इन कमियाँ लड़के का कार्यकाल माघ महीने तक तय किया जाता था। चूँकि खेतीबारी कार्य में धान कटनी–मिसनी कार्य अगहन–पूस तक समाप्त हो जाता है तथा पूस महीने में कुण्डी अरगना (हड़गड़ी) नेग होता था। अतएव इस महीने में किसी का बिदाई या अदाई नहीं किया जाता था। इस तरह खेतीबारी कार्य का एक संपूर्ण चक्र माघ महीने में पूरा होता था। इसी तरह जब किसी नये कामगार को लाये जाने या उसके अवधि विस्तार किये जाने का कार्य भी माघ महीने में तय कर लिया जाता था। फागुन महीने में गाँव का नया दामाद तथा नया कामगार को गांव के फग्गु सेन्दरा में शिकार खेलने लिए ले जाया जाता था। फग्गु पूर्णिमा को कटता था तथा दूसरे दिन चैत पइरबा को धूली हीःड़ना (धूरहेंड़) होता था तथा तीसरे दिन जरजरी बेःचना (सामुहिक शिकार का रूप में) के बाद करमा त्योहार तक के लिए शिकार खेलना मनाही हो जाता था। खाशकर हरियनी पूजा से करम पूजा तक जंगल से दतुन–पतई भी तोड़ना मनाही था। चैत महीने में ख़ेख़ेल बेंज्जा के बाद खेत में धान बीज डालने का कार्य आरंभ किये जाने का रिवाज था।

4. पेल्लो एड़पा एन्दरा तली ? (किशोरी गृह क्या है?)

उत्तर – धुमकुड़िया में छोटे उम्र के बच्चे–बच्चियों (कुक्कोस–कुकोय) के शिक्षण में लिंग भेद नहीं होता है। परन्तु जैसे–जैसे उम्र बढ़ता है वैसे–वैसे सामाजिक जिम्मेदारी भी बढ़ती है। बड़े उम्र के लड़कियों के लिए पेल्लो एड़पा की अलग व्यवस्था हुआ करती थी, जहाँ लड़को या मर्दों का प्रवेष्ह वर्जित माना गया है। पेल्लो, वैसे बच्चियों को कहा जाता है जिसका मासिक धर्म शुरू हो गया हो और शारीरिक विकास दृष्टि से एक पूर्ण नारी के गुण विकसित होने लगा हो। पूर्व में वैसे किशोरियों के लिए एक समारोह या अनुष्ठान के माध्यम से पेल्लो एड़पा मंक्खना (किशोरी गृह प्रवेश) नेग किया जाता था। यह पेल्लो एड़पा, धुमकुड़िया कैम्पस में अलग से एक व्यवस्था होती थी। कहीं–कहीं यह घर, किसी विधवा औरत के घर पर भी हुआ करता था जिससे उस वृद्धा को लोगों का सहारा भी मिलता था। इसी तरह लड़कियों के लीडर को पल्लो कोटवार तथा लड़कों के लीडर को जोंख़ कोटवार कहा जाता है। कई लेखक धुमकुड़िया को जोंख़ एडपा कहते हैं, पर यह सही नहीं है। धुमकुड़िया में लड़के एवं लड़कियाँ समान रूप से सहभागी हैं परन्तु पेल्लो एड़पा में उम्र के दृष्टिकोण से एक अनुशासनात्मक अलगाव है, जो सामाजिक सुरक्षा की नियम से अनुचित नहीं है। वैसे तो किशोरी गृह या पेल्लो एड़पा (किशोरी गृह) या जोंख़ एड़पा (किशोर गृह) कोई अलग–अलग घर नहीं बल्कि यह एक मानक व्यवस्था एक मानक रेखा है जो बडे उम्र के किशोर–किशोरियों के बीच, अनुशासन बनाये रखता है।

उम्र बढ़ते के साथ जब किसी लड़के या लड़की का बेंज्जा (विवाह) निर्धारित हो जाता है, तब उस लड़के या लड़की को धुमकुड़िया से विदाई किया जाता था। यहाँ सिखलाने का कार्य कोहाँ तूड़ (सिनियर वर्ग) के युवक–युवतियों द्वारा किया जाता था। वर्तमान में यहाँ एक अनु शिक्षक (पारा शिक्षक) के तौर पर किसी जानकार व्यक्ति को ग्राम सभा द्वारा चयनित किया जा सकता है। समय की मांग के अनुसार सभी सदस्यों को यह आजादी होगी कि वे शनिवार एवं रविवार को छोड़कर अपने सुविधा के अनुसार ही धुमकुड़िया में शामिल होंगे।

5. जोंख़ एड़पा एन्दरा तली ? (किशोर गृह क्या है?)

उत्तर – जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे–बच्चियों (कुक्कोस–कुकोय) को 7वें वर्ष में धुमकुड़िया प्रवेश करवाया जाता था, परन्तु धुमकुड़िया के सामने यदि छोटा बच्चा आए तो उसे दूर नहीं किया जा सकता है। अतएव उसे Pre-nursery या Nursery की तरह लेदका तूड़ की गिनती में रखा जाएगा। छोटे उम्र के बच्चे–बच्चियों (कुक्कोस–कुकोय) के शिक्षण में आरंभिक दौर में धुमकुड़िया में लिंग भेद नहीं होता है। परन्तु जैसे–जैसे उम्र बढ़ता है वैसे–वैसे सामाजिक जिम्मेदारी भी बढ़ती है। बड़े उम्र के लड़कियों के लिए पेल्लो एड़पा की अलग व्यवस्था हुआ करती थी, जहाँ लड़को या मर्दों का प्रवेश वर्जित माना गया है। पेल्लो, वैसे बच्चियों को कहा जाता है जिसका मासिक धर्म शुरू हो गया हो और शारीरिक विकास दृष्टि से एक पूर्ण नारी के गुण विकसित होने लगा हो। पूर्व में वैसे किशोरियों के लिए एक समारोह या अनुष्ठान के माध्यम से पेल्लो एड़पा मंक्खना (किशोरी गृह प्रवेश) नेग किया जाता था। यह पेल्लो एड़पा धुमकुड़िया कैम्पस में ही अलग से एक व्यवस्था होती थी। कहीं–कहीं यह घर किसी विधवा औरत के घर पर भी हुआ करता था जिससे उस वृद्धा को लोगों का सहारा भी मिलता था। इसी तरह लड़कियों के लीडर को पल्लो कोटवार तथा लड़कों के लीडर को जोंख़ कोटवार कहा जाता है। कई लेखक धुमकुड़िया को जोंख़ एडपा कहते हैं, पर यह सही नहीं है। धुमकुड़िया में लड़के एवं लड़कियाँ समान रूप से सहभागी हैं परन्तु पेल्लो एड़पा में उम्र के के दृष्टिकोण से एक अनुशासनात्मक सांकेतिक अलगाव है, जो सामाजिक सुरक्षा की नियम से अनुचित नहीं है। यूं तो किशोरी गृह या पेल्लो एड़पा (किशोरी गृह) या जोंख़ एड़पा (किशोर गृह) कोई अलग–अलग घर नहीं बल्कि यह एक मानक व्यवस्था एक मानक रेखा है जो बडे उम्र के किशोर–किशोरियों के बीच एक अनुशासन बनाये रखता है।

6. धुमकुड़िया महबा (कोरना–उरूखना) उल्ला एन्दरा तली ? (धुमकुड़िया प्रवेश तथा पूर्णता दिवस क्या है?)

उत्तर – कुँड़ुख़ समाज में सामाजिक जीवन जीने के लिए शिक्षण–प्रशिक्षण के जैसा धुमकुड़िया नामक एक सामाजिक कौशल विकास केन्द्र होता था, जो वर्तमान में शिथिल है। यह सदियों से समाज द्वारा संचालित हुआ करता था। इसमें प्रवेश के लिए बच्चे का उम्र 6 वर्ष का हो तथा 7वें वर्ष में उसे प्रवेश कराया जाता था। देर होने पर अधिक उम्र में भी प्रवेश होता था। इसमें प्रवेश के लिए माघ महीना

निर्धारित था। इसी तरह खेती किसानी कामगार का 4कार्य अवधि का समापन माघ महीना ही होता था। खेती किसानी कामगारों के लिए निर्धारित समय सीमा पूरा होने की स्थिति को माघ पूरना भी कहा जाता है। इस तरह यह, बच्चों के लिए प्रवेश दिवस तथा जो नवजवान लोगों के लिए धुमकुड़िया पूर्णता दिवस के रूप में होगा।

7. धुमकुड़िया महबा (कोरना–उरूखना) उल्ला माघ पुनई गेम एन्देर गे ? (धुमकुड़िया प्रवेश–समापन दिवस माघ पूर्णिमा को ही क्यों ?)

उत्तर – वर्तमान समय में, आधुनिक शिक्षा विकास के साथ गांव की दशा दिनों दिन असमान्य होते जा रही है। गांव की उर्जा शहर की ओर जाकर वहीं रूक जा रही है। नतीजा यह हो रहा है कि गांव में ज्ञान का राह दिखाने वाला नहीं मिल रहा है। शहर में रहने वाले से भी उनका खतियानी निवास पूछा जा रहा है, वैसे में आदिवासी समाज करे तो क्या करे? अब समय आ गया है कि आदिवासी समाज अपने बच्चों को बचपन से ही समाज के बारे में बतलाये। कुँड़ुख़ समाज में धुमकुड़िया एक सामाजिक पाठशाला है, जो सदियों से समाज द्वारा संचालित किया जाता रहा था। इस सामाजिक पाठशाला के द्वारा भाषा तथा संस्कृति संचारित होती थी किन्तु आधुनिक पाठशाला के आने के बाद यह पम्परागत पाठशाला विलुप्ति की कगार पर है। बताया जाता है कि धुमकुड़िया प्रवेश माघ महीने में होता था तथा अनुबंध श्रमिक (धांगर) की विदाई (अर्थात माघ पूरना) भी माघ महीने में ही होता था। इस तरह यदि आधुनिक स्कूल तथा शिक्षकों को साथ लेकर माघ महीने का पूर्णिमा का दिन एक उपयुक्त समय है क्योंकि माघ पूर्णिमा को सरकारी छुट्टी भी होती है। वैसे में गांव में रहने वाले तथा रोजगार के लिए गांव से बाहर रहने वाले, सभी गांव आकर अपने पूर्वजों के खतियानी निवास को देखा करेंगे। यही सोचकर धुमकुड़िया महबा (कोरना–पूरना) उल्ला को माघ पुनई में निर्धारित किया गया है।

8. एन्देर, इन्नेलता बेड़ा नु धुमकुड़िया महबा (कोरना–उरूखना) उल्ला मनबअ़ना गही दरकार रअ़ई ? (क्या, आधुनिक समय में धुमकुड़िया प्रवेश–समापन दिवस मनाने का आवश्यकता है?)

उत्तर – हाँ, आवश्यकता है। केन्द्र एवं राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वर्ष 2022 से लगा दी गयी है, जिसके तहत झारखण्ड में 5 आदिवासी भाषाएँ पढ़ाई जाएंगी। इस नीति के तहत स्कूल पूर्व शिक्षा की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी केन्द्र (Anganwadi) को दिये जाने की चर्चा है। यहाँ तथ्य है सभी आंगनवाड़ी सेविका आदिवासी भाषा नहीं जानती हैं, वैसी स्थिति में बच्चों को एक आदिवासी भाषा नहीं जानने वाले के जिम्मे बच्चों को सौंपना पड़ेगा, जो बच्चों के भविष्य के लिए हितकर नहीं है। इस स्थिति में पम्परागत सामाजिक पाठशाला धुमकुड़िया को फिर से जागृत तथा विकसित करना पड़ेगा और अभी के समय में धुमकुड़िया में श्रुति साहित्य के साथ लिखित साहित्य को भी सिखलाने के तरीके में शामिल करना ही पड़ेगा। ऐसा करने पर गाँव में रहते हुए आदिवासी भाषा पर आधारित रोजगार में भी आगे बढ़ा जा सकता है। इसी तरह के उदेश्य के साथ धुमकुड़िया महबा (कोरना–पूरना) उल्ला को माघ पुनई में मनाये जाने की आवश्यकता है और हमें इस ओर आना पड़ेगा।

9. बरा नाम धुमकुड़िया महबा (कोरना–उरूखना) उल्ला नु ख़द्दर गने संग्गे मनोत ! (आइये हम सभी धुमकुड़िया प्रवेश तथा समापन दिवस में बच्चों के साथ रहें !)

शोध–संकलन :– डॉ० नारायण उराँव ''सैन्दा''
दिनांक 18.12.2022

16. उराँव आदिवासी परम्परा में अध्यात्मिक अवधारणा

साधरणतया, लोग कहा करते हैं – आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। इनका कोई आध्यात्मिक चिंतन नहीं है। इनका विष्वास एवं धर्म अपरिभाषित है। ये पेड़–पोधों की पूजा करते हैं .... आदि, आदि। इस तरह के प्रष्नों एवं षंकाओं को प्रोत्साहित करने वालों से अगर पूछा जाय – क्या, वे अपने विष्वास, धर्म आदि के बारे में जानते और समझते हैं ? यदि इस तरह के प्रष्न करने वाले सचमुच अपने विष्वास, धर्म के बारे में जानते हैं, तो उनके द्वारा आदिवासियों के बारे में इस तरह के लांछण लगाये जाने का औचित्य नहीं है और यदि उन्हें अपने बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते है तो उन्हें समझाया जाना भी आसान नहीं है।

वैसे अध्यात्म एक गूढ़ विषाय है जिसकी गहराई तक कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं। मुझे अध्यात्म जैसे गूढ़ विषय पर तनिक भी पकड़ नहीं है फिर भी प्रस्तुत षीर्षक के माध्यम से आदिवासियों पर हो रहे वौद्धिक और वैचारिक अवमूल्यन के प्रति लोगों का ध्यान आकृषाट करने का मेरा छोटा सा प्रयास है। ध्यातव्य हो कि आदिवासी परम्परा में भी अध्यात्म की सारी बातें थीं और हैं, किन्तु सरसरी नजर से देखने पर पेड़–पौधे नजर आयेगें। अध्यात्मिक अवधारना में सबसे अधिक जरूरी है ईष्वर की परिकल्पना एवं मान्यता। दूसरा महत्वपूर्ण अवयव है आत्मा या अन्तर्रात्मा। विद्वत्तजनों का कहना है कि आत्मा का परमात्मा के साथ आत्मिक संबंध जोड़ना ही अध्यात्मिकता का सार है। इस परिपेक्ष्य में प्रष्न उठता है – क्या, आदिवासी विष्वास, धर्म में ईष्वर की परिकल्पना है अथवा नहीं ? उसी तरह आत्मा के संबंध में आदिवासियों की मान्यता किस प्रकार है ? इन तथ्यों को समझने के लिए परम्परागत उराँव (कुँडुख़) आदिवासी समाज में प्रचलित अनुष्ठानों एवं अवधारनाओं पर गौर किया जाना चाहिए तथा कुँडुख़ (उराँव) भाषा की निम्नांकित षब्दावली पर मनन–चिंतन किया जाना चाहिए :–

1. धरमे (**[illegible]**) :– एका सवंग सँवसेन धर'ई आ:दिम धरमे अरा एका सवंग धरना जो:गे रऊई आ:दिम धरमे अर्थात वह षक्ति जो समस्त सृष्टि को संचालित करती है तथा वह षक्ति जो अनुकरण करने योग्य है, कुँडुख़ में धरमे (ईष्वर) का यही अर्थ है। धरमे बि'ई। धर (धरना)+मे (मे:न)।

2. धरती अयंग (**[illegible]**) :– धरती अयंग। धरती अयंग बि'ई। धरती माता।

3. धरमी सवंग (**[illegible]**) :– धरमे सवंग तरती चाजरका नेम्हा सवंग। धरमी सवंग बि'ई।

4. सँवसिरा (**[illegible]**) :– सँवसे + सिरा = सँवसिरा (प्रकृति)। सँवसे = समस्त, सिरा = उद्गम स्थल। ख़ज्ज अरा ख़े:ख़ेल नु तंगआ ती सिरजारना दरा ख़ो:रना सवंग अड्डा। ई ख़ज्ज अरा ख़े:ख़ेल (सृजन का मूल श्रोत अर्थात सृजन करने वाली धरती एवं उसके अवयव) नु सिरिजतारना अरा सिरिजताअ़ना सवंग अड्डा। चिच्च, चें:च, ता:का, धरती, अकास उरमी सवंग सिरिजतु'उ सवंग गही सिरिजताअ़ना सवंग तली। वह जो मानव द्वारा निर्मित न हो। प्राकृतिक, nature, natural.

5. मय्हदेव (**[illegible]**) :– मया ननु (मया–दया करने वाला) देव, मय्याँ ता देव (उपर वाला दैवीय षक्ति) मय्हा (दयालु) देव। मय्हदेव्स बेअ़दस। वेदों में महादेव शब्द नहीं है।

6. परबईत (**[illegible]**) :– परबस्ती ननु (पालन–पोषन करने वाली) मया (माया)। परबईत बी'ई।

7. चन्ददो–बीःड़ी (**[illegible]**) :– प्रकृति में सूर्य, उर्जा एवं प्रकाष का षाष्वत श्रोत है।

8. करम देव (**[illegible]**) :– करम पूजा में, करम के देव स्वरूप की पूजा होती है। कहीं भी हे करम पेड़ या करम डाली कहकर पूजा नहीं होती है। करम देव या करम राजा कहकर पूजा होती है। नाम के जाप में षक्ति स्वरूप का आह्वान किया जाता है।

9. चा:ला अयंग (**[illegible]**) – चाल चिअ़उ अयंग। सरहुल के दिन पेड़ की छाया में, चारो दिशा में रूख कर पूजा होती है किन्तु आह्वान् एवं मंत्रोचारण में किसी पेड़ के नाम से पूजा नहीं होती है। वहाँ पर धरमे एवं धरमी सवंग अर्थात ईष्वर एवं ईष्वरीय षक्तियों की पूजा होती है।

10. देबी अयंग (**[illegible]**) :– दव ननु मे:द मलका मुक्का छाव नु संगरा चिअ़उ सवंग (बिना देहधारी, महिला रूप में अच्छाई करने वाली षक्ति स्वरूपा)। देवाँ बि'ई। देवाँ+बी'ई = देबी। देबीगुड़ी = देबी सवंग गुँडुरका अड्डा। देवाँ = good spirit (in Ho Language also)

11. पुरखा–पचबल (**[illegible]**) :– पांच पीढ़ी तक के पूर्वज। कुँडुख़ परम्परा में मृत्यु के पष्चात् षरीर को दफनाया/जलाया जाता है तथा मृतक की आत्मा को ए:ख़ मंक्खना (छाया भितराना) अनुष्ठान कर घर में स्थान दिया जाता है तथा उस आत्मा को पूर्वजों की आत्मा के साथ

सम्मिलित होने या उस मृतक की आत्मा के लिए पूर्वजों के नाम पर अनुष्ठान किया जाता है। साथ ही विभिन्न अवसरों पर उनके नाम से तर्पन एवं भोग दिया जाता है। उराँव लोगों की मान्यता है कि ईष्वर एवं उनके पूर्वज हमेषा उनकी मदद एवं देखभाल करते हैं।

12. जिया ([illegible]) (हाँस) :– आत्मा, अन्तर्रात्मा। जिया दिम उंग्गी अरा जिया दिम पुल्ली। कुँड़ुख़ परम्परा में ध ारमे सवंग (सर्वषक्तिमान ईष्वर) एवं जिया सवंग (अन्तर्रात्मा) सिर्फ इन्ही दो तत्वों को उंग्गु सवंग अथवा सामर्थ्यवान कहा गया है।

13. देव ([illegible]) :– दव ननु मे:द मलका आल मलता आ:लो छाव नु संगरा चिअ़उ सवंग (बिना देह–षरीर के मानव या मानवेतर रूप में अच्छाई करने वाली षक्ति)।

14. नाद ([illegible]) :– नंद'उ मलता नंदना ननु सवंग (विनाष करने वाला या कष्ट देने वाला)। कुँड़ुख़ जीवन में कुछ लोग अपने हिस्से की सम्पत्ति से अधिक सम्पत्ति और ताकत अर्जित करने के लिए जीवात्मा या भटकती हुई आत्मा की साधना कर अपने वष में करते हैं तथा दूसरे को दुख पहुँचाने में उस नाद की मदद लेते हैं।

15. पद्दा ([illegible]) :– गाँव। एकअम आ:लर ही पा:दा अड्डा दिम पद्दा तली। पद्दा पँचेती :– ग्रामसभा। एकअम आ:लर ही पा:दा अड्डा दिम पद्दा तली। पद्दा–पल्ली, पद्दा–पाट।

16. एड़पा ([illegible]) :– घर। एकदद तंगहय उला एड़'ई अरा ओहारी ननी। लूरएड़पा :– लूर गे ईड़'उ एड़पा। मूली–एड़पा, मण्डी–एड़पा, कोठा–एड़पा, खुपी–एड़पा, जों:ख़–एड़पा, पेल्लो–एड़पा।

17. अखड़ा ([illegible]) :– अख़ना + खटना + अड्डा (अख़आ गे खटना अड्डा/ज्ञान के लिए श्रम स्थल तथा निर्णय करने का स्थल)।

18. धुमकुड़िया ([illegible]) :– धुम–ताअ़ कुड़िया, धुम्म–धुम्म कुड़िया। धुम–ताअ़ नलना बे:चना अख़ना अड्डा (एक बुजुर्ग अपने नाती–पोते से बोला करते हैं, गुचा नतिया धुम–ताअ़ बे:चा। अर्थात बचपन में अनुशासित तरीके से खेल–खेल में जीवन जीने का तरीका सीखना और सिखलाना), कुड़िया का अर्थ छोटा घर या केन्द्र अथवा सेन्टर। अभी भी गांव में जब लड़के–लड़कियाँ अच्छे से नाच–गान करते हैं तो बुजुर्ग बोला करते हैं – इन्ना गा जों:ख़र–पेल्लर अकय द:व बिच्चयर, धुम–धुम ख़रखा लगिया। इसी तरह लड़के–लड़कियाँ जब मौसम के अनुरूप नाच–गान नहीं करते हैं तो बुजुर्ग वर्जना करते हैं – नी:म जों:ख़र–पेल्लर द:व मल बे:चा लगदर, धम्म–धुम्म ख़रखा लगी। धुमकुड़िया का अर्थ धुमसा:रना कुड़िया है अर्थात वैसा केन्द्र जहाँ से लोग विषिष्ट युवा के रूप में तैयार होकर निकलें।

19. पड़हा ([illegible]) :– पड़ा (गाँव का समूह क्षेत्र) नु पा:ड़ा अरा पड़ा नुम पड़गरआ। पड़हा का कार्य खून एवं वंष की षुद्धता बनाये रखना एवं सुरक्षा करना रहा है।

20. बिसुसेन्दरा ([illegible]) – बसा नना गे सेन्दरा। परम्परागत उराँव (कुड़ुख़) समाज में प्रत्येक वर्ष बईसाक में बिसुसेन्दरा हुआ करता था, जहाँ समाज का विध ाान एवं दण्ड का निर्णय होता था।

21. कुड़ुख़ ([illegible]) :– कुड़ना + अख़ना ती कुड़ुख़ मंज्जा। (ओ:रे नु कुड़ना–मो:खना अख़'उर, कुड़ख़र बा:तारर अरा आ:रिम नन्नारिन हूँ सिखाबा:चर। कुड़ना–मो:ख़ना अख़कत ख़ने कुँड़ख़त, कुड़ना–मो:ख़ना अक्खर ख़ने कुँड़ख़र, कुड़ना–मो:ख़ना अख़कन ख़ने कुँड़ख़न, कुड़ना–मो:ख़ना अख़कम ख़ने कुँड़ख़म, कुड़ना–मो:ख़ना अख़कय ख़ने कुँड़ख़य। (आदिकाल में किसी जंगल में सूखे बाँस के आपसी घर्षण से चीं ..... चीं .... चीं .... चीं ... की आवाज निकलते–निकलते जो अद्भूद दृष्य (दावानल) नजर आया वह कुड़ुख़ भाषा में चीं . . चीं .. से चिच्च (अग्नि) कहलाया और जो अवषेष बचा वह चिन्द (राख) कहलाया। वह चिच्च से पूरा जंगल जलने लगा और पषु–पक्षी मरने लगे। चीं .. चीं .. से चिच्च कहने वाले लोग उन अधजले मांस को खाये और बाद में जानवरों के कच्चे मांस को आग में सेंककर खाने की विधि की खोज की तथा दूसरे समूह को भी सिखलाया। इस समूह द्वारा आग एवं आग में सेंककर खाने की विधि की खोज ने पूरे मानव समाज के जीने का तरीका बदल दिया और उनकी भाषा में वे कुड़ा अख़'उ यथा कुड़ा मो:ख़ा अख़'उ से कुड़ुख़ कहलाये। आषय है, कुड़ुख़ पुरखे, आग एवं आग में कच्चे मांस को सेंक कर खाने की विधि की खोज किये और उन्हीं के द्वारा दूसरे लोगों तक पहूँचा। इस तथ्य को व्यवहार में रखने हेतु कुँड़ुख़ पुरखों ने डण्डा कट्टना अनुष्ठान में ईष्वर के नाम से समर्पित चढ़ावे यानि अण्डा को आग में तपाकर (अतख़ा नु कुड़अर) उपस्थित पुरूषों के लिए प्रसाद स्वरूप वितरण किया जाता है, तत्पष्चात ही पूजा संपन्न होता है।) अर्थात कुँड़ुख़ पूर्वजों ने ही अग्नि की खोज की और कच्चे मांस को पकाकर खाने सीखा तथा दूसरों को भी सिखलाया।

22. उराँव ([illegible]) :– उयुर (हल चलाकर खेती करने वाले) + आँवा (घेराबंदी करके आग से जलाकर संजगी अथवा खेत तैयार किया जाना) – उराँव (हल चलाने वाले तथा घेराबंदी कर आग से जलाकर खेत तैयार करने वाले),

उयुर गही गण – उरागण – उरागण ठकुर (उराँव राजघराना)। उर + आँव = उराँव – उरबस गही आँवा ती बछरका आःलर (ईष्वर की अग्नि वर्षा से बचे हुए लोग)।

23. ओल्लगी ([illegible]) :– ओंग्गना उलता अरा ओलता सवंगन लग्गना। कुँड़ुख़ संस्कृति में अभिवादन करते समय दोनों हाथ जोड़कर सिर नवाते हुए ओ'लगी कहा जाता है या बाँया हाथ से दाहिना हाथ को केहुनि से थोड़ा नीचे स्पर्ष करते हुए दाहिना हाथ को उठाकर षीष नवाते हुए ओ'ल्लगी कहा जाता है। ओलगी का षाब्दिक अर्थ ओंग्गनन लग्गना अर्थात सामने वाले व्यक्ति के अन्दर के सामर्थ्यवान को नमन करना। कुँड़ुख़ अध्यात्म एवं विष्वास में उंग्गु सवंग दो षक्ति को माना गया है – 1. धरमे सवंग (सर्वषक्तिमान) 2. जिया सवंग (अन्तर्रात्मा)। अभिवादन करते समय सामने वाले व्यक्ति के अन्तर्रात्मा को नमन किया जाता है।

24. साःरना ([illegible]) :– एम्मबा साःरना, कीःड़ा साःरना, उम्हें साःरना – महसूष करना, आत्मसात करना, to feel & realised, to relate इत्यादि।

25. सरना ([illegible]) :– स + र + न + आ। 'सिरजनन रम्फ ननु आःलोन साःरना दिम सरना।
' सरनन साःरना दिम सरना। साःरना = महषूस करना, अनुभूति, to feel & realise.

सरना = सर + ना। सरना गही 'सर' बक्कमूली ही माने हिन्दी नु गतिमान अरा अंगरेजी नु mobility मनी। कुँड़ुख़ नु नलख सरना गही माने एकअम छेका–छछंद (विग्घन–बाधा) मझी नु हूँ आ नलख ही बेड़ा सिरे मुंजुरना अख़तार'ई। ई लेखा ई सँवसिरा (प्रकृति) नु सिरिजारका उरमी दिम तंगआ डींड़ ताँड़का बेसे तंगआ बेड़ा अरा उल्ला खेप'ई। इस तरह जहाँ गति है वहाँ जीवन है और जहाँ जीवन है वहाँ गति है। ख़द्दी उल्ला चाःला टोंका नु पुजा–धाजा ननना अरा मनना नु पद्दा सिञा ता उरमी आल–आःलो ही दव कुना उज्जा–बिज्जा अरा उल्ला खेपआ गे ओहरा–बिनती ननतार'ई। इदी गे धरमे अरा धरमी सवंग ती गोहरारना मनी का तंगआ पद्दा सिञा ता सँवसे सिरजन–बिरजन दव कुना उल्ला खेपअन नेकआ अरा मलदव आःलो पददा सिञा तरा अम्मबन कोरअन नेकआ। ई सँवसिरा नु ख़ेख़ेल, मेरख़ा, ताःका, चिच्च, चेंःप (पृथ्वी, आकाष, हवा, अग्नि, पानी) उरमी दिम सवंग बि'ई। अर्थात सरना मात्र पूजा स्थल भर नहीं, बल्कि सरना एक परम्परागत आदिवासी जीवन पद्धति का सारांष है। पेड़–पौधा, जंगल–पहाड़ इत्यादि आदिवासी जीवन में एक गुरू एवं आराध्य का प्रतीक है। 'सरना आदिवासी धारम' का यही कुँड़ुख़ मूलमंत्र है।

झारखण्ड के आष्ट्रिक मुण्डारी भाषा परिवार के अनुसार सरना शब्द का संबंध सारजोम से है। सरना समाज में सरना और सारजोम का संबंध अटूट है। सरना समाज, सारजोम को त्यागते ही अपने पथ से भटक जाता है। सारजोम को आस्था का केन्द्र बनाया जाना दूसरे धर्म में नहीं है।

26 सँवसर ([illegible]) :– सँवसे + सर = सँवसर। सँवसे = समस्त, सर = गतिमान, प्राकृतिक। किसी भी स्थापित धार्मिक आस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करने वालों के लिए यह षब्द का प्रयोग हुआ है। आदिवासी समाज में खाषकर कुँड़ुख़ समाज में सर = गतिमान अथवा प्रकृति के अर्थ में सर से सरना या सर से सरहुल षब्द का प्रचलन, व्यापक हुआ है। माँ के कोख से जन्म लेने के बाद बप्तिस्मा लेकर ईसाई हुआ जाता है। इसी तरह ईस्लाम को मानने के लिए अल्लाह, कुरआन षरीफ और पैगम्बर मोहम्मद को कबूल करना पड़ता है। इसी तरह हिन्दु कहलाने के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था तथा जीवन शैली को स्वीकार करना पड़ता है। पर सँवसर कहलाने वाले वैसे लोगों का समूह है जो जन्म से ही, अपनी प्राकृतिक दषा में हों।

27. धरमे, धरती अयंग अरा धरमी सवंग ([illegible]) :– सर्वशक्तिमान ईष्वर, धरती माता (प्रकृति) एवं ईष्वरीय प्रेरणाश्रोतक षक्तियाँ (दृष्य–अदृष्य षक्तियाँ) आदि को त्रिषक्ति को आधार मानकर, आह्वान किया जाता है।

28. बेंज्जा ([illegible]) :– बन्दा बेसे बांजरना गे इंजिरना दिम बेंज्जा बि'ई। बिंज्जुर'उर + बिंज्जुर = बेंज्जा। बेंज्जा के प्रकार – (i) मड़वा (मरजईद) बेंज्जा (ii) संगहा (सगई) बेंज्जा (iii) सोहाडी (ढुकु) बेंज्जा (iv) अँवहारी बेंज्जा (v) टपा–मड़वा बेंज्जा (vi) Special marriage Act / कोर्ट बेंज्जा।

29. बेंज्जा बिहोड़ ([illegible]) :– बेंज्जा + बिहोड़ = षादी विच्छेद (तलाक)। बेंज्जा (षादी). बिहोड़ (बिहउड़ी मंज्जका अरा बिहउड़ी झोकोचका)।

30. बिहउड़ी ([illegible]) :– बिंज्जुर गही हउड़ी = बिहउड़ी। बिंज्जुर = शादी करवाने वाले। हउड़ी = हउड़ाअ़ना ती हउड़ी मंज्जकी बि'ई। अर्थात शादी करवाने वालों द्वारा खोज–खबर लेना। बेंज्जा एक पारिवारिक एवं सामाजिक रिस्ता है। किसी परिवार का शादी विच्छेद होने से सामाजिक जिम्मेदारी भी आहत होती है, इसलिए शिकायत होने पर समाज के लोग (शादी में भागीदार हुए लोग) खोज–खबर लेते हैं अर्थात हउड़ी करते हैं।

31. कोंयछंदा ([illegible]) :– कोंयछंदा ख़द्द = कोंयछा नु छंदचका ख़द्द। कोंयछा का अर्थ माँ के आंचल का थैला), छंदा (छंदचका), कोंयछंदा ख़द्द (गोद लिया हुआ बच्चा)।

32. उरागन ([illegible]) :– उयुर गही गन। खेती–किसानी करने वाले समान विचार वालों का समूह। रूईदास गढे नु कुँड़ख़र उरागन ठकुर हूँ बातारआ लगियर। मुण्डा समाज ही पुरखौती बेवस्था नु मानकी, मुण्डा, पाँड़े, ठकुर बअ़अर पदवी चितारकी र'ई। मना उंग्गी का राःजी चलाबअ़ना ती ठकुर धतम हिन्दी ता ठाकुर बेसे मंज्जा केरा होतंग। रूईदास नु गा कुँड़ख़र गही बेलजद्दी रहचा। अवंगेम कुँड़ख़र उराँव अरा उरागन ठकुर हूँ बातारर।

33. डली फड़ियाअ़ना ([illegible]) – बेंज्जा चिअ़ना डँड़ियाअ़ना। डली झोकना ([illegible])। डली किरताअ़ना ([illegible]). डली ढिबा, वधु मुल्य नहीं है। इसे वधु मूल्य या bride price न समझा जाय। कोहाँ पाःही के अवसर पर मयसरी और डली ढिबा तय होता है। यह ceremonial gift अथवा उपहार है। डली फड़ियाअ़ना कार्य परिवार के लोग नहीं करते हैं, यह समाज के लोग तय करते हैं, यह प्रथा है।

34. मयसरी ([illegible]) – मया (ममता) + सरी (प्रतीक, प्रतिनिधि) = ममता का प्रतीक भेंट या उपहार। कुछ लोग सादरी/नागपुरी बोलते हुए में मायसारी शब्द माय की साड़ी कहने लगते हैं, जो कुँडुख़ भाषा के अनुसार नहीं है। सादरी/नागपुरी में बेंज्जा के लिए शादी शब्द का प्रयोग होता है, जबकि षादी षब्द को अरबी मूल का माना गया है।

35. जतरा ([illegible]) :– जत + रा = जतरा। जतरा दो षब्द से निर्धारित हुआ है। 1. जतनाअ़ना, जिसका अर्थ सम्हालना या संजोकर रखना तथा 2. राःगे, जिसका अर्थ राग, रंग, जीवन संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज इत्यादि होता है। यह दोनो शब्द के मूल धातु के संयोग से जत + रा से जतरा शब्द बना है। जतरा के कई प्रकार हैं। 1. पड़हा जतरा 2. पद्दा जतरा। जंमीदारी व्यवस्था आने के बाद कई गांव में दरबारी जतरा भी लगने लगा था।

36. मईख़ना ([illegible]) :– मई गही खें्स काःना = मासिक धर्म, mentruation। कहा जाता है – 12 बछरे बईनी सिंगार, बईनी जिया पेल्लो मंज्जा। 12 चन्ददो 13 मईख़ना, मईनी कोरओ अक्कु धुमकुड़ियन्ता पेल्लो एड़पा।

37. देशी आस्था / Indigenous faith ([illegible]) :– झारखण्ड स्वतंत्र धर्म अधिनियम 2017, दिनांक 11 सितम्बर 2017 को झारखण्ड सरकार, विधि विभाग द्वारा अधिसूचित है। इस अधिनियम में कहा गया है कि – कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अन्यथा बलपूर्वक, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण साधन के द्वारा एक धर्म/धार्मिक आस्था से दूसरे में धर्मान्तरित नहीं करेगा या करने का प्रयास नहीं करेगा, न ही ऐसे धर्मान्तरण का दुष्प्रेरण करेगा।

यहाँ प्रश्न है कि क्या झारखण्ड सरकार यहाँ के परम्परागत आदिवासियों के आस्था–विश्वास को स्वीकार करती है तथा किसी नाम से जानती है ? इसका उत्तर है – हाँ। झारखण्ड सरकार, झारखण्ड के परम्परागत आदिवासियों के आस्था–विशवास को देशी आस्था (Indigenous faith) कहती है।

झारखण्ड स्वतंत्र धर्म अधिनियम 2017 के कंडिका 2(च) में कहा गया है – ''ऐसा धर्म, विश्वास एवं परम्पराएँ जिनमें धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकाण्ड, पर्व–त्योहार, अनुशरण, प्रदर्शन, वर्जना, प्रथाएँ जैसा कि झारखण्ड में अनुसूचित जनजाति समुदायों के द्वारा स्वीकृत, मान्य तथा व्यवहार्य है, जब से ऐसे समुदाय जाने जाते हैं।''

38. सरना आदिवासी धरम ([illegible]) :– दिनांक 11.11.2020 को झारखण्ड विधान सभा द्वारा झारखण्ड के आदिवासियों की परम्परागत आस्था एवं धार्मिक विश्वास को नाम दिये जाने तथा जनगणना सूची में धार्मिक आस्था कॉलम में शामिल किये जाने की वर्षों से लंबित मांग को पर सरना आदिवासी धरम नाम को सर्वसहमति से पारित किया और केन्द्र सरकार को जनगणना 2022–23 में धर्म कॉलम में शामिल करने हेतु भेजा गया। वैसे केन्द्र सरकार द्वारा इसे मान्यता नहीं मिला है।

इस तरह यह तथ्य है कि आदिवासियों की अपनी सभ्यता, संस्कृति, रीति–रिवाज, परम्परा, धर्म, अनुष्ठान इत्यादि सभी चीजें हैं। जरूरत है इसे समझने और आत्मसात करने की। ईष्वर एवं ईष्वरीय शक्तियाँ सबके लिए एक समान है। आवश्यकता है एक अच्छा पात्र बनकर अपनी अन्तर्रात्मा को परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने की। एक सच्चा आदिवासी इस संबंध को स्थापित करने के लिए अपने कार्य को ईश्वर का कार्य समझकर ईमानदारी एवं निष्ठा पूर्वक करने का प्रयास करता है। अध्यात्म का दरवाजा भी यहीं से खुलता है। अध्यात्म व्यक्ति को ईमानदार, नीतिवान, नैतिकवान और चरित्रवान बनाता है जिसकी आवश्यकता समाज को है।

शोध संकलन सह आलेख :–
डॉ. नारायण उराँव 'सैन्दा'
दिनांक – 31 दिसम्बर 2022

17. उराँव (कुँड़ुख़) सामाजिक परम्परा में धर्म की मान्यता

– डॉ० नारायण उराँव ''सैन्दा'' एवं श्री गजेन्द्र उराँव''सैन्दा''

विगत दो दशक से परम्पागत आदिवासी समाज आत्मोत्थान के दौर से गुजर रहा है। झारखण्ड आन्दोलन से लेकर अबतक सामाजिक एवं धार्मिक जागरण के नामपर अनेकानेक विचार–गोष्ठी एवं रैलियाँ आयोजित की गई। लोग इन विचार–गोष्ठियों में आते और चले जाते। धीरे–धीरे अब ये धुंध के बादल छंटने लगे हैं। गाँव के बुर्जुग, शिक्षाविद, धर्म के जानकार आदि इन गुत्थियों को सुलझाने में अपनी ज्ञान उर्जा का उपयोग कर रहे हैं। कई लोग, अपने एवं अपनों के बीच प्रतिदिन उठ रहे सवालों के जबाब ढूंढ़ने के लिए इधर–उधर माथा पच्ची कर रहे हैं। छोटानागपुर के पठार से लेकर असम के चायबगान तक उठ रहे सामाजिक एवं धार्मिक उलझावपन के उधेड़बुन की कड़ी में दिनांक 07.08.2012 को सोनितपुर, असम से श्री सुरेश उराँव, दिनांक 15.11.2010 को प0 बंगाल बालुरघाट से श्री बन्धन उराँव एवं दिनांक 14.01.2011 को भरनो, गुमला से श्री अरविन्द उराँव आदि जिज्ञासुओं द्वारा भेजे गए प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़ने के लिए कई अलग–अलग लोगों तक पहुँचकर उन प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ने का प्रयास किया गया है। इन प्रश्नों का उत्तर *''अद्दी कुँड़ुख़ चाःला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा'* नामक संस्था के सदस्यों के संयुक्त प्रयास से डॉ0 नारायण उराँव, सैन्दा, गुमला, श्री मंगरा उराँव, न्यू एरिया, मोरहाबादी, राँची एवं श्री विनोद भगत, हिरही, लोहरदगा आदि के साथ विचार–विमर्श के पश्चात् संग्रहित उत्तर को उन जिज्ञासुओं एवं आप सबों तक पहुँचाया जा रहा है। प्रश्न एवं उत्तर इस प्रकार है –

प्रश्न 1. :– उराँव सामाजिक परम्परा एवं अवधारणा में धर्म का शाब्दिक अर्थ, क्या है ?

उत्तर :– धरमे (ईश्वर) अरा धरम बक्क, धरना बक्क ती मंज्जकी रअ़ई। धरमे अरा धरम ही पईत्त नु कुँड़ुख़ कत्था नु एन्ने बुझुरतार'ई – एका सवंग संवसेन धर'ई आःदिम धरमे अरा एका सवंग धरना जोःगे रअ़ई, आःदिम धरमे दरा धरमे सवंग ही धरताचका डहरे दिम धरम। (हिन्दी में इसे इस तरह समझा जा सकता है :– धरम शब्द की व्युत्पित्ति धरमे शब्द से हुई है। कुँड़ुख़ भाषा में ईश्वर को धरमे कहा जाता है। ईश्वर एवं धर्म के बारे में कुँड़ुख़ समाज की अवधारणा इस प्रकार है – जो शक्ति सम्पूर्ण सृष्टि को पकड़े हुए है वही ईश्वर है एवं जो शक्ति अनुकरण एवं अनुशरण करने योग्य है वही ईश्वर है। इसी तरह ईश्वर के द्वारा पकड़वाया गया एवं अनुकरण करवाया गया नीति–नियम ही धर्म है।) अंगरेजी में धर्म को Religion कहा जाता है। अंगरेजी का Religion शब्द Latin भाषा के *religio* शब्द से बना है जिसका अर्थ obligation, bond आदि होता है। अंगरेजी शब्दकोश में Religion शब्द का अर्थ इस प्रकार है :– 1. The belief in a superhuman controlling power, esp. in a personal God or Gods entitled to obedience and worship. 2. A particular system of faith and worship. (D.K. Illustrated Oxford Dictionary, p-694). इस प्रकार प्रमाणित होता है कि प्राचीन भाषा लैटिन और इंगलिश तथा प्राचीन भारतीय आदिवासी भाषा कुँड़ुख़ में ईश्वर की अवधारना लगभग एक जैसी है। वैसे साहित्य के अभाव में आदिवासियों की परम्परा, विश्वास एवं आदिकालीन धर्म को भले ही लोग अविकसित एवं अपरिभाषित कहकर उपेक्षा करें किन्तु अंगरेजी समझने वाले, प्राचीन परम्पारिक कुँड़ुख़ (उराँव) समाज की ईश्वर की अवधारना को अब गौन नहीं करेंगे।

आज भी सरहुल के दिन सरना स्थल में सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से ही पूजा–अराधना की जाती है, उसके बाद ही दूसरे देव या दैवीय शक्ति की पूजा होती है। इसी तरह कुँडुख परम्परा में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा को *एःख़ मंक्खना* (छाया भितराना) नेग कर अपने घर में स्थान दिया जाता है और गुहार लगाया जाता है कि वे उनके परिवार का देखभाल करते रहें। उराँव लोगों की अवधारना है कि परमात्मा (ईश्वर) एवं पूर्वज, उनको तथा उनके कार्यों को देखते रहते हैं और उनको स्वप्न के माध्यम से रास्ता दिखलाते रहते हैं। इसी अवधारना के चलते एक सच्चा उराँव आदिवासी झूठ, चोरी या बेईमानी करने से झिझकता है।

प्रश्न 2. :— आस्था–विश्वास के साथ धर्म का क्या संबंध है ?

उत्तर :— आस्था–विश्वास के साथ धरम का अटूट संबंध है। आस्था–विश्वास ही धर्म का आधार है। यदि आप विश्वास करेंगे कि ईश्वर है तभी धर्म पर आस्था जगेगी। ईश्वर पर विश्वास किये बिना धर्म की व्याख्या नहीं की जा सकती है।

प्रश्न 3. :— अलौकिकता के वगैर धर्म हो सकता है या नहीं ?

उत्तर :— ईश्वर पर विश्वास करना, अलौकिकता (जो लोक में न दिखता हो, असाधारण हो) को समझने की पहली सीढ़ी है। ईश्वर पर आस्था–विश्वास के वगैर, ईश्वर की अलौकिकता को समझना कठिन है। यह चराचर जगत अपनी गति में निरंतर गतिमान है, यही अलौकिकता है। हमारे पुरखे इन्हीं तथ्यों को समझकर अपने पूजा–अनुष्ठान में इस अलौकिकता के बने रहने अथवा चलते रहने के लिए ईश्वर एवं ईश्वरीय शक्तियों से प्रार्थना–विनती करते रहे हैं। जीवन में कई ऐसी घटनाएँ घटतीं हैं, जिसके कारणों को हम समझ नहीं पाते हैं सिर्फ वह घटना हमारी अनुभूति में रहती है। ईश्वरीय संदेश, किस रूप में, कब और किसे मिल जाए, इसे कोई नहीं जानता है। यदि वह बतलाया जाता है तो वह लौकिक होगा, अलौकिक नहीं।

प्रश्न 4. :— पूजा–पाठ से धर्म का क्या संबंध है ?

उत्तर : पूजा–पाठ ईश्वर भक्ति का अथवा ईश्वर को याद करने का एक तरीका है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास है। यह मानव को ईश्वर से तथा मानव को मानव से जोड़ता है।

प्रष्न 5. :— धर्म की क्या जरूरत है ?

उत्तर :— धर्म, मानव को ईश्वर से तथा मानव को मानव से जोड़ता है। एक मानव होकर दूसरे मानव से जुड़ने में धर्म एक सहारा है। अतएव समाज में बने रहने के लिए समाज द्वारा निर्धारित सामाजिक सिद्धांत ही धार्मिक सिद्धांत बन जाता है।

प्रष्न 6. :— धर्म से क्या लाभ (प्रोफिट) हो सकता है ?

उत्तर :— मानव को मानव से जोड़ना तथा मानव का ईश्वर से संबंध बनाये रखना, धर्म का मूल मंत्र है। अपने

आत्मोत्थान के लिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अथवा ईश्वर पर विश्वास करके कार्य कीजिए, रास्ता खुलने लगेगा। यह अलौकिकता भले ही इन लौकिक आँखों से नहीं दिखाई दे किन्तु आत्मिक शांति और सुख की अनुभूति होगी तथा आपकी कार्य–सिद्धि होती रहेगी।

प्रश्न 7. :– सरना धर्म का नाम पूजा स्थल के नाम पर क्यों ? सरना धर्म का अर्थ क्या है ?

उत्तर :– कुँडुख़ भाषा में ***नलख सरना*** क्रिया शब्द का अर्थ विध्न बाधाओं के बीच किसी कार्य का नियत समय में सम्पन्न होना होता है। इस चराचर जगत में सिर्फ प्रकृति ही निरंतर अपनी गति में गतिमान है। प्रकृति का अपनी गति में गतिमान होना ही अलौकिकता है। प्रकृति का परम तत्व जिसे पंच्च तत्व भी कहा जाता है अर्थात ख़ेःख़ेल, मेरख़ा, ताःका, चिच्च, चेंप (धरती, आकाश, हवा, अग्नि, पानी) के सम्मिलन से पूरी सृष्टि की रचना होती है, यह अलौकिक प्राकृतिक सत्य है। हमारे पुरखे इन्हीं तथ्यों को समझकर अपने पूजा–अनुष्ठान में इस अलौकिकता के बने रहने अथवा चलते रहने के लिए ईश्वर एवं ईश्वरीय शक्तियों (धरमे अरा धरमी सवंग) से प्रार्थना करते हैं। सरना स्थल में गाँव के पहान द्वारा गाँव सीमा के अन्दर मनुष्य, जानवर, कीड़ा, पतिंगा, पेड़–पौधे आदि सभी जीव–जन्तुओं के सतत जीवन चलते रहने के लिए ईश्वर एवं ईश्वरीय शक्तियों से प्रार्थना करता है। इस तरह सरना एक जीवन पद्धति है और इसी जीवन पद्धति के नाम पर धर्म का नाम होना भी एक अलौकिकता है। इसे आत्मसात करना आध्यात्मिक जीवन पद्धति को सरना पूजा स्थल पर हो रहे पूजा–अनुष्ठान को देख–समझकर ही समझा जा सकता हैं। इसे दूसरे समुदाय की व्यवस्था से तुलना करके समझा नहीं जा सकता है। सरना शब्द को स+र+न+आ की तरह अलग–अलग करके उस रहस्य तक पहुँचा जा सकता है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है – सिरजनन रम्फ ननु आःलोन साःरना (to feel & realised, आत्मसात करना, महसूस करना) दिम सरना मलता सरनन साःरना दिम सरना बि'ई। साःरना का अर्थ महशूस करना या आत्मसात करना या धारण करना होता है। इस तरह सम्पूर्ण सृष्टि को प्रकाशित एवं संचालित करने वाले *धरमे अरा धरमी सवंग* (ईश्वर एवं ईश्वरीय शक्तियाँ) को महशूस कर आत्मसात करना ही, सरना धर्म की महागाथा है।

उपरोक्त प्रश्नोत्तर, आधुनिक युवा पीढ़ी को भले ही अटपटा लगे किन्तु प्रौढ़ावस्था में यही सवाल–जबाब आत्मोत्थान के रास्ते तैयार करेंगे। वर्तमान समय में, गाँव एवं शहर के बीच तथा अनपढ़ एवं पढ़ालिखा वर्ग के बीच दिनों–दिन एक गहरी खाई बनती जा रही है। इस दूरी को इन्हीं सवाल–जबाब के माध्यम से कम किया जा सकेगा।

– **सदस्य,**

अद्दी कुँडुख़ चाःला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा,

प्रधान कार्यालय – म0न0 10, करमटोली चौक, राँची (झारखण्ड)

18. तोलोङ सिकि की विकास यात्रा और रा:जी पड़हा, भारत

कुँड़ुख भाषा की लिपि तोलोङ सिकि के बारे में कहा जाता है कि यह लिपि, भारतीय आदिवासी आंदोलन एवं झारखण्ड का छात्र आंदोलन की देन है। इस लिपि का षोध एवं अनुसंधान पेषे से चिकित्सक डॉ0 नारायण उराँव द्वारा 1989 में आरंभ किया गया। उन्होंने पहली बार 1993 में सरना नवयुवक संघ, राँची द्वारा आयोजित, करमा पूर्व संध्या के अवसर पर राँची कालेज, राँची के सभागार में प्रदर्षनी हेतु रखा। इस लिपि में पहली प्राथमिक पुस्तक ''कुँड़ुख तोलोङ सिकि अरा बक्क गढ़न'' के नामक से दिसम्बर 1993 में उषा इंडस्ट्रीज, भागलपुर (बिहार) में छपा और हिजला मेला, दुमका 1994 में, प्रदर्षनी के लिए रखा गया।

हमें ज्ञात है कि रा:जी पड़हा, भारत के सामने यह बात 3, 4 एवं 5 जनवरी 1997 में राजी देवान श्री भिखराम भगत के नेतष्त्व में हुए वार्षिक राजी पड़हा सम्मेलन, बमनडीहा, लोहरदगा में आया। सम्मेलन में ''तोलोङ सिकि'' की प्रस्तुति पर विस्तृत परिचर्चा हुई और सर्वसम्मति से तोलोङ सिकि को कुँड़ुख़ भाषा की लिपि के रूप में रा:जी पड़हा सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया। इसी बीच पूर्व मंत्री एवं सांसद श्री इंद्रनाथ भगत के सलाह पर बाबा भिखराम भगत ने कहा कि लिपि के साथ इसका व्याकरण भी तैयार हो तथा समाज के षिक्षाविदों से मंतब्य प्राप्त होने के बाद ही राजी पड़हा की ओर से सहर्ष स्वीकृत समझा जाएगा। उसके बाद, एक पड़हा बैठक मार्च 1998 में राजी पड़हा देवान श्री भिखराम भगत के नेतृत्व में घाघरा, गुमला में सम्पन्न हुआ। इस बैठक में पड़हा प्रतिनिधियों के सामने दूसरी बार तोलोंग सिकि को प्रदर्षित किया गया। यहाँ उपस्थित प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से तोलोङ सिकि को कुँड़ुख़ भाषा की लिपि के रूप में स्वीकार किया। किन्तु बाबा भिखराम भगत ने जोर देकर कहा कि – ''रा:जी पड़हा के सामने कुँड़ुख़ भाषा का व्याकरण तोलोंग लिपि में तैयार कर लाया जाय एवं षिक्षाविदों तथा प्रोफेसर समूह के लोगों की सहमति भी बने।'' इसी क्रम में दिनांक 19.09.1998 को बिहार जनजातीय कल्याण षोध संस्थान, राँची के एक सरकारी विभागीय बैठक में निर्णय हुआ कि कुँड़ुख़ भाषा की लिपि तोलोंग सिकि है तथा तोलोंग सिकि के विकसित होने तक साहित्य सृजन एवं पठन–पाठन में देवनागरी लिपि का भी प्रयोग किया जाय।

इसके बाद लिपि एवं व्याकरण में षोध कार्य होता रहा और कुँड़ुख़ समाज में तोलोड़ सिकि (लिपि) की सामाजिक मान्यता बढ़ती रही तथा 15 मई 1999 को डॉ० रामदयाल मुण्डा, पूर्व कुलपति रॉची विष्वविद्यालय, रॉची एवं डॉ० (श्रीमती) इंदु धान, पूर्व कुलपति, मगध विष्वविद्यालय, बोधगया (बिहार) द्वारा एक संवादाता सम्मेलन कर तोलोंग सिकि को जनमानस के व्यवहार के लिए जारी किया गया। इसके बाद समाज द्वारा संचालित विद्यालयों में कुँड़ुख भाषा एवं तोलोड़ सिकि की पढ़ाई गुमला जिला के विभिन्न गैर सरकारी विद्यालयों में होने लगी। समय बीतने के साथ, वर्ष 2003 में झारखण्ड सरकार द्वारा कुँड़ुख भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने हेतु अनुसंषित किया गया, जिसमें कहा गया कि कुँड़ुख भाषा की लिपि तोलोङ सिकि है।

इस तरह झारखण्ड सरकार की ओर से कुँड़ुख भाषा एवं लिपि (तोलोड़ सिकि) पर वर्ष 2003 में सरकार का निर्णय लिये जाने के बाद झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (जैक) द्वारा वर्ष 2009 में कुँड़ुख़ कत्थ खोड़हा लूरएड़पा भागीटोली, डुमरी (गुमला) विद्यालय के छात्रों को मैट्रिक परीक्षा में कुँड़ुख़ भाषा विषय की परीक्षा, तोलोड़ सिकि में लिखने की अनुमति मिली और परीक्षा फल प्रकाषित हुआ। उसके बाद उस विद्यालय के छात्र अबतक कुँड़ुख़ भाषा विषय की परीक्षा तोलोङ सिकि में लिख रहे हैं।

इधर राजी पड़हा सम्मेलन के स्थानीय निकाय अथवा डाड़ा पड़हा बालीजोड़ी, राउरकेला, ओड़िसा में दिनांक 10 जनवरी 2011 को श्री मंगला खलखो के नेतष्त्व में पड़हा गुरू स्व० भिखराम भगत की 74 वीं जयंती मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय पड़हा गुरू भिखराम भगत की धर्मपत्नी श्रीमती बुधेष्वरी भगत थीं। इस कार्यक्रम में कुँड़ुख़ भाषा, संस्कषति एवं लिपि के संबंध में श्री भिखराम भगत द्वारा पूर्व में बतलाये

गये सुझाव के अनुसार उनका बचन इसी दिन पूरा हुआ। उनका कहना था कुँड़ुख़ भाषा के लिए एक लिपि और उसका व्याकरण चाहिए। उनके 74 वीं जयंती के अवसर पर डॉ0 नारायण उराँव द्वारा लिखित पुस्तक ''कुँड़ुख़ कत्थअईन अरा पिंज्जसोर'' की पांडुलिपि का लोकापर्ण, माननीय गुरूमाता श्रीमती बुधेष्वरी भगत के हाथों सम्पन्न हुआ। साथ ही तोलोङ सिकि को कुँड़ुख़ भाषा की लिपि की घोषणा की गई और साहित्य सृजन किये जाने की अपील की गई। उसके बाद 27 मई 2012 को ''राजी पड़हा स्वर्ण जयन्ती समारोह'' के अवसर पर मोरहाबादी, राँची में राःजी बेल श्री बागी लकड़ा, राःजी देवान श्री खुदी भगत 'दुखी' ओड़िसा एवं छत्तीसगढ़ से आये राजी पड़हा, भारत के पदाधिकारी एवं षिक्षाविंद डॉ० करमा उरॉव तथा डॉ० हरि उरॉव आदि की उपस्थिति में कुँड़ुख़ भाषा की लिपि, तोलोंग सिकि की सामाजिक घोषणा की गई। उसके बाद दिनांक 22, 23, एवं 24 अक्टुवर 2012 को हुए कालुंगा, राऊरकेला ओडिसा में कुँड़ुख़ लिटरेरी सोसाईटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि राःजी पड़हा, भारत के राजी बेल श्री बागी लकड़ा के हाथों सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर अलग–अलग प्रान्तों से आये भाषा प्रेमियों ने भाषा एवं लिपि पर चर्चा की जिसका उत्तर समिति की ओर दिया गया। इन तथ्य परख अवधारणाओं पर मुझे संतोष और खुषी हुई।

उसके बाद दिनांक 22, 23, एवं 24 मई 2015 को, स्थान लोरोबगीचा, नवडीहा, घाघरा (गुमला) में तीन दिवसीय ''राजी पड़हा सम्मेलन'' में राजी देवान श्री खुदी भगत 'दुःखी' ने कुँड़ुख़ भाषा की लिपि, तोलोङ सिकि'' की आवष्यकता एवं उपयोगिता विषय पर परिचर्चा के बाद सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में तोलोङ सिकि को कुँड़ुख़ भाषा की लिपि की सामाजिक मान्यता दिये जाने की घोषणा की और पठन–पाठन एवं साहित्य सृजन किये जाने का आहवान किया। इसके अतिरिक्त, कई पड़हा बैठक में भाषा एवं लिपि विषय पर निर्णय हुआ है। ज्ञात है कि ''22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2014'' छपर बगीचा, लावागांई सम्मेलन में तोलोङ सिकि (लिपि) को कुँड़ुख़ भाषा की लिपि के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और 21 पड़हा द्वारा संचालित विद्यालयों को कुँड़ुख़ भाषा और तोलोङ सिकि की पढ़ाई आंरभ की गई है। इस भाषायी आन्दोलन को आगे बढ़ाते हुए झारखण्ड विधान सभा, राँची के माननीय अध्यक्ष, डॉ० दिनेष उरॉव की तत्परता से झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रॉची द्वारा मैट्रिक में कुँड़ुख़ भाषा विषय की परीक्षा तोलोङ सिकि (लिपि) लिखने की अनुमति दिनांक 12.02.2016 को अधिसूचना जारी की गई। वर्ष 2018 से प.बंगाल में लिपि मान्य है। वर्तमान में, डॉ0 नारायण भगत, प्राध्यापक कुँड़ुख, डोरण्डा कॉलेज एवं डॉ0 नारायण उराँव ''सैन्दा'' के संयुक्त प्रयास से एक अदद व्याकरण प्रकाष में आया है जिसका नाम है – 'ईन्नलता कुँड़ुख़ कत्थअईन'(आधुनिक कुँड़ुख़ व्याकरण)। इस संबंध में स्वंय डॉ0 नारायण उराँव कहते हैं कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि बाबा भिखराम भगत, लिपि के साथ–साथ व्याकरण लाने का आदेष क्यों दिये ? षायद यह भी एक दैवीय संयोग था। यदि पूर्व में ही राःजी पड़हा से स्वीकृति मिला होता तो लिपि के साथ एक अच्छा कुँड़ुख़ व्याकरण समाज को नहीं मिल पाता। डॉ0 नारायण के इस वक्तव्य से मैं आष्वस्त हुआ कि राःजी पड़हा ने समाज हित में निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं किया। समाज की मांग को देखते हुए, दिनांक 30.12.2018 को पाःदा पड़हा, ओडिसा के वार्षिक सम्मेलन में मैं राःजी बेल, राःजी पड़हा, भारत की ओर से कुँड़ख़ भाषा की तोलोङ सिकि, लिपि को समाज में व्यवहार करने के लिए स्वीकृत एवं अनुमोदित करने की घोषणा करता हूँ।

फोटो में दायें से श्रीमती मानू लकड़ा एवं एडवोकेट बागी लकड़ा, श्री विनोद भगत 'हिरही' तथा डॉ0 नारायण उराँव।

– एडवोकेट बागी लकड़ा
राःजी बेल, राःजी पड़हा, भारत।
पता : ग्राम – जगदा, पो0 + थाना : झिरपानी
भाया राउरकेला 42, जिला : सुन्दरगढ़ (ओड़िसा)

[illegible]

परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2019–22 का घोषणा पत्र

कैम्प कार्यालय :– पड़हा पिण्डा, ग्राम : सैन्दा, थाना : सिसई, जिला : गुमला, पिन – 835324

उराँव (कुँड़ुख़) परम्पारिक समाज, अपनी रूढ़ीगत व्यवस्था को संरक्षित एवं संवर्द्धित करने के उदेश्य से भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996, (PESA 1996) के धारा 4 (घ) के आलोक में दिनांक 04 एवं 05 मई 2019 को ग्राम सभा जिसके अन्तर्गत 22 ग्राम सभा (22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2019), स्थान : टाना बगिचा, लंगेटा पबेया, थाना : सिसई, जिला : गुमला में तथा 21 एवं 22 मई (रविवार) 2022 को दो दिवसीय, पड़हा सम्मेलन, ग्राम : अताकोरा गडरी टोली, थाना : भरनो, जिला : गुमला (झारखण्ड) में, विधि विशेषज्ञों से समीक्षा के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया और 22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा महाधिवेशन के पड़हा बेल (राजा) : श्री दशरथ टाना भगत, पड़हा देवान (मंत्री) : श्री मटकु उराँव तथा पड़हा कोटवार : श्री गजेन्द्र उराँव के संयुक्त हस्ताक्षर से जनसूचना एवं अनुपालन हेतु जारी किया गया। जो इस प्रकार है :–

1. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज अपने घर–परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुँड़ुख़ नेगचार एवं पर्व त्योहार को शुद्धता एवं श्रद्धा के साथ मनाएँ। साथ ही कुँड़ुख़ समाज के सभी, अपने पड़हा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा, पड़हा एवं धुमकुड़िया को परम्परागत तरीके से पुनर्गठित एवं संगठित करें। साथ ही अखड़ा, चाःलामड़ा तथा देबीगुड़ी को सुरक्षित एवं संरक्षित करें।

2. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज में सामाजिक शादी के अन्तर्गत सिर्फ स्वजातीय शादी की मान्यता है किन्तु स्वजाति में सगोत्रीय शादी वर्जित है। स्वजाति सगोत्रीय एवं विजातीय शादी को परम्परागत कुँड़ुख़ समाज, वर्जित करता है। एक गोत्र के लोगों में भाई–बहन का रिश्ता माना गया है। सामाजिक परम्परा के विरूद्ध की गयी शादी निंदनीय एवं दण्डनीय है।

3. कुँड़ुख़ समाज पुरूष वंष परम्परा पर आधारित है। अतएव वर्जना के बाद भी यदि कोई पुरूष विजातीय शादी या ढुकू को बढ़ावा देता है तो उसे समाज मान्यता नहीं देता है। अतएव परम्परानुसार वह सामाजिक दण्ड का भागी होगा और समाज में मिलने–मिलाने के लिए वर–वधु का सामाजिक शुद्धिकरण तथा सामाजिक शादी नेगचार आवष्यक होगा। सामाजिक दण्ड के रूप में 5100/(पांच हजार एक सौ) रूपया एवं पड़हा भोज करना होगा।

4. कुँड़ुख़ समाज में वर्जना के बाद भी यदि कोई महिला विजातीय शादी को बढ़ावा देती है तो वह गाँव एवं समाज को छोड़कर अपने चुने हुए पति के साथ चली जाय। इस कृत्य के लिये परम्परानुसार उसके माता–पिता या अभिभावक सामाजिक दण्ड के भागी होंगे तथा उस महिला को एवं उसके संतान को अपने मूल जाति समाज का सदस्य नहीं माना जाता है। उदाहरण – एक उराँव महिला तथा एक गैर उराँव पुरूष से उत्पन्न संतान को उराँव जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। सामाजिक दण्ड के रूप में लड़की के पिता को 2500/(दो हजार पाँच सौ) रूपया एवं पड़हा भोज करना होगा। रूढ़ी व्यवस्था के अंतर्गत जाति–बाहर लोग परम्परागत समाज का नियम तथा रूढ़ीप्रथा सामाजिक सम्पति नियम कायदा से मुक्त एवं बाहर हो जाते हैं।

एक आदिवासी लड़की अपने परिवार, समाज और कबिला के वर्जना के बाद भी यदि दूसरे समाज के लड़के के साथ षादी रचाती है तो वह परिवार, समाज और कबिला छोड़कर चले जाय और यदि वह दूसरे समाज में चली जाती है तो वह सामाजिक रिष्ता और अधिकार छोड़कर जाती है। वैसे में एक आदिवासी बनकर जमीन खरीदना आदिवासी रूढ़ी–प्रथा समाज के खिलाफ है। संसद द्वारा पारित PESA कानून आदिवासी सामाजिक रूढ़ी–प्रथा पर न्याय करे। आदिवासी सामाजिक रूढ़ी–प्रथा के अनुसार जमीन खरीद के लिए आदिवासी पिता और आदिवासी पति होना आवश्यक है।

5. परम्परागत आदिवासी समाज में जमीन को परिवार के भरण–पोषण का आधार माना गया है, जिसके चलते यह वंशानुगत सम्पति है और सामाजिक व्यवस्था में एक वषं से अन्य वषं में हस्तान्तरण नहीं हो सकता है। इस परम्परा के अनुसार

समाज में हरेक लड़की को शादी से पहले अपने पिता के घर तथा शादी के बाद अपने पति के वंशानुगत सम्पति में स्वाभाविक उपभोग की भागीदार माना गया है, किन्तु पुस्तैनी जमीन को बेचना महिला के लिए वर्जित है। एक वयस्क लड़की या महिला को अपना जीवन साथी चुनने तथा साथ रहने का हक है, जिसमें समाज के अन्दर जीवन साथी का चुनाव करने पर, परिवार की सहमति या असहमति की वाध्यता शिथिल किया गया है। लड़की या महिला की यह सामाजिक आजादी के चलते, वंषानुगत पारिवारिक अचल संपत्ति को हस्तान्तरण से रोकने तथा बचाने के लिए पुस्तैनी जमीन को महिला द्वारा बेचना वर्जित है। सी. एन.टी. में भी दर्ज है कि भूईहरी एवं कोड़कर खेत, सिर्फ खेवटदारों के बीच उपयोग किया जा सकता है।

6. परम्परागत कुँड़ुख़ उराँव समाज में शादी के समय बेंज्जा किचरी में हल्दी लगा हुआ लाल पाड़ साड़ी तथा लड़का के लिए हल्दी लगा हुआ धोती अनिवार्य होगा। परम्परागत कुँड़ुख़ समाज में शादी के अवसर पर सिर्फ नेग हड़िया का व्यवहार होगा। शादी नेग में कुल लेन–देन 1101 रू0 के अन्दर होगा।

7. परम्परागत पड़हा समाज के शादी–व्याह के अवसर पर परपरागत बाजा का रिवाज है। डिस्को बाजा या बैंड बाजा को पड़हा समाज वर्जित करता है। उलंघन करने पर 5000/(पांच हजार) रूपया जुर्माना देना होगा।

8. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज, एक शादी की अनुमति देता है किन्तु विशेष परिस्थिति में, जैसे – (1) पहली पत्नी की मृत्यु होने पर। (2) पहली पत्नी के पागल होने पर। (3) पहली पत्नी के अपनी मर्जी से घर छोड़कर चले जाने पर। (4) पहली पत्नी के बदचलन साबित होने पर। (5) पहली पत्नी से वंष न चल पाने पर (अर्थात बांझपन की स्थिति में), पति–पत्नी के रजामंदी से परिवार की खुषी के लिए समाज में, सगई नेग द्वारा समाज में दूसरी पत्नी लाने का प्रथा है। सगई नेग में सिर्फ सभा सिंदरी नेग होता है, पगसी में बैठना तथा पट्टा में चढ़ना नेग नहीं होता है। एक लड़के द्वारा पहली पत्नी के रहते जबरन दूसरी औरत लाये तो समाज भितर करने में सिर्फ सभा सिंदरी किया जाता है।

(नोट :– कई बार पहली पत्नी से बच्चा नहीं होने की स्थिति में पहली पत्नी अपने घर–परिवार की खुषी के लिए अपने पति से कहती है – एःन निंग्गा गे अउर ओण्टा कनियाँ बेद्दा चिआ लगेन, मुन्दा एंग्गन अमके अम्मबा, नाम ओरमत संग्गेम रओत। रूढ़ीगत आदिवासी समाज में खेत, खेती और आदमी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आदिवासी समाज का एक व्यक्ति अपने तथा परिवार के लिए जंगल साफ कर नया खेत बनाता है या फिर अपने खेत में नया पेड़ लगाता है यह सोचकर कि उनके बाल–बच्चों के लिए समय पर काम आवे। बांझपन का मापदण्ड या परिभाषा, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मान्य होगा। परम्परागत शादी तथा परम्परागत सगई दोनों मान्य है। परम्परागत षादी में लड़का–लड़की को पगसी (जुआठ) में बैठाया जाता है और पट्टा में चढ़ाकर सिंदरी टिप्पा करवाया जाता है, सगई नेग में पट्टा में चढ़ाकर ओर पगसी में बैठाने वाला नेग नहीं होता है, सिर्फ सभा सिंदरी होता है। इसलिए सामाजिक मान्यतानुसार की गई षादी के बाद उत्पन्न बच्चे के लिए समाज, उसके पिता की सम्पति का हिस्सेदार बनाती हैं। सामाजिक षादी के बाद खाषकर पासपोर्ट के लिए रजिस्टर्ड मैरेज सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। वैसी स्थिति में स्पेषल मैरेज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवाया जा सकेगा।)

9. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज, एक शादी की अनुमति देता है किन्तु विषेष परिस्थिति में एक महिला, जैसे – (1) पहले पति के मृत्यु होने पर। (2) पहले पति के पागल होने पर। (3) पहले पति के नामर्द रहने पर। (4) पति द्वारा पहली पत्नी के रजामंदी में बिना दूसरी औरत लाने पर – षादीषुदा महिला, अपने व्यक्तिगत हित में पहले पति को छोड़कर चली जाया करती है या कहीं–कहीं अपने परिवार की खुषी बनाये रखने में मदद करने में बढ़चढ़ कर हिस्सेदार बनती है। एक महिला को पूरी आजादी है कि वह पति के घर रहे या पति को छोड़कर जाय।

नोट :– सिक्किम राज्य के कई आदिवासी समूह में महिला को तलाक लेने का हक नहीं है। यह उद्धरण एक अंगरेजी पत्रिका में छपे खबर के अनुसार है।

10. पति–पत्नी के बीच संबंध विच्छेद (तलाक) के लिए परम्परागत तरीके से बिहउड़ी लेन–देन किया जाना आवष्यक है। पुत्र/पुत्री के परवरिष (परबस्ती) की जिम्मेदारी प्राकृतिक रूप से पिता पर होगी। यदि बच्चा 5 साल से कम हो तो वह माँ के साथ रह सकेगा या बिहउड़ी के समय बच्चे के हित में समाज को जैसा अच्छा लगे के अनुसार होगा। यदि संबंध विच्छेद लड़का द्वारा किया गया हो तो माँ–बच्चे के परवरिश के लिए बच्चे के पिता को खोरपोस (जीवन यापन का साधन) व्यवस्था करना होगा। यदि संबंध विच्छेद लड़की द्वारा किया गया हो तो खोरपोस व्यवस्था के लिए लड़का बाध्य नहीं होगा। पति–पत्नी के बीच संबंध नहीं होने का समय सीमा कम से कम 2 वर्ष होने के बाद ही बिहउड़ी के लिए अरजी मान्य होगा। खोरपोस दावा के लिए कंडिका 12 (4), महिला को बाधित नहीं करेगी।

नोट :– आजकल लोग पति–पत्नी के बीच संबंध विच्छेद (तलाक) के लिए आदिवासी परिवार के सदस्य भी कोर्ट से मदद लेने जाते हैं, पर कोर्ट या फॉमिली कोर्ट, आदिवासी मामलों में तलाक मुद्दे पर आदिवासियों का सामाजिक मामला कहकर दखल नहीं देता है। इसलिए आदिवासियों को सामाजिक नियमों को पालन करना होगा। परम्परागत आदिवासी समाज में हिन्दु विवाह कानून लागू नहीं लागू है। भारतीय इसाई विवाह कानून भारतीय इसाईयों में तथा मुस्लिम पर्सलन लॉ, मुस्लिमो में लागू है। खाषकर ईसाई लोग कैनन लॉ अथवा चर्च लॉ एवं भारतीय ईसाई विवाह कानून से संचालित होते हैं।

11. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज की रूढ़ीवादी परम्परा, विश्वास–धर्म ही हमारी धरोहर है। इसलिए परम्परागत कुँड़ुख़ समाज रूढ़ीवादी परम्परा को बरकरार रखते हुए परम्परा के अनुसार की गई शादी से उत्पन्न संतान को ही वंशानुगत सम्पति (पुस्तैनी जमीन) में हिस्सेदारी देता है। इससे इतर किसी अन्य विधि से की गई शादी से उत्पन्न संतान को पुस्तैनी जमीन में हिस्सेदारी के लिए परम्परागत समाज जवाबदेह नहीं है।

12. अपनी रूढ़ीवादी परम्परा के साथ नई तकनीक को अपनाते हुए कुँड़ुख़ भाषा की लिपि तोलोंग सिकि को अपनाना है तथा इसे पढ़ाई–लिखाई में भी अनिवार्य रूप से शामिल करना है। झारखण्ड सरकार में हिन्दी, अंगरेजी तथा कुँड़ुख़ (त्रिभाषा पढ़ाई) नियम लागू है। अपनी परम्परागत भाषा एवं संस्कृति की रक्षा के लिए हिन्दी एवं अंगरेजी के साथ कुँड़ुख़ भाषा की पढ़ाई की भी करनी है। इसके लिए हम राज्य सरकार से मदद लेंगे।

13. कुँड़ुख़ भाषा (तोलोंग सिकि के साथ) को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया जाय। इसके लिए एक कमिटी गठित कर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिया जाय।

14. परम्परागत सामाजिक व्यवस्था पड़हा, अखड़ा एवं धुमकुड़िया को पुनर्जीवित कर इसे वर्तमान प्रषासनिक एवं राजनैतिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। गाँव–समाज में झगड़ा–झंझट का निपटारा स्थानीय तरीके से एवं कानून संम्मत होगा। दोसी व्यक्ति को पंच द्वारा निर्धारित विधि सम्मत जुर्माना भी देना होगा।

15. पड़हा के अन्तर्गत 10 से 15 गाँव के लोग आपसी सामाजिक सहमति से एक मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालय चलाएँ। इसके लिए प्रत्येक परिवार से पड़हा के नाम पर 1 (एक) सूप धान तथा धुमकुड़िया के नाम पर साप्ताहिक मुठा चावल जमा करेंगे।

16. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज के सभी भाई–बहन अपने मुख्य नाम के बाद जातीय नाम उराँव जोड़ें। गोत्र एवं गोत्र चिन्ह की पवित्रता बनाये रखें तथा समाज–परिवार के धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धा पूर्वक में भाग लें।

17. कुँड़ुख़ समाज अपने पारम्परिक व्यवस्था के अन्तर्गत कोई पति–पत्नी अपने वंष–परिवार में आपसी रजामंदी के बाद अपने वंष–परिवार के बच्चे को गोद लेकर माय–बाप (माता–पिता) बन सकता है और स्वंय द्वारा अर्जित धन को उस बच्चे को दे सकता है। वर्तमान स्थिति में इस पर कोर्ट में राजीनामा करना होगा। वैसे समाज में बेटी दमाद को घरदमाद रखने का रिवाज है, या पोस बाप या पोस बेटा तय कर अपनी कमाई की संपति में दिये जाने की भी मान्यता है। पर, वंष में चले

आ रहे पुस्तैनी जमीन, जैसे – कोड़कर, खुटकटी तथा भूईंहरी को नहीं दिया जाता है। ''हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 – सिर्फ हिन्दु परिवार के सदस्यों में लागू है। ईसाई एवं मुसलमान परिवार में यह नियम लागू नहीं होता है।

18. कैडेस्टल सर्वे (1908 ई0 का खतियान) का 106 वाँ वर्ष पूरा हो गया। तब से अब तक, एक लम्बा समय अंतराल हो चुका है। समाज एवं समय की स्थिति के अनुसार पड़हा–पंच एवं ग्रामसभा एक साथ मिलकर कैडेस्टल सर्वे के आधार पर खतियानी वारिशों का कुर्सीनामा, खेवट से जोड़कर तैयार करेगी और आवश्यकता पड़ने पर सरकार से भी मदद लेगी। यह कार्य आनेवाली पीढ़ी के लिए सद्भावना और शांति का रास्ता बनाएगा।

19. सम्मेलन में पारित नियम का अनुपालन, प्रत्येक गाँव में परम्पारिक तरीके से चले आ रहे पद्दा पचोरा (ग्राम सभा) के द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसकी कार्यकारिणी समिति में गाँव का – 1) पहान 2) पुजार 3) महतो (भुँईहर महतो) 4) जेठ रईयत (जेट्ठा भुँईहर) एवं 5) गौंरो पारम्परिक रूप से पदधारी होंगे तथा 7 (सात) मनोनित सदस्य होंगे, जिसमें 3 (तीन) महिलाएँ भी होंगी। बैठक में परम्परागत कुँड़ुख़ समाज के सभी सदस्य भागीदारी करेंगे। कार्यकारिणी समिति का चुनाव परम्परागत रूप से 3 (तीन) वर्ष में होगा। पहनई बदली होने पर ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति भी बदल जाएगी। ग्राम सभा (पद्दा पंच्चा) द्वारा, नये कार्यकारिणी समिति के गठन की सूचना अपने–अपने क्षेत्र के उपायुक्त को आवष्यक रूप से देना होगा। ग्राम सभा (पद्दा सभा) के कार्यकारिणी समिति के चुनाव में विवाद होने पर आध्यात्मिक विधि द्वारा अर्थात पाय रेंगवाना अनुष्ठान विधि के चयनित प्रतिनिधि को अंतिम माना जाएगा। सभा का संचालन – 'नैगस पद्दा कमदस अरा महतोस पद्दन चलाबअ़दस' अर्थात ''पहान गाँव बनायला (सभापति) और महतो गाँव चलाएला (मंत्री)'' वाली मान्यता एवं कहावत के अनुसार होगा।

20. पद्दा पंच्चा (ग्राम सभा) में किसी मामले का निपटारा नहीं हो पाने पर, पड़हा स्तर पर विवाद को सुलझाया जाएगा और पड़हा स्तर पर विवाद नहीं सुलझने ही स्थिति में मामले के अनुसार वह मामला बिसु सेन्दरा में विचार किया जाएगा। जहाँ अर्थात बिसु सेन्दरा में परम्पारिक रूप से गठित पदाधिकारियों जैसे – पडहा बेल, पड़हा देवान, पड़हा कोटवार आदि के द्वारा निर्णय किया जाएगा। यहाँ भी यदि किसी मामले का निर्णय नहीं हो पाने की स्थिति में ही न्यायालय में मामला जाएगा। पड़हा एवं बिसु सेन्दरा, सामाजिक न्याय प्रणाली की क्रमवार उच्चतर तथा उच्चतम व्यवस्था है। इसके पदाधिकारी पारम्परिक रूप से चुने जाते हैं। पड़हा की कार्यकारिणी समिति में पारम्परिक पड़हा बेल, देवान आदि होते हैं।

(नोट :– रूढ़ी परम्परा के अन्तर्गत, सामाजिक न्याय प्रणाली में यह व्यवस्था समाज की भागीदारी को बढ़ावा देता है। एक कमजोर एवं बुजूर्ग आदिवासी परिवार का सदस्य भी यदि इस सामाजिक प्रणाली में भागीदार और मददगार होता है। वर्तमान समय में यह पंचनामा की तरह लिखित होने से तीन सीढ़ी यानि पद्दा पंच्चा, पड़हा पंच्चा तथा बिसु सेन्दरा से गुजरने पर एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिल पाएगा। यदि कोई व्यक्ति, सामाजिक न्याय से संतुष्ट न हों तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिसु सेन्दरा, वर्ष में सिर्फ एक बार होता है, इसलिए यह तीन सीढ़ी वाली, सामाजिक न्याय प्रणाली में कम से कम 6 से 12 महीने का समय लग सकता। इस रूढ़ीगत सामाजिक न्याय प्रणाली को वर्तमान न्यायालय व्यवस्था को मान्यता दे तो सरकार तथा देष का समय और संसाधन के खर्चे में कमी होगी। वर्तमान प्रशासन एवं न्यायालय व्यवस्था को रूढ़ीगत सामाजिक न्याय प्रणाली के न्याय पर सहमति नहीं भी हो सकती है, वैसी स्थिति में न्यायालय, प्रस्तुत गवाह और साक्ष्य के आधार कर अपना न्याय सुनाये।)

परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसु सेन्दरा में पारित विधि–विधान को, 22 पड़हा गांव क्षेत्र के अन्तर्गत परम्परागत कुँड़ुख़ समाज के सभी गाँव वासियों को पालन करना होगा। इस विधि–विधान में आवश्यक संषोधन, आगामी 22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा में ही किया जा सकेगा।

ह०/अ० – श्री दशरथ टाना भगत	ह०/अ० – श्री मटकु उराँव	ह०/अ० – श्री गजेन्द्र उराँव
22 पड़हा बिसुसेन्दरा बेल	22 पड़हा बिसुसेन्दरा देवान	22 पड़हा बिसुसेन्दरा कोटवार

परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा–2022 का घोषणा पत्र

भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996, (PESA 1996) के धारा 4 (घ) के आलोक में परम्पारिक ग्राम सभा जिसके अन्तर्गत 22 ग्राम सभा (9 पड़हा गांव, 7 पड़हा गांव तथा 6 पड़हा गांव) के लोगों ने 21 एवं 22 मई 2022 को दो दिवसीय, सम्मेलन कर, विधि विशेषज्ञों से समीक्षा के उपरांत वर्णित तथ्यों को संकलित कर, खुला अधिवेशन में अनुमोदित एवं पारित किये।

यह ''पड़हा परम्परागत ग्रामसभा बिसुसेन्दरा'' परम्परागत उराँव समाज का परम्पारिक सामाजिक एवं न्यायिक संगठन है। वर्ष 2022 में परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा के पड़हा बेल श्री दशरथ टाना भगत, पड़हा देवान श्री मटकु उराँव, पड़हा कोटवार श्री गजेन्द्र उराँव के देखरेख में सम्पन्न हुआ। इस बैठक में 22 गांव के पहान, महतो, पुजार, करठा, कोटवार एवं अन्य पड़हा प्रेमी के साथ मानवशास्त्री डॉ० करमा उराँव, साहित्यकार श्री महादेव टोप्पो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के असिस्टेन्ट प्रोफेसर श्री रामचन्द्र उराँव, राजी पड़हा, भारत के पड़हा देवान श्री फउदा उराँव एवं कैप्टन लोहरा उराँव, समाज सेवी श्री लवहरमन उराँव, समाज सेवी श्री दिनेश उराँव, अद्दी अखड़ा के अध्यक्ष श्री जिता उराँव, तोलोंग सिकि के संस्थापक डॉ० नारायण उराँव, असिस्टेन्ट प्रोफेसर सुश्री पार्वती तिर्की तथा अधिकाधिक संख्या में महिलाएँ उपस्थित हुए।

इस बैठक में निम्नांकित विषयों पर गहन विचार–विमर्श हुआ और सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया गया –

1. बेंज्जा = बिंज्जुर'उ + बिंज्जुर। बेंज्जा का अर्थ विवाह है। संस्कृत में विवाह का अर्थ विशिष्ट वहन है। उराँव रूढ़ी–परम्परा नू बेंज्जा गही मईनता नेःत–नेःग एन्ने लेखआ रअ़ई –

(उराँव रूढ़ी–परम्परा में विवाह के आवश्यक नेगचार)

a. किचरी बांःजना/बांजरना अरा ख़ेड्ड अम्म झोकना/चिअ़ना। यह कन्या एवं उसके पूरे परिवार की सहमति (मन मंजुर) का द्योतक है। Conventional marriage rituals for concent by Person & Family.

b. कोहाँ पाःही (बड़ी जोःड़ोरना अरा डली फड़ियारना – कुकोय तरा)। यह कन्या तथा वर (दोनों) पक्ष का परिवार एवं समाज की सहमति का द्योतक है। Essential's of marriage & confirmation by the Family & Society both.

c. कोहाँ पाःही (बड़ी जोःड़ोरना – कुक्कोस तरा)। यह कन्या तथा वर (दोनों) पक्ष का परिवार एवं समाज की सहमति का द्योतक है। Essential's of marriage & confirmation by the Family & Society both .

d. सगुन ओन्दोरना अरा अउपटन ख़सरना (बाःलका, नगड़ा ख़ज्ज, आबदा तीख़िल, इसुंग, दुब्बा घाँःसी बदलेन) अरा मड़वा गड़ना दरा कँड़सा चोअ़ना। Essential's of marriage.

e. बरात पईरघाअ़ना (बरात अँड़सना अरा मेरघेराई)। Conventional rituals of marriage. Rituals of confirmation by the society.

f. पगसी पिटरी–ओकोरना, गुँड़ख़ी तिरख़िर्रना, पट्टा–सिंदरी टूड़तारना, सबहा सिन्दरी (सभा सिन्दरी) मनना। Essential's of marriage. Rituals of confirmation of marriage.

g. सँड़खी उरूखना/ढेलका पुजा। Rituals of confirmation of marriage and pay homage to God, incesters & diety (देवत्व)।

उराँव परम्पारिक विवाह में मुख्य 7 (सात) नेग–अनुष्ठान में से Essential's of rituals of marriage में उप क्रमांक 1d एवं 1f आवश्यक है। Concent (कन्या की सहमति) की आवश्यकता के लिए क्रमांक 1a, 1b तथा 1d अनुष्ठान द्योतक है। बेंज्जा का सभी नेग अनुष्ठान गांव के परम्पारिक पुजारी अर्थात पहान द्वारा अथवा गांव के जानकार शादीशुदा व्यक्ति या

महिलाएँ (जिनके पति–पत्नी जीवित हों) के द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। विधवा/विधुर द्वारा शादी अनुष्ठान नहीं कराया जाता है।

2. कानून में विवाह के प्रकार/Types of marriage as per Court of Law -

(i) Contractual (समझौता) – परम्परागत उरांव समाज में मेहर या फिर गोलोंग जैसा रिवाज नहीं है।

(ii) Sacramental (संस्कारिक) – पूजा अनुष्ठान मड़वा में तथा बेंज्जा के अंत में है।

(iii) Mixed – समाज में विधवा विवाह, विधुर विवाह, विवाह विच्छेद विवाह की मान्यता है तथा विवाह में पूजा अनुष्ठान भी होता है। इसलिए पारम्परिक उराँव समाज का बेंज्जा Mixed type है।

3. भारतीय कानून में विवाह हेतु उम्र सीमा/Age of marriage as per Court of Law -

(i) उराँव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है।

(ii) 12 बछरे बईनी सिंगार, बईनी जिया पेल्लो मना उरखा।
12 चन्ददो, 13 मईख़ना, बईनी जिया पेल्लो मनर धूःरचा।
माघे चन्नदो उल्ला धरतआ, बईनी जियन पेल्लो एड़पा कोरतआ।
7 चान करम उबुस्त'आ, करम डउड़न अमके किरितआ।
समा नना एड़पा उरूबय, बेंज्जा चन्नदो पुँईद'आ लगी।।

4. कुड़ुख़ बेंज्जा नु कुकोय तरतर बेंज्जा मंज्जका ख़ोःखा तंगदन बिदा ननो बाःरी – पाःकर की कुक्कोस गही खोंदहा तरतर गे जिमा चिअ़नर अरा कुक्कोस गही एड़पा–पल्ली तरतर कुकोय तरतर ही चिच्चका जिमन झोकनर दरा तमहँय एड़पा–पल्ली तरा ओन्दोरनर। अउला तिम कुकोय तंगहय बेंजेरका एड़पा ता अरा आ पद्दा ता मनी काःली। ईन्नलता बेड़ा नू हूँ सिसई–गुमला पहईट नू पुना ख़ेड़ो गही नाःमे ती पयसरी नेःग मनी। ई नेःग नू पुना ख़ेड़ो अरा पद्दा ता देंव अरा पचबल पुरखर संग्गे चिनहाँ परचा ननतार'ई। इदी गे पद्दा ता नैगस रंगुवा ख़ेःरन चराबअ़दस की बेगर एड़बम अम्बदस चिअ़दस।

5. कुड़ुख़ में, विवाह विच्छेद (तलाक) की एक प्रक्रिया विशिष्ट है। परम्परागत उराँव समाज में मान्यता है कि सामाजिक बेंज्जा एक सामाजिक विधान है। इसलिए जो विवाह विच्छेद करता है वह सामाजिक विधान को भंग करता है और सामाजिक विधान को भंग करने वाले से सामाज द्वारा बिहउड़ी तय किया जाता है। जिसके तहत उन दोनों परिवार (वर–वधु के परिवार) को सामाजिक जुर्माना (बिहउड़ी जईरबना) देना पड़ता है।

6. विवाह विच्छेद (तलाक), एक सामाजिक विधान के अन्तर्गत है, अतएव यदि कोई विवाह विच्छेद करता है तो शिकायत होने पर समाज द्वारा बिहउड़ी जईरबना (सामाजिक जुर्माना) भरवाया जाता है और तब ही बेंज्जा बिहोड़ (तलाक) समझा जाता है। बिहउड़ी = बिंज्जुर गही हउड़ी। हउड़ाअ़ना = ढूँढ़ना, कारण तक पहूँचना। इस तरह बिहउड़ी का अर्थ विवाह टूटने के कारण तक पहूँचना और सामाजिक जुर्माना तय करना माना गया है। बेंज्जा बिहोड़ के लिए एक सामाजिक पंचायत के नियम के दौर से गुजरना पड़ता है।

7. कुँडुख़ बेंज्जा में ख़ेड्ड अम्म झोकना/चिअ़ना अरा किचरी बांःजना नेःत–नेःग से आरंभ होता है। बांःजना का अर्थ अंगरेजी में to cover, to arrange in a discipline way for safeguard and good objectives की तरह है। इस तरह जब सामाजिक अनुषासन में रहने के लिए परिवार सहमत होने पर ही समाज के लोग बेंज्जा करवाते हैं। और जब सामाजिक अनुशासन को किसी पक्ष के द्वारा तोड़ा जाता हैं तो शिकायत प्रमाणित होने पर सामाजिक जुर्माना भरवाया जाता है। यही, बिंज्जुर गही हउड़ी अर्थात बिहउड़ी है। बअ़नर बन्दा बांःजी, अन्नेम कुक्को–कुकोयर संग्गे नु बांःजरनर। बांःजरआ गे बेंज्जा। कुँडुख़ बेंज्जा में पाँःती ओक्कना नेःग, वर–वधु द्वारा जुआठ में साथ बैठकर सहमति जताया जाता है।

उराँव रूढ़ी–परम्परा में षादी के आवश्यक विधान :–

(i) बेंजेरका पद्दा सबहा मजही पंच्चा पिटरी उक्की अरा फरीफटी मनी। पिटरी ओकताअ़ना ढिबा 151/रूपया (न्यूनतम मजदूरी से कम) लग्गो। ईन्नलता बेड़ा नू ईद ग्रामसभा बातार'ईं। बैठक - I (बैसकी गे दुयो तरा गे नोटिस का:लो अरा बैसकी नू फड़ीयारका कत्थन रजिस्टर नू दरज ननतारओ।)

(ii) बेंजेरका पद्दा नू पचोरा मझी कत्था मल फड़ियारका ती ओन्द पड़हा मझी मलता पड़हा पद्दा मझी पिटरी ओकोरना मनी। पिटरी ओकताअ़ना ढिबा 251/रूपया लग्गो। बैठक - II (बैसकी गे दुयो तरा गे नोटिस का:लो अरा बैसकी नू फड़ीयारका कत्थन रजिस्टर नू दरज ननतारओ।)

(iii) पड़हा पद्दा पिटरी ओकोरना नू हूँ मल फड़ियारका ती संगी पड़हा (दो या दो से अधिक पड़हा) मझी पिटरी ओक्कना मनी। पिटरी ओकताअ़ना ढिबा 551/रूपया लग्गो। बैठक - III. (बैसकी गे दुयो तरा गे नोटिस का:लो अरा बैसकी नू फड़ीयारका कत्थन रजिस्टर नू दरज ननतारओ।)

संगी पड़हा पिटरी ओकोरना नू हूँ मल फड़ियारका ती अबड़ा नालिस–फउदारिन ईन्नलता कोर्ट (न्यायालय) नू मला होले बिसुसेंदरा नू नालिस नना का:ला ओंग्गनर। असन आ अड्डा ता लेखे, कोर्ट फीस बेसे ढिबा लग्गो। बिसुसेन्दरा ती मुन्धारे मल्ला का:ना। उराँव परम्पारिक बिहउड़ी जईरबना या विवाह विच्छेद के लिए क्रमांक (i), (ii) एवं (iii) वाला बैठक आवश्यक होगा। यदि पहला बैठक के फैसले से दोनों पक्ष सहमत हों तो 2रा या 3रा बैठक की आवश्यकता नहीं होगी। उच्च न्यायालय रांची द्वारा First Appeal No 124 of 2018 श्री बग्गा तिर्की बनाम श्रीमती पिंकी लिण्डा में कहा गया है कि आदिवासी मामले में उनके परम्परागत सामाजिक तरीके के फैसले के आधार पर न्याय किया जाय।

8. परम्परागत उराँव समाज में बेंज्जा के प्रकार :– बांजरना गे इंजिरना = विवाह। बिंज्जुर'उर + बिंज्जुर = बेंज्जा। बांजरना के लिए उरांव समाज में बेंज्जा (विवाह) के प्रकार –

(i) मड़वा बेंज्जा – परम्पारिक विवाह। इसमें मड़वा गड़ाता है, कँड़सा उठता है, ढाँक बजता है, पगसी–पट्टा सिंदरी, तथा सभा सिंदरी होता है। यहाँ जुआठ में लड़की, बिना किसी पूर्वाग्रह के लड़का के बायें बैठती है, जो सहमति का प्रतीक है।

(ii) अतख़ा–पण्डी बेंज्जा – एका–एका बारी बेंज्जा एड़पा नु इनदिर'इम अलहन मंज्जका ती कुकोयन, कुक्कोस गही एड़पा अँड़सतअ़ना मनी। अनने बेंज्जा नु कुक्कोस तरती बरात मल का:ली। कुकोयन, कुक्कोस गही एड़पा नुम बेंज्जा ननन्र।

(iii) संगहा (सगई) बेंज्जा – यदि लड़की का पहले बेंज्जा हुआ रहे तो दूसरी बार उसका संगहा बेंज्जा होता है। यदि लड़का कुँवारा या शादीशुदा हो, तो कुँवारी लड़की से शादी के लिए बारात आता है, ढोल बजता है, और मड़वा बेंज्जा होता है। इसी तरह, यदि लड़की शादीशुदा हो और लड़का कुँवारा हो, तो लड़की से शादी के लिए बारात जाता है, ढोल बजता है और संगहा बेंज्जा होता है, इसके लिए लड़का को पहले फूल से विवाह किया जाता है। वैसे संगहा बेंज्जा में मड़वा नहीं गड़ाता, ढाँक नहीं बजता, पगसी–पट्टा सिंदरी नहीं होता। जों:ख़स, कुकोयन पिटरी नू सिंदरी टूड़दस, अन्तिले सबहा सिंदरी मनी।

(iv) खोहाड़ी बेंज्जा – खोहाड़ी बेंज्जा अर्थात समाज से बाहर अथवा गैरजातीय बेंज्जा उरांव समाज में मान्यता नहीं है। यदि लड़का या लड़की गैरजातीय विवाह करे या करना चाहें तो उनके माता–पिता या परिवार वाले गांव–समाज के बाहर विवाह कर दें। ऐसी स्थिति में समाज द्वारा मड़वा बेंज्जा नहीं किया जाता है। वर्जना के बाद भी कोई लड़का या लड़की गैरजातीय विवाह करता है तो उनके माता–पिता को सामाजिक दण्ड तथा कुटुम्ब भोज कराना पड़ता है।

[उरांव समाज में आदमी के अतिरिक्त पालतु मवेशी के लिए भी कई विधान बने हुए थे। यदि कोई पालतु पशु बिना संवेदक के अथवा मउवार (मालिक) के किसी व्यक्ति का फसल को नुकसान करता था, तो फसल मालिक, उस मवेशी को किसी

खोहाड़ में पहुंचा दिया करता था। फिर जब उस मवेशी का मउवार खोजते हुए खोहाड़ पहूंचता था, तब मउवार द्वारा नुकसान फसल की भरपाई कर खोहाड़ से मुक्त कराया जाता था। ज्ञात हो कि परम्परागत उरांव समाज में गैर जातीय विवाह वर्जित है। अतएव वर्जना के बाद भी यदि कोई विवाह करता है तो सामाजिक दण्ड का भागी बनना पड़ता है तथा गैर परम्पारिक विवाह की जिम्मेवार समाज को नहीं माना गया है। वर–वधु के शादी के लिए माता–पिता की शादी हुए रहना जरूरी है।]

(v) Special Marriage Act बेंज्जा – यह शादी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर होती है। समाज जिम्मेदार नहीं होता है।

9. डली फड़ियाअ़ना – बेंज्जा चिआ गे डँड़ियाअ़ना। डली झोकना = बेंज्जा मंज्जकन इंजिरना अरा डँड़ियाचकन झोकना। डली किरताअ़ना = बेंज्जा बिहोड़ मना गे डँड़ियाचकन झोकोचकन किरताअ़ना। नेःग डलीढिबा, वधु मुल्य नहीं है। इसे वधु मूल्य या bride price न समझा जाय। कोहाँ पाःही के अवसर पर मयसरी और नेःग डलीढिबा (अनुष्ठान संपन्न करने में व्यवहारित रकम) तय होता है। यह ceremonial gift अथवा वैवाहिक उपहार है। डली फड़ियाअ़ना कार्य परिवार के लोग नहीं करते हैं, यह सामाजिक प्रथा है। यह दोनों पक्षों के पंचों द्वारा तय होता है।

10. मयसरी – मया (ममता) + सरी (प्रतीक, प्रतिनिधि) = ममता का प्रतीक भेंट या उपहार। कुछ लोग सादरी/नागपुरी बोलते हुए में मायसारी षब्द माय की साड़ी कहने लगते हैं, जो कुँड़ुख़ भाषा के अनुसार उचित नहीं है। सादरी/नागपुरी में बेंज्जा के लिए षादी षब्द का प्रयोग होता है, जबकि षादी षब्द को अरबी मूल का माना गया है।

11. बेंज्जा बिहोड़ – बेंज्जा बिहउड़ी मंज्जका अरा डली किरताचका (विवाह संबंध को त्यागने की प्रक्रिया किया जाना) = विवाह विच्छेद (तलाक)। बेंज्जा एक सामाजिक संस्कार है तथा कुँड़ुख़ जीवन–जोड़ी में मड़वा बेंज्जा एक बार होता है। यदि वर–वधु दोनों कुँवारे हो या वर–वधु में से लड़की कुँवारी हो तो मड़वा बेंज्जा होता है। और यदि वर–वधु दोनों की पहले शादी हुई हो तो संगहा बेंज्जा होता है। परन्तु यदि लड़की की शादी पहले हो चुकी हो तथा लड़का कुँवारा हो तो लड़का को पहले फूल षादी करने के बाद बेंज्जा नेग होता है। परम्परागत उराँव समाज में विवाह विच्छेद करने को सामाजिक अपराध की तरह समझा गया है, जिसके लिए बिहउड़ी तथा डली किरताअ़ना के रूप में सामाजिक जुर्माना देना पड़ता है।

बेंज्जा बिहोड़ के कारण :– (क) नन्ना मेःत/मुक्का धरना। (ख) जहड़ी मेःत/मुक्का (क्रूर पति या पत्नी) (ग) मेःत/मुक्का संग्गे–संग्गे मल रअ़ना (2 साल तक यदि अलग रह रहे हों तो) (घ) प्रथागत धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में जाना (ङ) नामर्दी/बांझपन (च) पति या पत्नी का पागलपन (छ) ठगुवा बेंज्जा (रोग छिपाकर षादी तथा धोखाधड़ी कर षादी करना) (ज) पति/पत्नी की मृत्यु अथवा 7 साल तक जीवित होने का प्रमाण न मिलने पर।

12. कोंयछंदा ख़द्द – गोद लिया हुआ बच्चा। कोंयछा (माँ के आंचल की थैला) + छंदा (छांदा हुआ)। कोंयछंदा ख़द्द (गोद लिया हुआ बच्चा) अपनाने का कारण :– 1. पति/पत्नी का जब कोई अपना बच्चा न हो या सिर्फ बेटा या बेटी हो। 2. पारिवारिक संपत्ति का देखरेख करनेवाला न रहने पर बच्चा गोद लिया जाता है। (अपवाद – लड़का–लड़की के बिना शादी के उत्पन्न संतान को यदि लड़का अपनाता है, तो लड़के हिस्से का खेत में से कुछ हिस्सा दिया जाता है।)

किसे गोद लिया जाता है – 1. परिवार/खानदान के बच्चे को। 2. किसी अपने कुटुम्ब अथवा गोत्र–वषं के बच्चे को। 3. गैर जाति अथवा दूसरे जाति–वंश के बच्चे को गोद लेने के लिए रूढ़ीगत उराँव समाज में वर्जित है।

बैठक के अंतिम दिन दिनांक 22.05.2022 दिन रविवार को सम्मानित अतिथियों, पड़हा प्रेमियों, शिक्षाविदों तथा समाजसेवियों के बीच खुला अधिवेशन में घोषणाएँ हुईं – उपरोक्त वर्णित बातों एवं तथ्यों को समाज के लोग स्वीकार करते हैं तथा माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची द्वारा First Appeal No 124 of 2018 श्री बग्गा तिर्की बनाम श्रीमती पिंकी लिण्डा के मामले में परिवार न्यायालय, राँची को दिये गये निर्देश पर परम्परागत उराँव आदिवासी समाज सहमति प्रकट करता है। इस आदेष में कहा गया है कि परिवार न्यायालय, संबंधित मामले में उनके customary divorce के तरीके से देखे और निपटारा करे।

ह०/अ० – श्री दशरथ टाना भगत 22 पड़हा बिसुसेन्दरा बेल	ह०/अ० – श्री मटकु उराँव 22 पड़हा बिसुसेन्दरा देवान	ह०/अ० – श्री गजेन्द्र उराँव 22 पड़हा बिसुसेन्दरा कोटवार

22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा सम्मेलन 2019 में शामिल 22 पड़हा गांव

<u>बिसुसेन्दरा स्थल – ग्राम : लंगटा पबेया, थाना : सिसई, जिला : गुमला (झारखण्ड)</u>

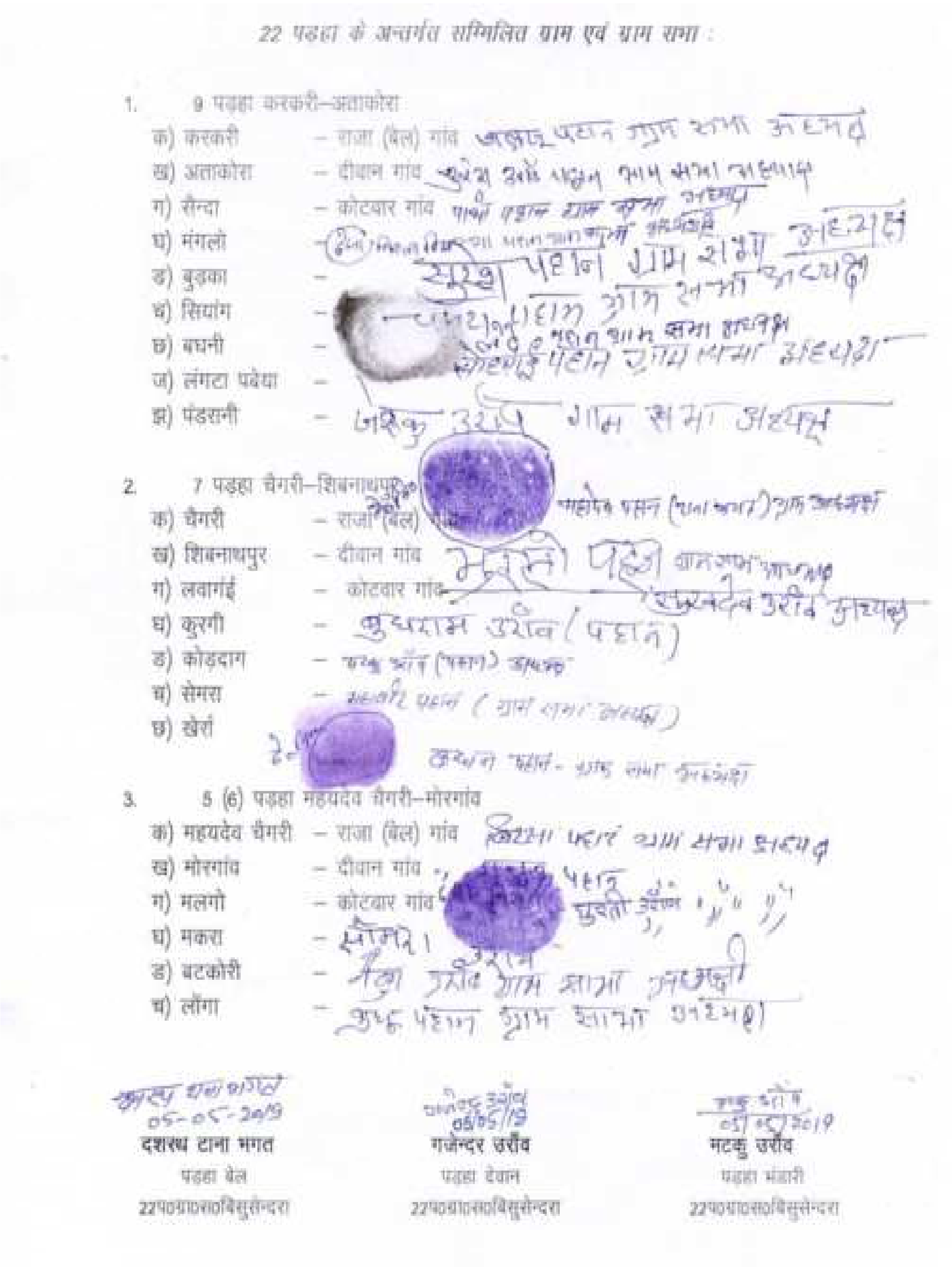

22 पड़हा के अन्तर्गत सम्मिलित ग्राम एवं ग्राम सभा :

1. 9 पड़हा करकरी–अताकोरा
   - क) करकरी – राजा (बेल) गांव
   - ख) अताकोरा – दीवान गांव
   - ग) सैन्दा – कोटवार गांव
   - घ) मंगलो –
   - ङ) बुड़का –
   - च) सियांग –
   - छ) बघनी –
   - ज) लंगटा पबेया –
   - झ) पंडरानी –

2. 7 पड़हा चैगरी–शिबनाथपुर
   - क) चैगरी – राजा (बेल)
   - ख) शिबनाथपुर – दीवान गांव
   - ग) लवागांई – कोटवार गांव
   - घ) कुरगी –
   - ङ) कोड़दाग –
   - च) सेमरा –
   - छ) खेरां

3. 5 (6) पड़हा महयदेव चैगरी–मोरगांव
   - क) महयदेव चैगरी – राजा (बेल) गांव
   - ख) मोरगांव – दीवान गांव
   - ग) मलगो – कोटवार गांव
   - घ) मकरा –
   - ङ) बटकोरी –
   - च) लौंगा –

05-05-2019	05/05/19	05/05/2019
दशरथ टाना भगत	गजेन्दर उरांव	मटकु उरांव
पड़हा बेल	पड़हा देवान	पड़हा भंडारी
22प०ग्रा०स०बिसुसेन्दरा	22प०ग्रा०स०बिसुसेन्दरा	22प०ग्रा०स०बिसुसेन्दरा

5

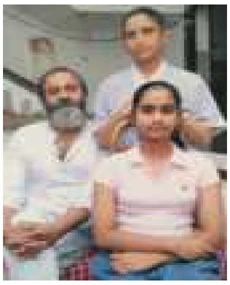

20. तोलोङ सिकि का कंप्यूटरी अवतार 'केलि तोलोङ' की उद्भव यात्रा

हमेषा से हम सुनते आये थे, कोई भाषा तबतक परिपूर्ण नहीं होती, जब तक अपनी लिपि न हो। कल तक कुँड़ुख़ को लिखने के लिए देवनागरी या रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता था। अब इसकी अपनी है, तोलोंग सिकि। प्रसन्नता की बात है, तोलोंग सिकि अब प्रयोग में आ चुकी है। तोलोंग सिकि ने देष–विदेष के कुँड़ुख़ भाषियों को संवाद का नया आयाम दिया है।

मुझे याद आता है, करीब दो दशक पहले, युवा चिकित्सक डॉ नारायण उराँव से परिचय हुआ था। फादर प्रताप टोप्पो इन्हें लेकर मेरे पास आये थे। पत्रकार होने के नाते मुझे लगा कि जरूर चिकित्सा संबंधी कोई समाचार या लेख का मामला होगा। लेकिन, पता चला कि यह महाषय तो साहित्य के धुनी हैं। आदिवासी भाषा की लिपि विकसित करने में जुटे हैं। डाक्टरों के बारे में ठोस धारणा है कि एक बार एम.बी.बी.एस. की डिग्री मिल गई तो आजीवन मुद्रा अर्जन की समस्या से निदान मिल जाता है। सरकारी नौकरी के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस का लोभ छोड़ना मुष्किल होता है। और यह आदिवासी युवा डॉक्टर लिपि बनाने में धुनी रमाने की बात कर रहा है! थोड़ा सषंकित था।

बहरहाल, फादर टोप्पो ने चर्चा शुरू की .... लिपि तो तैयार हो गई है लेकिन अब समस्या है इसे कंप्यूटर में कैसे लाया जाये। क्योंकि जबतक लिपि का फॉन्ट नहीं बनता, पुस्तकें छपेंगी कैसे? .... उन दिनों मैं एक स्थानीय हिंदी दैनिक अखबार के लिये कंप्यूटर विज्ञान पर 'सूचना तकनीक' नाम से पूरे पन्ने का एक साप्ताहिक मैगजिन का संपादन भी करता था। फादर टोप्पो के सहज व्यक्तित्व का मैं शुरू से ही बहुत सम्मान करता था। लेकिन, उनकी समस्या के बारे में सुनकर मैं भी लाचार हो गया। दरअसल उन दिनों फॉन्ट बनाने की गिनी चुनी कंपनियाँ ही भारत में थीं। जाहिर है उनकी फीस भी मनमानी होगी। वैसे भी फॉन्ट टेक्नोलॉजी से आम कंप्यूटर उपयोगकर्त्ताओं का क्या वास्ता! मैं भी बहुत जानकारी नहीं रखता था। काफी देर बातचीत के बाद मैं उन दो भद्रजनों को इतना ही आष्वस्त कर पाया कि मुझे कुछ वक्त दीजिए, पता करना होगा।

उनके जाने के बाद मैंने इंटरनेट खंगालना शुरू किया। चंद रोज में मुझे इतना अहसास होने लगा कि थोड़ी अतिरिक्त पढ़ाई की जाये तो फॉन्ट विकसित किया जा सकता है, हालांकि काम काफी जटिल था। लेकिन इसी बीच मुझे लगा कि यही अवसर है अपने प्रदेष की माटी और यहाँ के मूलवासियों के साथ अंतरंग संबंध स्थापित करने का। और, मैंने फादर टोप्पो व नारायण जी से संपर्क किया। बातचीत फिर हुई। मैंने कहा कि मैं प्रयास करूँगा, बषर्ते डॉ. नारायण को मेरे साथ समय–समय पर परामर्ष के लिये उपलब्ध होना होगा। डॉक्टर नारायण झट तैयार हो गए। उसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। इस दौरान मैंने महसूस किया कि डॉ. नारायण उराँव की धुन को लेकर मेरी आशंका बिल्कुल निर्मूल थी। यह तो वाकई योगी हैं। दिन हो या रात, नारायण हमेशा उपलब्ध होने को तत्पर होते। फॉन्ट के लिए पेपर पेंसिल पर डिजाईन करने से लेकर आम उपयोगकर्त्ताओं की सुविधा के लिये अनवरत प्रयोग और शोध तक ..... तोलोंग सिकि के उद्भवकर्त्ता डॉ. नारायण उराँव को साधुवाद!

इधर, इंटरनेट से फॉन्ट डिजाईनिंग की जानकारी के आधार पर मैं फॉन्ट डिजाईन में लगा रहा। महीनों लगे। इस काम में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रेवा का भी भरपूर सहयोग मिलता रहा। तोलोंग सिकि फॉन्ट का पहला संस्करण तैयार हुआ। बात सेवा षुल्क की आयी। मैंने डॉ. उराँव से खुलकर कहा, मेरी एक ही बेटी है 'केलि', मेरी इच्छा है इस फॉन्ट के साथ मेरी बेटी का नाम जुड़े और यह फॉन्ट आम लोगों के लिए निःषुल्क उपलब्ध हो। इसपर वे सहमत हो गए और कार्य बढ़ता गया। इस तरह 'केलि तोलोंग (KellyTolong) फॉन्ट का जन्म हुआ। वर्ष 2002 में इसका लोकार्पण हुआ। उसके बाद लगातार सुधार होते गए। कालांतर में इस सॉफ्टवेयर के कई संस्करण तैयार हुए। हालिया संस्करण मैंने 2017 के अंत में तैयार किया जो तोलोंग सिकि डॉट कॉम (Tolongsiki.com) पर पूरी दुनिया के लिये निःषुल्क उपलब्ध है।

— किसलय, वरिष्ठ पत्रकार, राँची।
दिनांक : 15 मार्च 2018

21. टाटा स्टील फाउण्डेशन द्वारा संपोषित कुँड़ुख़ भाषा–तोलोंग सिकि शिक्षण केन्द्र का झलक

दिनांक 25 अगस्त 2021 दिन शनिवार को आदिवासी उराँव समाज समिति पुराना सीतारामडेरा, जमशेदपुर में टाटा स्टील फाउन्डेशन, द्वारा संपोषित, कुँड़ुख़ भाषा शिक्षण केन्द्र का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर टी.एस.एफ. के ट्राईबल हेड श्री जीरेन जे० टोपनो, कार्यपालक अधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग, अद्दी अखड़ा के संयोजक डॉ० नारायण उराँव एवं डॉ. बिन्दु पहान एवं उराँव समाज समिति के पदधारी गण तथा शिक्षिकाएँ एवं बच्चे उपस्थित थे।

दिनांक 29 अगस्त 2021 दिन रविवार को दिन में 7 पड़हा कुँड़ुख़ लूरकुड़िया, पलमी, भंडरा प्रखंड में चल रहे कुँड़ुख़ भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) पठन–पाठन केन्द्र का निरिक्षण, टाटा स्टील फाउन्डेशन, जमशेदपुर के कार्यपालक पदाधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग एवं सहायक श्री बिरेन तिउ एवं सहयोगी संस्था अददी कुंड़ुख़, रांची के संयोजक डॉ. नारायण उराँव द्वारा किया गया। इस अवसर पर टाटा स्टील फाउन्डेषन एवं सहयोगी संस्था अददी कुंड़ुख़ चाला एवं धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा, रांची द्वारा प्रकाशित तोलोंग सिकि वर्णमाला चार्ट का वितरण किया गया।

दिनांक 29 अगस्त 2021 दिन रविवार को दिन में कार्तिक उराँव आदिवासी कुँड़ुख़ विद्यालय, मंगलो, सिसई में चल रहे कुँड़ुख़ भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) पठन–पाठन केन्द्र का निरिक्षण, टाटा स्टील फाउन्डेषन, जमशेदपुर के कार्यपालक पदाधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग एवं सहायक श्री बिरेन तिउ एवं अददी कुंड़ुख़ रांची के संयोजक डॉ. नारायण उराँव द्वारा किया गया। इस अवसर पर टाटा स्टील फाउन्डेषन एवं सहयोगी संस्था अददी कुंड़ुख़ चाला एवं धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा, रांची द्वारा प्रकाषित तोलोंग सिकि वर्णमाला चार्ट का किया गया।

दिनांक 29 अगस्त 2021 दिन रविवार को कार्तिक उरांव आदिवासी कुंड़ुख़ विद्यालय, छारदा सिसई ग्राम सैन्दा, थाना : सिसई में चल रहे कुँड़ुख़ भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) पठन–पाठन केन्द्र का निरीक्षण, टाटा स्टील फाउन्डेषन, जमशेदपुर के कार्यपालक पदाधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग द्वारा किया गया। इस अवसर पर फाउन्डेशन के सहयोग से अददी अखड़ा, संस्था द्वारा प्रकाशित तोलोंग सिकि वर्णमाला चार्ट का वितरण किया गया।

दिनांक 29 अगस्त 2021 दिन रविवार को वीर बुधू भगत कुँड़ुख़ विद्यालय, छोटका सैन्दा, सिसई में चल रहे कुँड़ुख़ भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) पठन–पाठन केन्द्र का निरीक्षण, टाटा स्टील फाउन्डेषन, जमशेदपुर के कार्यपालक पदाधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग द्वारा किया गया। इस अवसर पर फाउन्डेशन के सहयोग से अददी अखड़ा, संस्था द्वारा प्रकाशित तोलोंग सिकि वर्णमाला चार्ट का वितरण किया गया।

दिनांक 29 अगस्त 2021 दिन रविवार को दिन में प्रस्तावित कुँड़ुख़ विद्यालय, शिवनाथपुर, सिसई प्रखंड में चल रहे कुँड़ुख़ भाशा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) पठन–पाठन केन्द्र का निरिक्षण, टाटा स्टील फाउन्डेशन, जमशेदपुर के कार्यपालक पदाधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग एवं सहायक श्री बिरेन तिउ एवं सहयोगी संस्था अददी अखड़ा, रांची के संयोजक डॉ. नारायण उराँव द्वारा किया गया। इस अवसर पर टी.सी.एफ. एवं सहयोगी संस्था अददी कुंड़ुख़ चाला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा, रांची द्वारा प्रकाशित तोलोंग सिकि वर्णमाला चार्ट का वितरण किया गया।

दनांक 29 अगस्त 2021 दिन रविवार को धुमकुड़िया सैन्दा, सिसई, गुमला में संचालित कुँड़ुख़ भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) पठन–पाठन केन्द्र का निरिक्षण, टाटा स्टील फाउन्डेषन, जमषेदपुर के कार्यपालक पदाधिकारी श्री षिवषंकर कांडेयोंग एवं सहायक श्री बिरेन तिउ एवं सहयोगी संस्था अददी कुंड़ुख़ चाला एवं धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा, रांची के संयोजक डॉ. नारायण उराँव द्वारा किया गया। इस अवसर पर टाटा स्टील फाउन्डेषन एवं सहयोगी संस्था अददी अखड़ा, रांची द्वारा प्रकाषित तोलोंग सिकि वर्णमाला चार्ट का वितरण किया गया।

दिनांक 04 सितम्बर 2021 दिन शनिवार को आदिवासी उराँव समाज, बिरसा नगर, जॉन न0 6, जमशेदपुर में टाटा स्टील फाउन्डेशन, द्वारा संपोषित, कुँड़ुख़ भाषा शिक्षण केन्द्र का उद्‌घाटन हुआ। इस अवसर पर कार्यपालक अधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग, अद्‌दी अखड़ा के संयोजक डॉ० नारायण उराँव एवं डॉ. बिन्दु पहान एवं उराँव समाज समिति के पदधारी गण तथा शिक्षिकाएँ एवं बच्चे उपस्थित थे।

दिनांक 03 फरवरी 2022 दिन गुरूवार को दिन में टाटा स्टील फाउन्डेशन, जमशेदपुर द्वारा संचालित कुँड़ुख़ भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) पठन–पाठन केन्द्र, चक्रधरपुर, प0सिंहभूम का निरिक्षण किया गया। इस अवसर पर टाटा स्टील के कार्यपालक पदाधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग एवं सहायक श्री बिरेन तिउ एवं सहयोगी संस्था अददी अखड़ा, राँची के संयोजक डॉ० नारायण उराँव एवं उराँव सरना समिति, चक्रधरपुर के अधिकारी गण उपस्थित थे।

दिनांक 16 फरवरी, 2022 दिन बुधवार को धुमकुड़िया कोरना उल्ला, ग्राम – सैन्दा, थाना – सिसई, जिला – गुमला (झारखण्ड) में *श्री गजेन्द्र उराँव 'कोटवार'* के नेतृत्व में तथा डॉ0 नारायण उराँव, डॉ० बुदू उराँव, फा अगुस्तीन केरकेट्टा एवं ग्रुप कैप्टन अलबर्ट बाअ़ तथा ांव के बड़ेबुजूर्ग की उपस्थिति में मनाया गया।

22. टाटा स्टील फाउण्डेशन, जमशेदपुर द्वारा कुँड़ुख़ भाषा तोलोंग सिकि (लिपि) प्रशिक्षण

(i) दिनांक 26 – 30 सितम्बर 2021 तक टाटा स्टील फाउण्डेशन, जमशेदपुर द्वारा सहयोगी संस्था, उराँव सरना समिति, चक्रधरपुर (प०सिंहभूम) एवं अद्दी कुँड़ुख़ चाःला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा, राँची के सहयोग से कुँड़ुख़ भाषा तोलोंग सिकि (लिपि) प्रशिक्षण का 5 दिवसीय आवासीय कार्यशाला, टी०सी०एस०, सोनारी (जमशेदपुर) में सम्पन्न हुआ। इस आवासीय कार्यशाला में प० सिंहभूम से 18 सेन्टर के भाषा शिक्षक एवं संयोजक तथा रांची, गुमला, लोहरदगा जिला क्षेत्र से 05 सेन्टर के भाषा शिक्षक एवं संयोजक शामिल हुए।

(ii) दिनांक 13 मार्च 2022 को ऐतिहासिक पड़हा जतरा खुटा शक्तिस्थल, मुड़मा, राँची के सांस्कृतिक भवन में तीन दिवसीय मातृभाषा षिक्षा सह कुँड़ुख़ भाषा तोलोंग सिकि तथा धुमकुड़िया विषयक कार्यशाला का उद्घाटन सम्पन्न हुआ। यह कार्यषाला टाटा स्टील फाउण्डेषन, के तकनीकी सहयोग सम्पन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि कार्मिक, प्रषासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल उपस्थित थीं।

(iii) दनांक 13 सितम्बर 2022 से 17 सितम्बर 2022 तक टाटा स्टील फाउण्डेशन, जमशेदपुर द्वारा सहयोगी संस्था, उराँव सरना समिति, चक्रधरपुर (प०सिंहभूम) एवं अद्दी कुँड़ुख़ चाःला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा, राँची के सहयोग से कुँड़ुख़ भाषा सह तोलोंग सिकि (लिपि) प्रशिक्षण का 5 दिवसीय आवासीय कार्यशाला, टी०सी०एस०, सोनारी (जमशेदपुर) में सम्पन्न हुआ। इस आवासीय कार्यशाला में प० सिंहभूम से 28 सेन्टर के भाषा शिक्षक एवं संयोजक तथा रांची, गुमला, लोहरदगा जिला क्षेत्र से 23 सेन्टर के भाषा शिक्षक एवं संयोजक शामिल हुए।

23. DEVELOPMENT OF TOLONG SIKI DISPLAY SYSTEM & IT'S USES

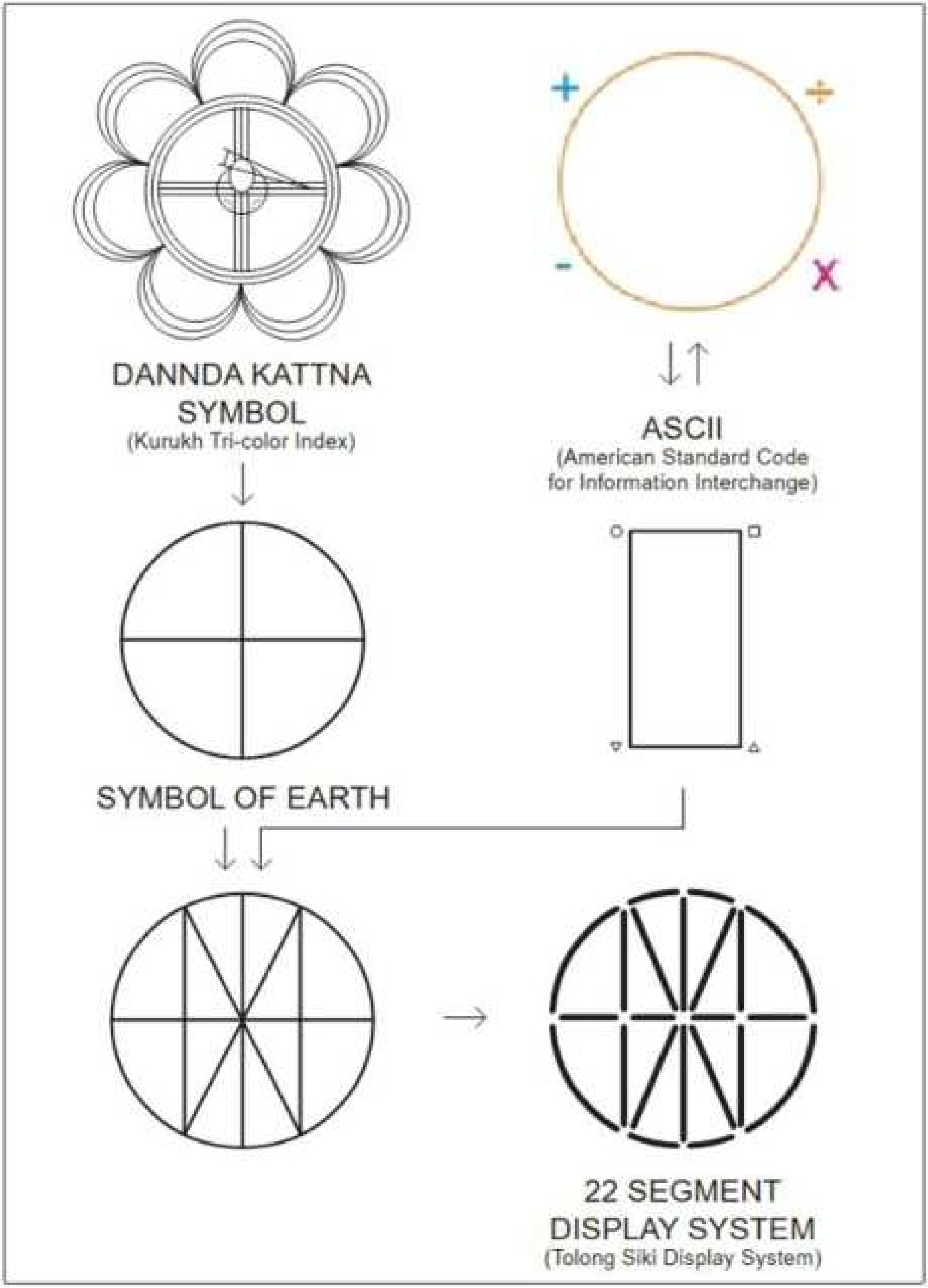

ALPHABETS ARE BASED ON TWENTY TWO SEGMENT DISPLAY SYSTEM

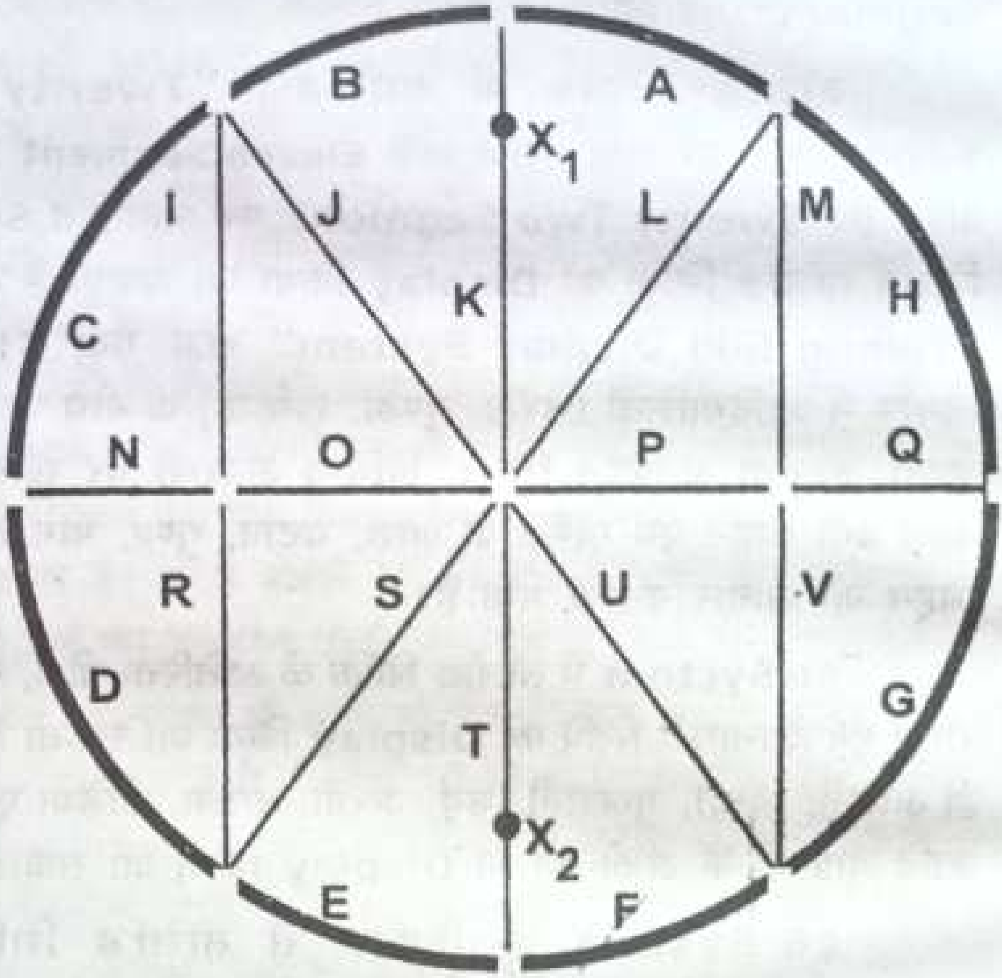

TOLONG SIKI DISPLAY SYSTEM

AS PER GRAPHICS OF TOLONG SIKI DISPLAY SYSTEM (BASED ON 22 SEGMENT DISPLAY SYSTEM)

VOWELS ([illegible])

TOLONG SIKI IN WRITTEN FORM	-	TOLONG SIKI IN SEGMENT FORM
[illegible]	-	OPMAKT
[illegible]	-	BIOKTFVM
[illegible]	-	BKOTESL
[illegible]	-	BKTESL
[illegible]	-	BKT
[illegible]	-	KTBAMV

CONSONANTS ([illegible])

TOLONG SIKI IN WRITTEN FORM	-	TOLONG SIKI IN SEGMENT FORM
[illegible]	-	CDEFGH
[illegible]	-	CDEFGHMQ
[illegible]	-	NICDEFGH
[illegible]	-	NICDEFGHMQ
[illegible]	-	NICDSUGH
[illegible]	-	NRDCBAHG
[illegible]	-	NRDCBAHGVQ
[illegible]	-	BKTESUGH
[illegible]	-	BKTESUGHMQ
[illegible]	-	NICDSLHG
[illegible]	-	DCBAHGULOP
[illegible]	-	NRDCBAHGULOP
[illegible]	-	KSDCBAHGOP
[illegible]	-	KSDCBAHGVQOP
[illegible]	-	NCIRSLHG
[illegible]	-	SDCBAHGOP
[illegible]	-	SDCBAHGVQOP
[illegible]	-	TSDCBAHG
[illegible]	-	TSDCBAHGVQ
[illegible]	-	NRDCJLHG
[illegible]	-	CDSLHG
[illegible]	-	CDSLHGVQ
[illegible]	-	CDSUGH
[illegible]	-	CDSUGHMQ
[illegible]	-	NRDCJUGH
[illegible]	-	LPQGFE
[illegible]	-	BIOTESLHG
[illegible]	-	KTLMQG
[illegible]	-	IRDCBAMQG
[illegible]	-	ORETJBAHG
[illegible]	-	CDEFGHLOP
[illegible]	-	KTLHGVQ
[illegible]	-	DCJLHG
[illegible]	-	IOPMLTF
[illegible]	-	IOKPMLTF

NUMERALS BASED ON 11 SEGMENT DISPLAY SYSTEM

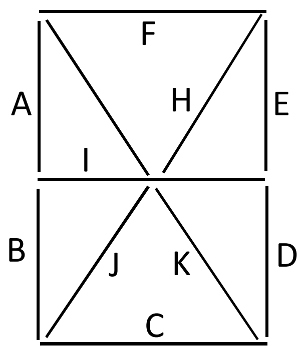

WRITTEN FORM	-	SEGMENT FORM
0	-	ABCDEF
I	-	AB
[illegible]	-	GFHJC
[illegible]	-	FGKCJ
[illegible]	-	FHJCK
[illegible]	-	AIEHJC
[illegible]	-	FGJC
[illegible]	-	FABCKJ
[illegible]	-	KJCDEF
[illegible]	-	IEFABC

अंक चिन्ह का आधार

जीव–जन्तुओं द्वारा बनाये गये चिन्ह

24. तोलोंग सिकि में संस्कृत–हिन्दी शब्दों को लिप्यन्तरण हेतु मानकीकरण

– डॉ० नारायण उराँव ''सैन्दा''

ध्यातब्य हो कि आदिवासी भाषाओं में से कुँडुख़ भाषा की अपनी विशिष्ट शैली एवं विशेषताएँ हैं। इस विशिष्ट पहचान पर आधारित इस भाषा की लिपि, तोलोंग सिकि विकसित हुई है। यह तथ्य है कि कुँडुख़ भाषा में कई ध्वनियाँ है जिसे दिखलाने के लिए रोमन एवं देवनागरी लिपि में लिपि चिन्ह नहीं हैं। रोमन लिपि के माध्यम से अन्य भाषाओं को लिखने के लिए जेनेवा में 2nd Oriental Congress, JENEVA, 1900 AD में किये गये मानकीकरण के आधार पर पूर्वी क्षेत्र की भाषाओं में कई साहित्य रचे गये। परन्तु, देवनागरी लिपि में आदिवासी भाषाओं को लिखने के लिए किसी मानकीकरण को आधार बनाये जाने का इतिहास नहीं मिलता है और जो जैसा समझ पाये, वे वैसा ही लिख रहे हैं।

कुँडुख़ भाषा की लिपि, तोलोंग सिकि के प्रतिष्ठापन में कई व्यवहारिक कठिनाईयाँ आयीं। इस क्रम में उपयोक्ताओं को समझने तथा समझाने में आयी उलझनों को सुलझाने में नये तरीके का भी ईजाद हुआ और हमलोग यहाँ तक का सफर तय कर पाए। कुँडुख़ भाषा में कई विशिष्ट ध्वनियाँ हैं जिसके लिए संस्कृत देवनागरी में लिपि चिन्ह नहीं हैं। उदाहरण इस प्रकार हैं –

1. कुँडुख़ में, हृस्व ए एवं हृस्व ओ होता है जिसके लिए संस्कृत देवनागरी में लिपि चिन्ह नहीं हैं। संस्कृत में, ए तथा ओ, दीर्घ तथा प्लूत रूप के लिए चिन्ह निर्धारित हैं, परन्तु इन दोनों का हस्व रूप नहीं होता है।

2. संस्कृत में, ऐ एवं औ वर्ण हैं, जिसे क्रमवार अइ तथा अउ की तरह उच्चरित किया जाता है, तथा हिन्दी में, ऐ एवं औ को क्रमवार अय तथा अव की तरह उच्चरित किया जाता है। जबकि कुँडुख़ में अइ, अउ, अय, अव – चारों ध्वनियों का व्यवहार होता है।

3. संस्कृत–हिन्दी देवनागरी में अ, इ, उ मूल स्वर बतलाया गया है तथा आ, ई, ऊ दीर्घ स्वर हैं और ए, ओ, ऐ, औ संयुक्त/दीर्घ स्वर। परन्तु कुँडुख़ तोलोंग सिकि में इ, ए, उ, ओ, अ, आ को स्वतंत्र, मूल एवं पूर्ण स्वर कहा गया है। वैसे वैदिक संस्कृत के आधार पर अष्टाध्यायी में कुल 132 स्वर ध्वनियाँ हैं और सभी ध्वनियों को लिखने के तरीका बतलाया गया है। व्यवहारिक दृष्टि से कुँडुख़ में कुल 24 मूल स्वर ध्वनियाँ हैं जिसे तोलोंग सिकि में इस तरह दिखलाया जा सकता है – 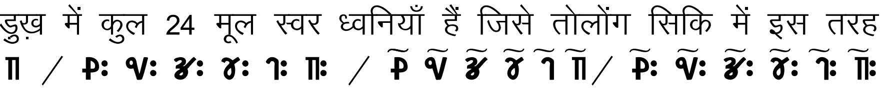 इत्यादि।

4. संस्कृत–हिन्दी देवनागरी में आ, ई, ऊ दीर्घ स्वर हैं तथा ए, ओ, ऐ, औ संयुक्त/दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का अर्थ दोगुना उच्चारण समय वाला तथा प्लूत स्वर का अर्थ तीन गुना उच्चारण समय वाला कहा गया है। परन्तु कुँडुख़ में इ, ए, उ, ओ, अ, आ (सभी 6 मूल स्वर ध्वनि) का, दिगहा स्वर ध्वनि रूप, दीर्घ स्वर से अधिक तथा प्लूत स्वर से कम अर्थात मूल स्वर से ढ़ाई गुना उच्चारण समय वाला है। जैसे, कुँडुख़ भाषी गाँव का हिन्दी रूपांतरित नाम बन गया जो इस प्रकार :– भाँःड़ो – भरनो, सूःसा – सुरसा, खेःड़ा – खेर्रा, ख़ल्ख़ड़ी – करकरी, मन्दड़े – माण्डर आदि। वैसे, हिन्दी के दीर्घ स्वर को दिखलाने हेतु तोलोंग सिकि में स्वर के उपर दोगुना सूचक चिन्ह (macron) दिया जाता है।

5. कुँडुख़ में ड़ ढ़ ख़ ञ़ अ़ व्यंजन ध्वनियाँ हैं जिसे देवनागरी में लिखने के लिए ड ढ ख ञ अ के नीचे तलविन्दु देकर चिन्हित किया गया है। कुँडुख़ में एक विशिष्ट ध्वनि है जिसे संस्कृत में विकारी अ या व्यंजन अ तथा अंगरेजी में glottal check ध्वनि कहा जाता है। कुँडुख़ भाषा की इस ध्वनि को हिन्दी–उर्दू में दिखलाने के लिए व्यंजन की श्रेणी में रखते हुए अ वर्ण के नीचे तलविन्दु देकर चिन्हित किया गया है। जैसे – मअ़लूम।

6. संस्कृत–हिन्दी भाषा का ऋ लृ ष् ष् क्ष् त्र् ज्ञ् श्र् वर्ण का प्रयोग कुँडुख़ भाषा में नहीं है, इसलिए इन वर्णों के लिए तोलोंग सिकि वर्णमाला में अलग से ध्वनि चिन्ह नहीं हैं। परन्तु इन ध्वनियों को समझने तथा इसके लिप्यन्तरण हेतु इन ध्वनियों के सदृश वाले ध्वनि–अक्षरों के नीचे या उपर diacritical mark देकर समझा गया है।

संस्कृत–हिन्दी के षब्दों का तोलोंग सिकि में लिप्यन्तरण इस प्रकार हैं :–

(देवनागरी लिपि)	-	(तोलोङ सिकि)
अ	-	
आ ा	-	
इ ि	-	
ई ी	-	
उ ु	-	
ऊ ू	-	
ए े	-	
ऐ ै	-	
ओ ो	-	
औ ौ	-	
अं	-	
अः	-	
अँ	-	
आँ	-	
इँ	-	
ईं	-	
उँ	-	
ऊँ	-	
एँ	-	
ऐं ैं	-	
ओं ों	-	
औं ौं	-	
ऽ (संस्कृत)	-	(अ़)
अइ (संस्कृत)	-	
अउ (संस्कृत)	-	
अय (हिन्दी)	-	
अव (हिन्दी)	-	

क्	-	[illegible]
ख्	-	[illegible]
ग्	-	[illegible]
घ्	-	[illegible]
ङ्	-	[illegible]
च्	-	[illegible]
छ्	-	[illegible]
ज्	-	[illegible]
झ्	-	[illegible]
ञ्	-	[illegible]
ट्	-	[illegible]
ठ्	-	[illegible]
ड्	-	[illegible]
ढ्	-	[illegible]
ण्	-	[illegible]
त्	-	[illegible]
थ्	-	[illegible]
द्	-	[illegible]
ध्	-	[illegible]
न्	-	[illegible]
प्	-	[illegible]
फ्	-	[illegible]
ब्	-	[illegible]
भ्	-	[illegible]
म्	-	[illegible]
य्	-	[illegible]
र्	-	[illegible]
ल्	-	[illegible]

व्	-	[illegible]
श्	-	[illegible]
ष्	-	[illegible]
स्	-	[illegible]
ह्	-	[illegible]
क्ष् (क् + ष्)	-	[illegible]
त्र् (त् + र्)	-	[illegible]
ज्ञ् (ज् + ञ्)	-	[illegible]
ड़्	-	[illegible]
ढ़्	-	[illegible]
श्र	-	[illegible]
श्री	-	[illegible]
श्रे	-	[illegible]
श्रो	-	[illegible]
श्रु	-	[illegible]
श्रा	-	[illegible]
ऋ (संस्कृत)	-	[illegible]
लृ (संस्कृत)	-	[illegible]
पृ (संस्कृत)	-	[illegible]
बृ (संस्कृत)	-	[illegible]
मृ (संस्कृत)	-	[illegible]
तृ (संस्कृत)	-	[illegible]
दृ (संस्कृत)	-	[illegible]
नृ (संस्कृत)	-	[illegible]
धृ (संस्कृत)	-	[illegible]
गृ (संस्कृत)	-	[illegible]
घृ (संस्कृत)	-	[illegible]
कृ (संस्कृत)	-	[illegible]

लृ (संस्कृत)	-	[illegible]
सृ (संस्कृत)	-	[illegible]
हृ (संस्कृत)	-	[illegible]
वृ (संस्कृत)	-	[illegible]
क़ (उर्दू /अरबी)	-	[illegible]
ग़ (उर्दू /अरबी)	-	[illegible]
ज़ (उर्दू /अरबी)	-	[illegible]
फ़ (उर्दू /अरबी)	-	[illegible]
ब़ (उर्दू /अरबी)	-	[illegible]
व़ (उर्दू /अंगरेजी)	-	[illegible]
ऑ (अंगरेजी)	-	ॉ
ख़् (कुँड़ुख़)	-	[illegible]
अ़ (कुँड़ुख़)	-	। (अ़)
ञ़् (कुँड़ुख़)	-	[illegible]
थ्य्	-	[illegible]
म्य्	-	[illegible]
ध्य्	-	[illegible]
द्व्	-	[illegible]
त्य्	-	[illegible]
ज्य्	-	[illegible]
त्व्	-	[illegible]
ध्य्	-	[illegible]
द्व्	-	[illegible]
द्य्	-	[illegible]
न्य्	-	[illegible]
फॉ०	-	[illegible]ॉ०
डॉ०	-	[illegible]ॉ०
प्रो०	-	[illegible]०

कृतज्ञ	-	[illegible]
कृतघ्न	-	[illegible]
कुरूक्षेत्र	-	[illegible]
मन्दिर	-	[illegible]
मस्जिद	-	[illegible]
गिरजा	-	[illegible]
गुरूद्वारा	-	[illegible]
किष्किन्धा	-	[illegible]
कंस / दंस	-	[illegible]
डाँस / साँस / बाँस	-	[illegible]
सृजन	-	[illegible]
सृष्टि	-	[illegible]
श्रीगणेश	-	[illegible]
धौलागिरि	-	[illegible]
सौंसे / सँवसे	-	[illegible]
औंहारी / अँवहारी	-	[illegible]
औंधआ़ना	-	[illegible]
अवङे / औंगे / औङे	-	[illegible]
कैलाश	-	[illegible]
तैयार	-	[illegible]
श्रृंगार	-	[illegible]
अधिय'आ़ना / अधियाअ़ना	-	[illegible]
बांसुरी / बाँसुरी	-	[illegible]
कमत'आना / कमत्'आ़ना	-	[illegible]
कमतअ़ना	-	[illegible]
अंकरारना / अँकरारना	-	[illegible]

— एम०जी०एम०मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जमशेदपुर

दिनांक : 15 नवम्बर 2022

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(बाल कविताएँ, पहेलियाँ एवं गिनती)

1. धरमे ओहमा

अना अद्दी मुंज्जरना मलका,
नीनिम धरमे रअ़दय, बंगायो,
नीनिम धरमे रअ़दय।

उरमी नुम एःरा लगदय,
उरमी गेम जोड़गर रअदय,
कोंड़ा–कोंःड़ा रअ़दय, बंगायो,
कोंड़ा–कोंःड़ा रअ़दय, बंगायो।

जनम–करम चिच्चकय धरमे,
पोसआ–परदआ लगदय, बंगायो,
पोसआ–परदआ लगदय।

मया चिअ़दय उरमी गेम,
दया नन्दय उरमी नुम,
पड़हा डहरेन एःदआ बंगायो,
धरम डहरेन एःदआ।

तंगआ जिया लेखआ धरमे,
ओरमर ही जियन बंग्गे,
एःरना लूरन चिआ, बंगायो,
एःरना लूरन चिआ।

दोसी गा रअ़दम पंहे,
नीनिम धरमे तारओय बंगायो,
नीनिम धरमे तारओय।

अना अद्दी मुंज्जरना मलका,
नीनिम धरमे रअ़दय, बंगायो,
नीनिम धरमे रअ़दय।

(मूल कविता – पं0 आयता उरांव)

2. सिरासिता नाःले ता भईया–बहिन

सिरासिता नाले नु , भईया–बहिन
रहचर।।2।।
गुचा हरो बेद्दागे काःलोत।।2।।

ककड़ो ही लाःता, गंगला ही ख़ाईड़
रहचा हरो भईरो,
असानुम नमहंय पुरखर रहचर।।2।।
गुचा हरो बेद्दागे काःलोत।।2।।

आःर गुसन भईरो, अद्दी धरम रहचा,
ईमान धरम रहचा,
गुचा हरो बेद्दागे काःलोत।।2।।

आःर हरो भईरो,
अयो बबन मला केबा लगियर।।2।।
गुचा हरो बेद्दागे काःलोत।।2।।

आःर हरो भईरो
झरा–अरख़ी मला ओना लगियर।।2।।
गुचा हरो बेद्दागे काःलोत।।2।।

आःर हरो भईरो
ढुकुढरा मला मना लगियर।।2।।
गुचा हरो बेद्दागे काःलोत।।2।।

आःर हरो भईरो,
भाई–झगड़ा मला मना लगियर।।2।।
गुचा हरो बेद्दागे काःलोत।।2।।

आःर हरो भईरो
डण्डा कट्टा लगियर।।2।।
सोझे–सोझे धरमेसिन पुजा नना
लगियर।।2।।

सिरासिता नालेनु भईया–बहिन
रहचर।।2।।
गुचा हरो बेद्दागे काःलोत।।2।।

(मूल कविता – पं0 आयता उरांव)

3. ची चंद्दो

ची चंद्दो पपा,
इंगड़ी अरा एंग्गा,
ची चंद्दो पपा,
ची चंद्दो पपा।

अयंग गही चिच्चका,
गड्डी नु खत्तरा,
लुभी पच्चो मोक्खा,

एमा मला ख़क्खरा।
छिरका मला बाईर'का,
ई:ख़का मला रोक्का,
ची चंद्दो पपा,
ची चंद्दो पपा।

4. चेरे–बेरे

चेरे–बेरे, चेरे–बेरे,
चीं – चीं– चीं,
चेरे–बेरे, चेरे–बेरे,
दुदही–मण्डी ची।द्य

चेरे–बेरे, चेरे–बेरे,
चीं – चीं – चीं,
चेरे–बेरे, चेरे–बेरे,
पेण्ठ–झूला ची।

चेरे–बेरे, चेरे–बेरे
चीं – चीं – चीं,
चेरे–बेरे, चेरे–बेरे,
किताब–पाटी ची।

चेरे–बेरे, चेरे–बेरे,
चीं– चीं – चीं,
चेरे–बेरे, चेरे–बेरे,
इसकुल का:ला ची।

5. पइरी मंज्जा

कोकरो ब'ई कोकरो कों,
कटड़ी ब'ई कोट–कोट,
पईरी मंज्जा ओ:ड़ा ब'ई,
चो'आ, निजड़ा, उढ़ियारआ।

हाचुंग–हाचुंग ढिंकी ब'ई,
फेचेर–फेचेर कें:तेर,
एमबस ढिंकी चुंज्जदस,
इंग्गयो ख़रबी ख़ेस्स।

ए:ड़ा बअ़ई में–में,
बेरख़ा बअ़ई म्याउँ।
चोअ़ते–चोअ़ते इंगड़िस बअ़दस,
ची दईगो, दुदही मण्डी।

बी:ड़ी अरगी, उ:ख़ा बुंग्गी,
बिल्ली मनी सँवसेम।
पईरी मंज्जा इंगड़ी बअ़ई,
चोअ़आ, गुचा इसकुल।

6. मेना बा

मेना बा मेना,
पाटी पिन्सुल चिआ।
इंगड़िस कालोस बचआ,
एःन मण्डी खटओन।

मेना बा मेना,
कगद–कलम चिआ।
इंगड़िस कालोस इसकुल,
एःन नलख ननोन।

मला बिटी मला,
निंगड़िस अरा नीन,
संग्गेम काःलोर इसकुल,
अयंग–बंग एःड़ोम एःम,
खटओम–ननोम संग्गेम।

7. आःलो गही रॉंव

एःड़ा बअ़ई – में, में
बेरख़ा बअ़ई म्याऊँ,
एःड़ा जोःड़ा ख़च्चरा,
बेरख़ा निंगहय कज्जरा।

ओःड़ा बअ़ई चीं – चीं,
चिट्ठ–चिट्ठ, चिडरा।
ओःड़ा–चिडरा, संग्गेनुम,
बीःची डाःड़ा–डाःड़ा।

ओये बअ़ई बाँ–बाँ,
चीं–हों–हों बअ़ई घोड़ो,
घोड़ो घाँःसी मोःख़ो,
ओये मोःख़ो माँःसी।

चिगला बअ़ई हुवा–हुवा,
भू–भू बअ़ई अल्ला,
अल्ला गे मण्डी ख़ोल्ला,
धरआ काःलो चिगला।

8. सुपली–मउनी

ची यो ची,
सुपली मउनी ची,
एःन बेःचोन एड़पा–बली,
इंगड़िस धरओस लूर।

चीं यो ची,
कट्टु तवा ची,
एःन ननोन चुलहा—चउका,
इंगड़िस का:लोस इसकुल।

ची यो ची,
किताब पाटी ची,
इंगड़िस धरओस लूर,
एःन मण्डी खटओन।

मला बिटी मला,
कट्टु तवा मला।
नीम का:लोर इसकुल,
एःम मण्डी खटओम।

9. चकर—मकर

चकर मकर एःरदय,
अड्डो—मेक्खो ख़ापदय,
एःड़ा निङहय बोंग्गा,
चिगला चरा मंज्जा।

चकर मकर एःरदय,
एड़पा बली बेःचदय,
भेण्डो निंगहय बोंग्गा,
हुण्डरा चरा मंज्जा।

चकर मकर एःरदय,
लस्सा–ठुंगही ननदय,
बछिया निंगहय बोंग्गा,
हड़हा चरा मंज्जा।
लस्सा ठुंगहिन अम्मबा,
किताब–पाटी धरआ,
लूरकुड़िया कोरआ,
टूडऩा–बचना सिखिरआ।

10. ओहरे लुरगरिया !!

टिक–टिक बअ़ई घड़ी,
मानीम सुभ’ई बड़ी।

खभइर तिंगी रिड़यो,
डण्डी पाःड़ी तिरयो।

हुँई हुँई बअ़ई गड़ी,
अमके एःका मड़ी।

टिं–ड़िंग नननुम साइकिल,
कुर'ई उरखी ठिंग–ठिंग।

फटफट नननुम फटफटिया,
अरगी चप्पी धरधरिया।

मेरख़ा मईयाँ हुड़हुड़िया,
आलर, मंज्जर लुरगरिया !!

11. इंज्जो

इंज्जो–इंज्जो, उरमी इंज्जो,
अम्म उला रअ़उ इंज्जो।

धरआ बेद्दोय, पोल्लोय धरआ,
एःरतेम बोंग्गो अम्म उला।

ख़ाड़–ख़ोसरा, तूसा–झरिया,
इंज्जो रअ़ई जुदा–जुदा।

नाल, पोखारी, बंधा, पँईड़ी,
अड्डा गईनका अनआ–मनआ।

छुड्डी, गईर'सा, मईग'रा, हरिया,
जल्ली हेबड़ा धरआ–चाःजा।

रेहु,–कतला, बाम्बी–बोवारी,
पोल्लोय धरआ इबड़न अंधवारी।

इंज्जो तली अम्म ता आःलो,
अम्म ती बहरी खेअ़ओ काःलो।

इबड़ा लेखम उजगो मना,
नना–ओना, परपन्द रअ़आ।

डांग–बन्सी, फुही–चरा,
अम्बा नना, टूड़ा–बचआ।

12. बेरख़ा

कबरा, कसया, पंडरू बेरख़ा,
गुली, धुसरा, मोख़ारो बेरख़ा,
ख़द्दर गही संगी बेरख़ा।

ख़न्नद बिलची, बिलचो लेखआ,
कुक्कद रअ़ई लकड़ा लेखआ,
ख़द्दर गही संगी बेरख़ा।

असमा चिओय, असमा मोःख़ो,
मण्डी चिओय ओनो चप्पो,
दुदहिन एःरर बोंगते बर'ओ।

अल्लन एःरो एड़पा कोरओ,
ओसगन एःरो धरओ चप्पो,
ख़द्दर गने ओक्को बेःचो।

नानी तिङगी माःनी ख़ीःरी,
तली ईद लकड़ा मुसी, अँवती
अंवगे, ख़ोलन धरओय परमो चिओ।

साभार : चींःचो डण्डी अरा ख़ीःरी

पेल्लो एड़पा ही डण्डी

12 बछर नू बईनी सिंगराःरा,
बईनी जिया पेल्लो मना गे सपड़ाःरा।

12 चन्ददो, 13 मईख़ना,
पेल्लो मना गे माःनिम ढूःरना।

माघे चन्नदो उल्ला धरतआ,
बईनी जियन पेल्लो एड़पा कोरेतआ।

7 चान करम उबुस्त'आ,
करम डउड़न अमके किरितआ।

12 चन्ददो 13 राःगे, तेंग्गा चप्पा डहरे बाट,
बेंज्जा नना खोंड़हा नु, पंग्गे रओ पड़हा पाट।।

18 (सा:हे डण्डी = मौसमी गीत)

1. असारी रा:गे

बरतो बहीन बे:चोत कोय,
अयो बबर ए:रा गे बरोर।
मा:ख़ा तन ने ए:रो बहीन,
पइरी तन अयो बबर ए:रोर।

2. करम रा:गे

एका जों:ख़स कडरू ख़ापदस,
कुल्ला नु बकिला टईयाँ ।।2।।
चेंड़ा जों:ख़स कडरू ख़ापदस,
कुल्ला नु बकिला टईयाँ ।2।

3. बेंज्जा रा:गे

ढोढरी ता मैना,
डा:ड़ा ता फिकड़ो,
चरा बेदनुम, बेदनुम,
जिया तंगहय केरा,
ख़द–ख़र्रा चेंव–मेंव रा लगी ।2।

4. ख़द्दी रा:गे

चाँ:ड़े चाँ:ड़े बरा ददा,
रली घुघरी ख़रेख़ा लगी।
ख़द्दी पईरी बरा ददा,
रली घुघरी ख़रेख़ा लगी।

:*****.

12. [illegible] / मुहावरा

1. [illegible] = (खिंसारना) - [illegible]
2. [illegible] = (धिराबअ़ना) - [illegible]
3. [illegible] = (लूर कुन्दुरना) - [illegible]
4. [illegible] = (बुझ्रुरआ पोलना) - [illegible]
5. [illegible] = (अज्जु–इज्जु ओना मोःख़ा गे कुद्दना) - [illegible]
6. [illegible] = (बेड़ा मल ख़खरना) - [illegible]
7. [illegible] = (जुदा मन्ना) - [illegible]
8. [illegible] = (कत्थन पइत्ताअ़ना) - [illegible]
9. [illegible] = (उरमी कत्थन तेंग्गना) - [illegible]
10. [illegible] = (मल तेंग्गना कत्थन हूँ तेंग्गना) - [illegible]
11. [illegible] = (अकय कछनखरना) - [illegible]
12. [illegible] = (नलख गे सपड़ारना) - [illegible]
13. [illegible] = (उरमी नलख दव मन्ना) - [illegible]
14. [illegible] = (धन–खुरजी ती पयहा मन्ना) - [illegible]
15. [illegible] = (नन्नर गे दुक्खे लग्गना) - [illegible]
16. [illegible] = (ओना–मोःख़ा गे मल ख़खरना) - [illegible]
17. [illegible] = (कीःड़ा लग्गना) - [illegible]
18. [illegible] = (नलख नना पोलना) - [illegible]
19. [illegible] = (कोंहा दुक्खे बरना) - [illegible]
20. [illegible] = (सथारना) - [illegible]
21. [illegible] = (ख़न्न रोःगे मन्ना) - [illegible]
22. [illegible] = (किरया मोःख़ना) - [illegible]
23. [illegible] = (अनसुना करना) - [illegible]
24. [illegible] = (थिथगर ले मेनना) - [illegible]
25. [illegible] = (रूःसी मनना) - [illegible]
26. [illegible] = (अकय घोख नु पड़ारना) - [illegible]
27. [illegible] = (किरया मोःख़ना) - [illegible]
28. [illegible] = (ओना–मोःख़ा गे रअ़ना) - [illegible]
29. [illegible] = (दुक्खे साःरना) - [illegible]
30. [illegible] = (कोंहा नलख ननना) - [illegible]

[illegible]

15. कुँड़ुख़ बुझवईल (उराँव पहेलियाँ)

1. एन्देर अमख़ी नानी, अम्म सिम्बी नत्ती, एन्दरा हिके? – इंज्जो अमख़ी।

2. अतख़ा खसखस, ख़ंजपा लड्डू मोःख़ा गे गुल्ले मिठई, एन्दरा हिके? – डहू।

3. पुरबे तरती बर'ई बाघिन, कूल खोखलो, ख़ोला ओत्था, एन्दरा हिके? – पोःक।

4. आगे तरा बइकला अदी ख़ोःख़ा ठोर, अदी ख़ोःख़ा मुगरा, एन्दरा हिके? – अड्डो, उगता अरा गोहला उयूस गही पय्ना।

5. आबदा तीख़िल नूं चोप्पा मल्ला, एन्दरा हिके? – बेःक।

6. उरख़ो बीरी ख़ईका, किर्रो बीरी ढिरढिर्रका, एन्दरा हिके? – अड़ी ता अम्म।

7. इसुंग तुन्दरा, पखना गड्डुरा, एन्दरा हिके? – उम्बुलना अरा एरेख़ना।

8. इसानुम रअ़के ठुपठुपया एःन राजी एःरा गे काःदन, एन्दरा हिके? – खेड्डु चम्बी।

9. उनी मूख़ी पहें एःका पुल्ली, एन्दरा हिके? – मन्न।

10. उर्मी ओःलो पहें गुंग्गु तंगदा मला ओःलो – एन्दरा हिके? – आलर ही नाःमे।

11. उर्मी ख़ंजपा गही पूंप शोभई, एन्दरा हिके? – कबसी पूंप ती कमरका किचरी।

12. उर्मी ख़ंजपा गही टंगना रई मुंदा ओन्टे गही मल्ला, एन्दरा हिके? – खे़ःर बी।

13. उर्मी ओःलो मुन्दा महरस गही सोट्टा मला ओःलो, एन्दरा हिके? – डहरे।

14. उज्जना बीरी ओन्टे नामे, केच्चका ख़ोख़ा बग्गे नामे, एन्दरा हिके?– बाँस।

15. उरमी आःलो ही दुद्ही मनी पहें एन्दरा ही दुद्ही मल्ला? – ओःड़ा–ख़ाःख़ा।

16. उल्ला खोखोल खोया बहरी पोट्टा, एन्दरा हिके ? – खे़ःल।

17. तम्मबस अच्च नू अच्च इद्दस, तंग्गियो केच्चका आलरिन उज्जती'ई, एन्दरा तली ? – भेटांगो घोरना कमना अरा रोपा इदना।

18. एँःड़ आःलर उतान बिडिरका आर मईयया ओरतोस मुलखुरका, एन्दरा हिके ?
— खपरा बंईका।

19. ओण्टे मन्न नु बारहो डाःड़ा अरा सातो कंडरी नवठा।
— चान, मईहना, उल्ला।

20. ओन्दा मुट्ठा राई, छिटआ दरा गिनआ, गिनओय पोल्लोय गिनआ? — बीनको।

21. ओरतोस बेगर खे़ड–खे़क्खा, बई–मुंई ही डहरे एःकदस। — कागद नू लिखना।

22. एड़पा बोंग्गा लगी पहें एड़पन्ता आःलर धर्रआ लगनर। — जल्ली अरा इंज्जो।

23. एन्देर आलोन नितकिम तिरिख़नर होलेम चींःख़ी ?
— ढींकी।

24. एँःड़ भइर जुदा मनर मल चींख़नर जुमुरनर ख़ने चींख़नर। — झाइंझ।

25. एड़पा कुर'ई बली नू एःन एका तरा कालोन? — कूम अरा इंज्जो।

26 एंःड़ भइयोर ईरयर, पंच्चे भाइर पेत्तर, बत्तिस भइयोर मोक्खर, ओर्तोस एकला एम्मबन अक्खस, एन्दरा हिके? — ख़न्न, अंगली, पल्ले, ततख़ा।

27. ओरतोद बिड़पुता कोंको टेम्पन चेड्डकी रअ़ई। — अल्ला गही ख़ोला।

28. सन्नी एकन डोबहा बइकला गही शोभा, एन्दरा हिके? — ट्ठी बिल्ली।

29. अना भईयो नीन गा काःदय, एंगन एन्देर गे अम्बदय ! — चम्मबी।

30. ओन्टे पद्दानू खुटा, दोसर पद्दानू लैंची, नन्ना पद्दा नू चिच्च, नन्ना पद्दा नू मोसगा, एन्दरा हिके?
— हुका अरा
चिलम।

31. ओन्टे आलस गहि कूल नू पल्ल, एन्दरा हिके? — ताँतर।

32. ओन्टे भाईस उईदस, दू भाईर पटा चूगनर, एन्दरा हिके? — कड़िरका।

33. ओन्टे परता गहि दूयो दरंगा नू झिकटी टंगरका, एन्दरा हिके? — ख़ेबदा।

34. ओन्टा परता नू बिन ओट्टा गही बांस, एन्दरा

हिके? — कुक्क ता चुट्टी।
35. ओन्टे टोंका नू ख़ेस्स बीजिरका, एन्दरा हिके? — ओसगा चुरी।
36. ओन्टे मन्न नू ओन्टे एकला अतख़ा, एन्दरा हिके? — बैराखी।
37. ओन्टे कुक्कोस तांतरन चेड्डकस कुद्दस, एन्दरा हिके? — अल्ला ख़ोला।
38. ओन्टे कुक्कोस गही चार ठो ख़ेड्ड, एन्दरा हिके? — खटी।
39. ओरोत संवगिया, अकय बड़ियर आलारिन हूं पटकी'ई। — बोड़'ए।
40. ओन्टे आःली मन्न नु ढिलवा बीःचनुम दुदही ओनती'ई ? — भदड़ी।
41. ओरतोद माख़ा बीरी बिडरी पइरी बीरी दोलख़ाःर'ई, एन्दरा हिके? — पिटरी।
42. ओन्टे कुकोय आलारिन ईरी दरा बलिन मुच्ची, एन्दरा हिके? — घुंघी।
43. कादय तो कादय एंगहय ख़ेबदन अंईठाअ़के चिअ़के ? — ताला कुंजी।
44. ओन्टे आलस गही ख़ोख़ा तरा ख़न्न, एन्दरा हिके? — ककड़ो।
45. ओन्टे किंको बेगर कुद्दम ओंगओल एका ख़द्द ननी ? — केड़ा मन्न।
46. ओन्टे आःली गुण्डा–गुण्डा पुतुर'ई, एन्दरा हिके? — जता।
47. ओन्टे पच्चो कंकन एकला मूंख़ी, एन्दरा हिके? — चूल्हा।
48. ओन्टे कुकोय लज्जे ती नुंखुरकी कुद्दी, एन्दरा तली ? — बागिरका।
49. ओन्टे ओःड़ा ओंगओल एका ख़द्दमाःख़ो मनी, एन्दरा तली ? — भदड़ी।
50. ओन्टे झिकटी राजी–राजी कुद्दी, एन्दरा तली ? — ढिबा।
51. ओन्टे मन्न नूं ख़ेल दिम ख़ेल, एन्दरा तली ? — कठड़ा।
52. ओण्टेन धरओय संवसेन अख़ओय, एन्दरा तली ? — मण्डी बीःतना।

*****

कुँड़ुख लेक्खा (गनती)

1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
2	12	22	32	42	52	62	72	82	92
3	13	23	33	43	53	63	73	83	93
4	14	24	34	44	54	64	74	84	94
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96
7	17	27	37	47	57	67	77	87	97
8	18	28	38	48	58	68	78	88	98
9	19	29	39	49	59	69	79	89	99
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

0	–	निदि	0	18	–	दोयआख़	18
1	–	ओन्द	1	19	–	दोयनय	19
2	–	एँड़	2	20	–	एन्दोय	20
3	–	मून्द	3	21	–	एन्दोओन्द	21
4	–	नाख़	4	22	–	एन्दोएँड़	22
5	–	पंच्चे	5	23	–	एन्दोमुन्द	23
6	–	सोय	6	24	–	एन्दोनाख़	24
7	–	साय	7	25	–	एन्दोपंच्चे	25
8	–	आख़	8	26	–	एन्दोसोय	26
9	–	नय	9	27	–	एन्दोसाय	27
10	–	दोय	10	28	–	एन्दोआख़	28
11	–	दोयओंद	11	29	–	एन्दोनय	29
12	–	दोयएँड़	12	30	–	मुन्दोय	30
13	–	दोयमुन्द	13	31	–	मुन्दोओंद	31
14	–	दोयनाख़	14	32	–	मुन्दोएँड़	32
15	–	दोयपंच्चे	15	33	–	मुन्दोमुन्द	33
16	–	दोयसोय	16	34	–	मुन्दोनाख़	34
17	–	दोयसाय	17	35	–	मुन्दोपंच्चे	35

[illegible]	–	मुन्दोसोय	36
[illegible]	–	मुन्दोसाय	37
[illegible]	–	मुन्दोआख़	38
[illegible]	–	मुन्दोनय	39
[illegible]	–	नाख़दोय	40
[illegible]	–	नाख़दोओंद	41
[illegible]	–	नाख़दोएँड़	42
[illegible]	–	नाख़दोमुन्द	43
[illegible]	–	नाख़दोनाख़	44
[illegible]	–	नाख़दोपंच्चे	45
[illegible]	–	नाख़दोसोय	46
[illegible]	–	नाख़दोसाय	47
[illegible]	–	नाख़दोआख़	48
[illegible]	–	नाख़दोनय	49
[illegible]	–	पन्दोय	50
[illegible]	–	पन्दोओंद	51
[illegible]	–	पन्दोएँड़	52
[illegible]	–	पन्दोमुन्द	53
[illegible]	–	पन्दोनाख़	54
[illegible]	–	पन्दोपंच्चे	55
[illegible]	–	पन्दोसोय	56
[illegible]	–	पन्दोसाय	57
[illegible]	–	पन्दोआख़	58
[illegible]	–	पन्दोनय	59
[illegible]	–	सोयदोय	60
[illegible]	–	सोयदोओंद	61
[illegible]	–	सोयदोएँड़	62
[illegible]	–	सोयदोमुन्द	63
[illegible]	–	सोयदोनाख़	64
[illegible]	–	सोयदोपंचे	65
[illegible]	–	सोयदोसोय	66
[illegible]	–	सोयदोसाय	67
[illegible]	–	सोयदोआख़	68
[illegible]	–	सोयदोनय	69
[illegible]	–	सायदोय	70
[illegible]	–	सायदोओंद	71
[illegible]	–	सायदोएँड़	72
[illegible]	–	सायदोमुन्द	73
[illegible]	–	सायदोनाख़	74
[illegible]	–	सायदोपंच्चे	75
[illegible]	–	सायदोसोय	76
[illegible]	–	सायदोसाय	77
[illegible]	–	सायदोआख़	78
[illegible]	–	सायदोनय	79
[illegible]	–	आख़दोय	80
[illegible]	–	आख़दोओंद	81
[illegible]	–	आख़दोएँड़	82
[illegible]	–	आख़दोमुन्द	83
[illegible]	–	आख़दोनाख	84
[illegible]	–	आख़दोपंच्चे	85
[illegible]	–	आख़दोसोय	86
[illegible]	–	आख़दोसाय	87
[illegible]	–	आख़दोआख़	88
[illegible]	–	आख़दोनय	89
[illegible]	–	नयदोय	90
[illegible]	–	नयदोओंद	91
[illegible]	–	नयदोएँड़	92
[illegible]	–	नयदोमुन्द	93
[illegible]	–	नयदोनाख़	94
[illegible]	–	नयदोपंच्चे	95
[illegible]	–	नयदोसोय	96
[illegible]	–	नयदोसाय	97
[illegible]	–	नयदोआख़	98
[illegible]	–	नयदोनय	99
[illegible]	–	सुड़्डी	100

अड्डा मुल्ली (स्थानीय मान)

ओंदिम	– इकाई	–	1	–	ओंद
दोयिम	– दहाई	–	10	–	दोय
सुडिम	– सैकड़ा	–	100	–	सुड्डी
हुडिम	– हजार	–	1000	–	हुड्डी
दोय हुडिम	– दस हजार	–	10000	–	दोय हुड्डी
लुडिम	– लाख	–	100000	–	लुड्डी
दोय लुडिम	– दस लाख	–	1000000	–	दोय लुड्डी
किडिम	– करोड़	–	10000000	–	किड्डी
दोय किडिम	– दस करोड़	–	100000000	–	दोय किड्डी
उडिम	– अरब	–	1000000000	–	उड्डी
दोय उडिम	– दस अरब	–	10000000000	–	दोय उड्डी
ख़ुडिम	– ख़रब	–	100000000000	–	ख़ुड्डी
दोय ख़ुडिम	– दस ख़रब	–	1000000000000	–	दोय ख़ुड्डी
सुड्डी ख़ुडिम	– सौ ख़रब	–	10000000000000	–	सुड्डी ख़ुड्डी
ख़ुड्डी ख़ुडिम	– ख़रब ख़रब	–	$10^{11}x10^{11} = 10^{22}$	–	ख़ुड्डी ख़ुड्डी

ओंदता	– पहला	पानता	– पाचवाँ	नयता	– नवाँ
एँड़ता	– दूसरा	सोयता	– छठवाँ	दोयता	– दसवाँ
मुन्दता	– तीसरा	सायता	– सातवाँ	दोयओंदता	– ग्यारहवाँ
नाख़ता	– चौथा	आख़ता	– आठवाँ	दोयएँड़ता	– बारहवाँ

बक्क नु टूड़ना

1. एक सौ पैंतिस – ओंदसुड्डी मुन्दोपंच्चे ।
2. चार हजार पाँच सौ सैंतीस – नाख़हुड्डी पंच्चेसुड्डी मुन्दोसाय।
3. बाइस हजार सात सौ सैंतीस – एन्दोएँड हुड्डी सायसुड्डी मुन्दोसाय।
4. पाँच लाख सात हजार आठ सौ आठ – पंच्चेलुड्डी साय हुड्डी आख़सुड्डी आख़।
5. तीरपन लाख एकतालीस हजार – पन्दोमुन्द लुड्डी नाख़दोओंद हुड्डी।
6. सात करोड़ नब्बे हजार एक्यासी – साय किड्डी नयदोय हुड्डी आख़दोओन्द।
7. पचपन ख़रब बावन हजार एक – पन्दोपंच्चे ख़ुड्डी पन्दोएँड़ हुड्डी ओन्द।
8. एकावन लाख एकतालीस हजार दो – पन्दोओन्द लुड्डी नाख़दोओंद हुड्डी एँड़।
9. तिरसठ करोड़ नब्बे हजार आठ – सोयदोमुन्द किड्डी नयदोय हुड्डी आख़।
10. चउवन ख़रब बावन हजार चार – पन्दोनाख़ ख़ुड्डी पन्दोएँड़ हुड्डी नाख़।

धुमकुड़िया पड़हरा डण्डी

1. इंग्गयो इ बअ़ई, एम्बासिन ए दे । 2।
उरूबासिन उ बअर लूर तिंग्गी, दे । 2।

2. ओरमत गे ओ बअ़ई, अद्दीया गे अ दे। 2।
आ:लो गे आ बअर लूर तिंग्गी, दे। 2।

3. पँड़की प बअ़ई, फिकिड़ो फ दे । 2।
बइकला ब, भदड़ी भ, मैना म तिंग्गी दे । 2।

4. ताँ:तर त बअ़ई, थड़िया थ दे । 2।
दउली द, धनु ध, नगरा न तिंग्गी दे । 2।

5. टटख़ा ट बअ़ई, ठठरा ठ दे । 2।
डउड़ा ड, ढरा ढ, राणु ण तिंग्गी, दे । 2।

6. चलकी च बअ़ई, छटका छ दे । 2।
जल्ली ज, झिलडी झ, चिञा ञ तिंग्गी, दे ।2।

7. ककड़ो क बअ़ई, खपरा ख दे । 2।
गड़ी ग, घड़ी घ, डोङा ङ तिंग्गी, दे । 2।

8. मचिया य बअ़ई, रसड़ी र दे । 2।
लट्टु ल, जवा व, तु:ञ़ ञ़ तिंग्गी, दे । 2।

9. सँड़सी स बअ़ई, हँसली ह दे । 2।
ख़न्न ख़, गेड़े ड़, गढ़े ढ़ तिंग्गी, दे । 2।

10. हिजा ननो बा:री अंगसी अ बओत । 2।
कोहाँ मधेन आल आ तेंग्गोत दे । 2।

(साभार : चिंचो डण्डी अरा ख़ी:री, अद्दी अखड़ा प्रकाशन)

९९ (७). [Tolong Siki] / धुमकुड़िया कुँड़ुख़ गिनती

Tolong Siki						
0	–	नीःदी बिण्डो	–	निदि	=	0
1	–	लकठा खुटा	–	ोन्द	=	1
2	–	डुण्डलू कुक्क	–	एँड़	=	2
3	–	कोकरो चुन्दी	–	मून्द	=	3
4	–	बइकला ठोर	–	नाख़	=	4
5	–	मिंजुर पेंच्छो	–	पंज्जी	=	5
6	–	सिम्बी लड़ङ	–	सोय	=	6
7	–	हाँथी मुँई	–	साय	=	7
8	–	अल्ला ख़ोला	–	आख़	=	8
9	–	नेर्र कुक्क	–	नय	=	9
10	–	मुरली मुद्दी	–	दोय / ओंदोय	=	10
11	–	ओंदोय ओन्द	–	ओंदोयओन्द	=	11
12	–	ओंदोय एँड़	–	ओंदोयएँड़	=	12
13	–	ओंदोय मुन्द	–	ओंदोयमुन्द	=	13
14	–	ओंदोय नाख़	–	ओंदोयनाख़	=	14
15	–	ओंदोय पंज्जी	–	ओंदोयपंज्जी	=	15
16	–	ओंदोय सोय	–	ओंदोयसोय	=	16
17	–	ओंदोय साय	–	ओंदोयसाय	=	17
18	–	ओंदोय आख़	–	ओंदोयआख़	=	18
19	–	ओंदोय नय	–	ओंदोयनय	=	19
20	–	एँड़ दोये	–	एन्दोय	=	20
30	–	मुन्द दोये	–	मुन्दोय	=	30
40	–	नाख़ दोये	–	नाख़दोय	=	40
50	–	पञ्जी दोये	–	पन्दोय	=	50
60	–	सोय दोये	–	सोयदोय	=	60
70	–	साय दोये	–	सायदोय	=	70
80	–	आख़ दोये	–	आख़दोय	=	80
90	–	नय दोये	–	नयदोय	=	90
100	–	सुड्डोय / सुड्डी	–	सुड्डी	=	100
10^3	–	हुड्डोय / हुड्डी	–	हुड्डी	=	10^3
10^5	–	लुड्डोय / लुड्डी	–	लुड्डी	=	10^5
10^7	–	केड्डोय / केड्डी	–	केड्डी	=	10^7
10^9	–	उड्डोय / उड्डी	–	उड्डी	=	10^9
10^{11}	–	खुड्डोय / खुड्डी	–	खुड्डी	=	10^{11}
10^{22}	–	खुड्डोय खुड्डी	–	खुड्डोयखुड्डी	=	10^{22}

धुमकुड़िया सैन्दा'' (सिसई, गुमला, झारखण्ड) सुसर संगोठ

धुमकुड़िया पच्चो–पचगी कोटवार – श्री उमेश उराँव
धुमकुड़िया नैग कोटवार – श्री पाथो उराँव ''पहान''
धुमकुड़िया महतो़ कोटवार – श्री घखुल उराँव
धुमकुड़िया जोंख़ कोटवार – श्री जुगेश उराँव पहान
धुमकुड़िया पेल्लो कोटवार – श्रीमती झेबा उराँव
धुमकुड़िया भँड़ारी – श्री मंगरा उराँव
धुमकुड़िया संगोठसरी – श्री जुगेश्वर उराँव
संरक्षक एवं सलाहकार – डॉ. नारायण उराँव, डॉ. बुदू उराँव, श्री गजेन्द्र उराँव,
श्री मुंशी उराँव, श्री रोपना उराँव, श्री बंधना उराँव, श्रीमती सदमा उराँव
सदस्य – सैन्दा गांव के सभी बड़े बुजूर्ग महिला–पुरूष।

संरक्षक एवं सलाहकार – डॉ० नारायण उराँव ''सैन्दा'', डॉ० बुदू उराँव, श्री गजेन्द्र उराँव

धुमकुड़िया सैन्दा, सिसई, गुमला (झारखण्ड)ए पिन न0ं– 835324, संपर्क : 9771163804